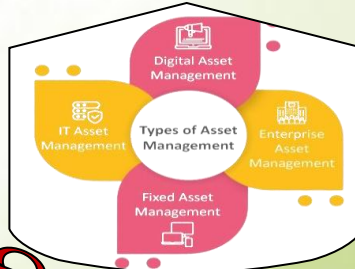




दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY

सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी



वेकसित भारत - 2047

सतर्कता बुलेटिन - 2025
VIGILANCE BULLETIN - 2025



03 Month Campaign on Preventive Vigilance (18.08.2025 - 17.11.2025)

शीम: “सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी”

Theme: “Vigilance: Our Shared Responsibility”

Vigilance Awareness Week-2025 (27.10.2025 - 02.11.2025)

Focus Areas:

- Complaints Investigation & Preventive Checks
- DAR and System Improvements Compliances
- Capacity Building Programmes
- Asset Management
- Digital Initiatives

**“Integrity without knowledge is weak,
Knowledge without integrity is dangerous”**





सतीश कुमार
SATISH KUMAR



सत्यमेव जयते

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
रेलवे बोर्ड
पदेन प्रमुख सचिव, भारत सरकार
रेल मंत्रालय,

CHAIRMAN & CHIEF EXECUTIVE OFFICER,
RAILWAY BOARD
EX OFFICIO PRINCIPAL SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS

MESSAGE

As we observe Vigilance Awareness Week, let us reflect on this year's theme- **"Vigilance: Our Shared Responsibility"** – a principle that must guide us every day as proud members of Indian Railways.

Indian Railways has been the lifeline of the nation for decades – connecting people, moving goods. Each of us should take pride in being part of this great organization that has contributed immensely to the country's development.

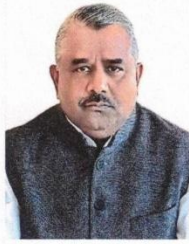
With pride comes a massive responsibility. Vigilance is an integral part of administration to assist in clean and efficient delivery of services. Vigilance is not the job of a few – it is a collective responsibility. It means being alert, honest, and committed to transparency in everything we do.

By upholding integrity, following procedures and reporting wrongdoings, we strengthen not only our systems but also win the trust of the people we serve.

Let us carry forward the legacy of Indian Railways with dedication and ethical conduct. Together, we can build a better, more accountable and stronger organization for Viksit Bharat.

I extend my best wishes for the grand success of this year's Vigilance Awareness Week.

(Satish Kumar)



महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

संदेश

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देश के अंतर्गत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 27 अक्टूबर 2025 से 2 नवंबर 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 मना रहा है। इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का मूल विषय है -

“सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी”
“Vigilance: Our Shared Responsibility”

यह विषय हमें यह स्मरण कराता है कि भ्रष्टाचार-मुक्त समाज और सुशासन केवल किसी एक संस्था या व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी का सामूहिक दायित्व है। भारत 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रशासनिक तंत्र में ईमानदारी, दक्षता और निष्ठा का समावेश अत्यंत आवश्यक है।

रेलवे जैसे विशाल संगठन में, जहाँ प्रतिदिन लाखों नागरिक हमारी सेवाओं से जुड़े हैं, सतर्कता केवल विभागीय दायित्व नहीं बल्कि प्रत्येक रेलकर्मि का व्यक्तिगत कर्तव्य है। भ्रष्टाचार से न केवल कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि जनता का विश्वास भी डगमगा जाता है। इसलिए हमें अपने-अपने क्षेत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता को अपनाकर संगठन की साख को और मजबूत करना होगा।

मुझे प्रसन्नता है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सतर्कता विभाग द्वारा इस अवसर पर सतर्कता बुलेटिन प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न केस-स्टडी, सुधारात्मक पहल तथा क्या करें और क्या न करें जैसे उपयोगी विषय शामिल किए गए हैं। मुझे विश्वास है कि यह बुलेटिन सभी रेलकर्मियों को सत्यनिष्ठा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित करेगा।


तरुण प्रकाश

डी के सिंह
प्रधान कार्यकारी निदेशक (सतर्कता)
D.K. Singh
PED (Vigilance)



Vigilance Awareness Week is observed annually to highlight the importance of integrity, ethics and moral conduct in public life, reaffirming our collective commitment to these values. This year's theme "सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी - *Vigilance: Our Shared Responsibility*", as chosen by the Central Vigilance Commission, emphasizes the collective role of citizens and institutions in building a transparent and accountable society.

In line with the CVC's directions, Indian Railways has launched a three-month long campaign from 18th August to 17th November, 2025 with centered focus on preventive vigilance and systemic improvements. Our efforts aim not only at curbing corruption but also simplify procedures, ensuring fair and just decisions at every level which is critical in promoting integrity and trust in governance.

Let us reaffirm our resolve to make vigilance a shared value. This can be achieved by reporting misconduct, adhering to ethical practices and encouraging transparency in all our actions. Together, we can foster an environment where integrity is the norm, not an exception.

I extend my sincere greetings to all who are contributing to this cause and wish everyone a meaningful and successful Vigilance Awareness Week.



(D.K. Singh)



प्रस्तावना

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का सतर्कता संगठन ईमानदारी, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व जैसे शाश्वत मूल्यों के प्रति पूर्णतः समर्पित है- जो नैतिक शासन और संस्थागत उत्कृष्टता के मूल स्तंभ हैं। "सतर्कता - हमारी साझा जिम्मेदारी" की राष्ट्रीय थीम के अनुरूप सतर्कता जागरूकता अभियान भारतीय रेल द्वारा स्थापित नैतिक मूल्यों को संस्थागत आचरण में रूपांतरित करने के लिए एक सार्थक प्रयास है।

तेजी से बदलते प्रशासनिक व्यवस्था एवं डिजिटल युग में सतर्कता का अर्थ केवल निगरानी तक सीमित नहीं है। यह एक सक्रिय दर्शन है- जो रेल प्रणाली की कार्य संस्कृति को नैतिक नेतृत्व, निष्पक्षता के साथ सुदृढ़ करता है।

हमारे विशेष ध्यान योग्य केंद्र बिन्दु जैसे- शिकायतों एवं अनुशासनिक एवं DAR मामलों का उचित एवं शीघ्र निस्तारण, प्रणाली सुधार उपायों का समयबद्ध अनुपालन, कार्यप्रणाली में क्षमता निर्माण, परिसंपत्ति प्रबंधन तथा डिजिटल सशक्तिकरण- एक आत्मनियंत्रित, पारदर्शी एवं नैतिक संगठनात्मक प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। प्रत्येक पहल "विकसित भारत 2047" की राष्ट्रीय दृष्टि के अनुरूप हमारी कार्य-संस्कृति को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाती है।

आइए हम सभी यह संकल्प लें कि सत्यनिष्ठा हमारी सहज प्रवृत्ति, उत्तरदायित्व हमारी साझी संस्कृति और राष्ट्रसेवा हमारा सर्वोच्च कर्तव्य बने।

इस संस्करण में कुछ व्यावहारिक केस स्टडिज शामिल हैं जिसमें सतर्कता जाँच के उपरांत पाई गई अनियमितताओं को उजागर किया गया है, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की विभिन्न शाखाओं में अधिक पारदर्शिता के लिए कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं। इसके अलावा रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम एवं प्रासंगिक परिपत्र, क्या करे और क्या न करे भी शामिल हैं। सतर्कता संबंधित विशेष लेख, छात्रों द्वारा की गई चित्रकारी, रेल कर्मियों द्वारा कविता एवं निबंधों को भी इस संस्करण में शामिल किया गया है, जो की इसे अधिक रोचक एवं सहभागिता को प्रस्तुत करता है।

हम आशा करते हैं की उपरोक्त विषय एवं विचार, समस्त रेलवे कर्मियों को प्रासंगिक और उपयोगी लगेगा। मैं रेल संगठन को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और रेलकर्मियों की सक्रिय भागीदारी से सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए, पाठकों से बहुमूल्य और रचनात्मक सुझाव एवं प्रतिक्रिया की अपेक्षा करता हूँ।

इस संस्करण के प्रकाशन हेतु तथा सतर्कता जागरूकता अभियान के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन में रेलवे बोर्ड के सतर्कता विभाग एवं महाप्रबंधक द.पू.म. रेलवे के मार्गदर्शन के लिए विशेष आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही सभी विभागाध्यक्ष, रेल मण्डल प्रबंधक, शाखा अधिकारी एवं समस्त रेल कर्मियों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किए गए योगदान के लिए सतर्कता विभाग की ओर से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ।


(मनोज गुरुमुखी)

वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, द.पू.म. रेलवे

सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है।

मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए।

अतः मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि:

- जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूँगा;
- न तो रिश्वत लूँगा और ना ही रिश्वत दूँगा;
- सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूँगा;
- जनहित में कार्य करूँगा;
- अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूँगा;
- भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूँगा।

Integrity Pledge

I believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political and social progress of our country.

I believe that all stakeholders such as Government, citizens and private sector need to work together to eradicate corruption.

I realize that every citizen should be vigilant and commit to highest standards of honesty and integrity at all times and support the fight against corruption.

I, therefore, pledge:

- To follow probity and rule of law in all walks of life;
- To neither take nor offer bribe;
- To perform all tasks in an honest and transparent manner;
- To act in public interest;
- To lead by example exhibiting integrity in personal behavior;
- To report any incident of corruption to the appropriate agency.

अस्वीकरण

यह बुकलेट मात्र सांकेतिक है, अपने आप में सुविस्तृत नहीं। यह संबंधित विषय पर किसी भी प्रकार से किसी नियम, प्रक्रिया तथा वर्तमान अनुदेशों / मार्गदर्शी सिद्धांतों को प्रतिस्थापित नहीं करता। इस बुकलेट में उल्लेखित प्रावधान किसी भी प्रकार से किसी भी रेलवे कोड एवं परिपत्रों का जिनका इसमें हवाला दिया गया है का अधिक्रमण नहीं करता एवं मामलों को सही संदर्भ में समझने के लिए इन्हें अन्य संगत पॉलिसी / सर्कुलर के समायोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इस बुकलेट को किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए एवं हां कहीं आवश्यक हो तो संबंधित विषय से संबंधित मूल आदेश को ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

DISCLAIMER

THE BOOKLET IS ONLY INDICATIVE AND IS BY NO MEANS EXHAUSTIVE. NOR IT IS INTENDED TO BE A SUBSTITUTE FOR RULES, PROCEDURES AND EXISTING INSTRUCTIONS/ GUIDELINES ON THE SUBJECT. THE PROVISIONS HEREIN DO NOT IN ANY WAY SUPERSEDE THE RULES CONTAINED IN ANY OF THE RAILWAY CODES AND THE CIRCULARS REFERRED TO HEREIN SHOULD BE READ BOTH INDIVIDUALLY AND IN CONJUNCTION WITH OTHER RELEVANT POLICY CIRCULARS FOR PROPER APPRECIATION OF THE ISSUES INVOLVED. THIS BOOKLET ALSO SHOULD NOT BE PRODUCED IN ANY COURT OF LAW AND WHEREVER NECESSARY, REFERENCE SHOULD ALWAYS BE MADE TO THE ORIGINAL ORDERS ON THE SUBJECT.

INFINITE PATIENCE, INFINITE
PURITY AND INFINITE
PERSEVERANCE ARE THE
SECRET OF SUCCESS IN A
GOOD CAUSE.



INDEX

Subject	Page No.
Case Studies/केस स्टडीज	1-18
System Improvements/प्रणाली में सुधार	19-30
DO's & DON'Ts/ क्या करें एवं क्या न करें	31-50
पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण अधिकारियों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ - आई.आर.वी.एम. (IRVM) दिशानिर्देश एवं कोडल प्रावधानों के अनुसार (हिंदी एवं अंग्रेजी) श्री मनोज गुरुमुखी, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	51-59
सिस्टम “V” जीवन चक्र (System Life Cycle) और आर ए एम एस (RAMS) रूपरेखा (विश्वसनीय, संरक्षित और सतत् कार्यरत रेलवे प्रणाली के लिए इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन का आश्वासन) (हिंदी एवं अंग्रेजी) श्री मनोज गुरुमुखी, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	60-67
“Corruption and Bribery – A Menace by Few, Suffering to All” श्री अजय पटेल, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (इंजीनियरिंग)/द. पू. म. रेलवे	68-70
“IT Initiatives in Indian Railways” श्री बी बी बिसोई, मुख्य सतर्कता निरीक्षक (इलेक्ट्रिकल)/द. पू. म. रेलवे	71
“IR's VISION AND ROLE OF VIGILANCE” श्री अंकित परमार, मुख्य सतर्कता निरीक्षक (लेखा)/द. पू. म. रेलवे	72
“Corruption and its impact on Modern Society” श्री रूप लाल बागे, मुख्य सतर्कता निरीक्षक (इलेक्ट्रिकल)/द. पू. म. रेलवे	73
“सतर्कता की ज्योति” श्री विकास सोनी, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (ई एवं एस)/द. पू. म. रेलवे	74
“नया भारत” श्रीमति नीलिमा वर्मा, सतर्कता निरीक्षक (अभियांत्रिकी)/ द. पू. म. रेलवे	75
“सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी” श्री डी. आदित्य कुमार, कार्य अध्ययन निरीक्षक/ मुख्यालय, द. पू. म. रेलवे	76
“Vigilance – Our shared responsibility/ सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी” श्री दीपक कुमार प्रसाद, मुख्य सतर्कता निरीक्षक (यांत्रिक)/द. पू. म. रेलवे	77
“रिश्त का रोग” श्री रंजीत कुमार भासकर, मुख्य सतर्कता निरीक्षक (इंजीनियरिंग)/द. पू. म. रेलवे	78
“भ्रष्टाचार के उन्मूलन से ही देश की प्रगति संभव है” श्री श्याम कुमार मौर्य, मुख्य सतर्कता निरीक्षक (कार्मिक)/द. पू. म. रेलवे	79-80
“ईमानदारी की जीत” श्री रंजीत कुमार भासकर, मुख्य सतर्कता निरीक्षक (इंजीनियरिंग)/द. पू. म. रेलवे	81
“गीता का संदेश: कर्म, अकर्म और विकर्म की गहराई” श्री बृजनंदन सिंह, मुख्य सतर्कता निरीक्षक (स्टोर)/द. पू. म. रेलवे	82-83
“Vigilance: Our Shared Responsibility” श्री अर्नब घोष, सहायक (द. पू. म. रेलवे मिश्रित उच्च माध्यमिक विद्यालय/ नैनपुर)	84-85
Essays	86-91
Photographs & Drawings	92-105
Corruption Index	106
List of Some Important Courses available on iGOT Platform	107-112
40 ways of Embezzlement - By Chankya (Kautilya's) Arth Shastra	113

केस स्टडी

इंजीनियरिंग

1. केस स्टडी – I (तेह बाजारी)

16.08.2024 को एसईसी रेलवे के एक स्टेशन पर किए गए सतर्कता निरीक्षण के दौरान, तहबाजारी राजस्व संग्रह प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। पाया गया कि संबंधित एसएसई बिना किसी उचित बहीखाते या आधिकारिक रिकॉर्ड के, प्रति ठेला 10 रुपये और प्रति फर्श दुकान 5 रुपये की दर से मैनुअल रूप से संग्रह कर रहा था। हालाँकि 25 रुपये मूल्यवर्ग के बाजार टिकट जारी किए जाने थे, जो एसईसी रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन व्यवहार में, 5 रुपये, 10 रुपये और 25 रुपये के टिकटों का मनमाने ढंग से उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, टिकटों की अनुपलब्धता के कारण, 28.09.2024 से 19.12.2024 के बीच लगभग 80 दिनों तक राजस्व संग्रह नहीं हो सका।

स्वीकृत दरों का कोई सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं था, दैनिक संग्रह का कोई दस्तावेजीकरण नहीं था, और रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2005/एलएमएल/18/8 दिनांक 08.06.2005 के अनुसार दरों में वार्षिक संशोधन नहीं किया गया था। मैनुअल और अनियमित राजस्व संग्रह की यह व्यवस्था पिछले 13 वर्षों से बिना किसी सुधारात्मक कार्रवाई के जारी थी।

जैसा कि आईआरडब्ल्यूएम पैरा 828 में उल्लेख किया गया है, "प्रत्येक ईईएन वर्ष में एक बार रेलवे भूमि से घास, फलों के पेड़, मछली तालाब आदि जैसे आय के मौजूदा स्रोतों का विस्तृत सर्वेक्षण करेगा, जिसमें वसूल की जाने वाली बकाया राशि भी शामिल होगी।" संबंधित एडीईएन इन चल रही अनियमितताओं का पता लगाने और रिपोर्ट करने में विफल रहे।

उपरोक्त अनियमितताओं को देखते हुए, संबंधित एसएसई को प्रमुख आरोप-पत्र और संबंधित एडीईएन को चेतावनी जारी की गई। तहबाजारी शुल्क वसूली में पारदर्शिता, जवाबदेही और रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, व्यवस्था में सुधार के भी सुझाव दिए गए।

2. केस स्टडी –II (रेलपथ स्टोर)

पी. वे स्टोर्स के सतर्कता निरीक्षण के दौरान, उपभोज्य वस्तुओं, विशेष रूप से ब्रेफाइड ग्रीस के लेखांकन में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। लेजर बैलेंस और ब्राउंड बैलेंस के बीच बहुत बड़ा अंतर पाया गया, रिकॉर्ड ठीक से अपडेट नहीं किए गए और पर्यवेक्षी निरीक्षण रिकॉर्ड नहीं किए गए। एक मामले में, ब्रेफाइड ग्रीस की अधिक मात्रा का पता चला, जिसके लिए फील्ड अधिकारियों ने बताया कि वृद्धि एक्सल ऑयल/लुब्रिकेंट ऑयल के ब्रेफाइड ग्रीस के साथ मिश्रण के कारण हुई थी। हालांकि, स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इस तरह के मिश्रण से ग्रीस की रासायनिक संरचना और विपचिपापन बदल जाता है, जिससे ट्रैक रखरखाव में इसका मूल उद्देश्य विफल हो जाता है। तदनुसार, एसएसई/पी. वे (प्रभारी) और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (स्टोर) के खिलाफ बड़ी पेनल्टी चार्जशीट जारी की गई, और फील्ड अधिकारियों को एक संवेदनशीलता पत्र वितरित किया गया।

यह मामला लेखांकन और महंगी उपभोग्य सामग्रियों के प्रबंधन में अनियमितताओं को उजागर करता है, जिसमें खराब रिकॉर्ड रखरखाव, पर्यवेक्षी जाँच का अभाव और क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा अपनाई गई अस्वास्थ्यकर प्रथाओं की ओर इशारा किया गया। ऐसी चूक सतर्कता संबंधी चिंताओं और तकनीकी मानकों पर सवाल उठाती हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रणाली में सुधार के सुझाव दिए गए हैं, जिनमें स्टॉक रिकॉर्ड का समय पर अद्यतनीकरण, अनिवार्य पर्यवेक्षी निरीक्षण, सामग्री सही उपयोग के बारे में कर्मचारियों को जागरूक करना और आकरिमक जाँच के माध्यम से सख्त निगरानी शामिल है।

3. केस स्टडी –III (कंक्रीट के डिज़ाइन मिश्रण में कमियाँ)

उच्च श्रेणी के कंक्रीट की गुणवत्ता के संबंध में विभिन्न सतर्कता जांचों के दौरान, यह देखा गया कि कंक्रीट के लिए मिश्रण डिज़ाइन अक्सर उच्च सीमेंट सामग्री के साथ तैयार और अनुमोदित किए जाते हैं।

एक ही पल में, बिना किसी मिलावट के प्रति घन मीटर कंक्रीट में 425 किलोग्राम सीमेंट का उपयोग करके एक मिश्रण डिज़ाइन रिपोर्ट तैयार की गई। उस मिश्रण डिज़ाइन का उपयोग करके तैयार किए गए कंक्रीट क्यूब्स ने 28 दिनों में 39.135 न्यूटन/मिमी 2 की संपीड़न शक्ति प्राप्त की, जो आवश्यक शक्ति से काफी अधिक थी।

CASE STUDIES

Engineering

1. Case Study – I (Teh Bazari)

During a vigilance inspection conducted at one of the stations of SEC Railway on 16.08.2024, serious irregularities were observed in the Teh-Bazari revenue collection process. It was found that the concerned SSE was collecting Rs.10/- per thela and Rs.5/- per floor-sitting shop manually, without maintaining any proper ledger or official records. Although Bazar tickets of Rs.25/- denomination were supposed to be issued which was provided by S E C Railway, but in practice, tickets of Rs.5/-, Rs.10/-, and Rs.25/- were used arbitrarily. Additionally, due to non-availability of tickets, revenue could not be collected for approximately 80 days between 28.09.2024 and 19.12.2024

There was no public display of approved rates, no documentation of daily collections, and the rates had not been revised annually as required vide Railway Board's letter No. 2005/LML/18/8 dated 08.06.2005. This system of manual and irregular revenue collection had been continued for over past 13 years without corrective action.

As mentioned under IRWM para 828 "once a year each AEN will arrange a detailed survey of existing sources of earnings like grass, fruit trees, fish ponds etc., from Railway land including outstanding dues to be recovered. "The concerned ADEN failed to detect and report these ongoing irregularities."

In view of the above irregularities Major Chargesheet were issued to Concerned SSE and Recording warning to Concerned ADEN. To ensure transparency, accountability, and compliance with Railway Board's guidelines in the collection of Teh-Bazari charges, system improvements were also suggested.

2. Case Study – II (P-Way Store)

During vigilance inspections of P. Way stores, serious irregularities were noticed in the accountal of consumable items, particularly Graphite Grease. A huge difference was observed between the ledger balance and the ground balance, with records not properly updated and supervisory inspections not recorded. In one case, excess quantity of Graphite Grease was detected, for which field officials explained that the increase was due to mixing of axle oil/lubricant oil with graphite grease. However, the clarification was not accepted since such mixing changes the chemical composition and viscosity of the grease, defeating its basic purpose in track maintenance. Accordingly, major penalty charge sheets were issued against the SSE/P. Way (In-charge) and Ch. OS (Store), and a sensitization letter was circulated to field officials. In another inspection, huge shortage of Graphite Grease was observed, for which minor penalty charge sheets were issued to the concerned SSE and OS.

The case highlights irregularities in accountal and handling of costly consumables, pointing to poor record maintenance, lack of supervisory checks, and unhealthy practices adopted by field staff. Such lapses attract vigilance concerns and questioning technical standards. To prevent recurrence, system improvements have been suggested, including timely updating of stock records, mandatory supervisory inspections, sensitization of staff regarding correct usage of materials, and strict monitoring through surprise checks.

3. Case Study – III

During various vigilance investigations regarding the quality of high-grade concrete, it was observed that mix designs for concrete are often prepared and approved with higher cement content.

In one instant, a mix design report was prepared using 425 kg of cement per CUM of concrete without admixture. Concrete cubes prepared using that mix design achieved a 28 Days compressive strength of 39.135 N/mm² significantly higher than the required strength.

अलाभकारी होने के अलावा, सीमेंट की अधिक मात्रा संरचना में तापीय संकुचन का कारण बनती है और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। पीसीई परिपत्र संख्या 208/2021 में, रेलवे संरचनाओं के लिए कंक्रीट मिश्रण डिज़ाइन में अधिकतम सीमेंट सामग्री की मार्गदर्शक सीमाएँ सुझाई गई थीं, जिसमें यह सुझाव भी शामिल था कि पानी/पानी अनुपात बढ़ाने के बजाय, कम सीमेंट की आवश्यकता के साथ पर्याप्त मज़बूती वाला कंक्रीट प्राप्त करने के लिए उपयुक्त मिश्रणों का उपयोग करके कंक्रीट की उत्तम कार्यशीलता प्राप्त की जा सकती है।

इसके आलोक में, एसईसीआर/सतर्कता ने पीसीई/एसईसीआर को पीसीई/सीआर के परिपत्र संख्या 208/2021 में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुरूप कंक्रीट में सीमेंट सामग्री की वांछनीय सीमा के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने की सिफारिश की।

इलेक्ट्रिकल एवं सिगनल

1. केस स्टडी - I

A. काचेवानी स्टेशन (SECR) पर बड़े पैमाने पर केबल कट

1. 28.08.2023 को नागपुर मंडल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के काचेवानी स्टेशन पर बाहरी व्यक्ति द्वारा बड़े पैमाने पर केबल काटने और क्षतिग्रस्त करने की घटना हुई। केबल 1 फीट की गहराई पर बिछाई गई थी और काचेवानी स्टेशन पर किए गए कार्य का कोई साइट रिकॉर्ड तैयार नहीं किया गया है।

कार्य के उचित निष्पादन में गंभीर खामियां पाई गई हैं तथा कार्य से जुड़े कार्यकारी और संविदात्मक एजेंसी दोनों द्वारा अनुबंध समझौते की शर्तों और नियमों के अनुसार सुरक्षा संबंधी सिग्नलिंग कार्यों के उचित निष्पादन के लिए निर्धारित कई प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है।

2. अनियमितताएं:

- काचेवानी यार्ड में एक स्थान पर केबल अपर्याप्त गहराई पर बिछाई गई थी, जिसके कारण शराती गतिविधियां हुई और केबल कट गई।
- कम गहराई में केबल बिछाने का कार्य न केवल दोषपूर्ण है, बल्कि सुधार योग्य भी नहीं है और इसलिए सी.ए. का अनुपालन नहीं हो रहा है।
- दैनिक कार्य प्रगति रजिस्टर या किसी अन्य साइट रजिस्टर को बनाए रखने में विफल।
- इसके अलावा पर्याप्त और प्रभावी जांच न करने के कारण कार्य की गुणवत्ता खराब हो जाती है।

3. कार्रवाई की:

- एसएसई/सिग/कॉन/नागपुर पर बड़ा जुर्माना
- तत्कालीन डीएसटीई/कॉन/गोंदिया को मामूली दंड
- उप को रिकार्ड की गई चेतावनी। सीएसटीई/कॉन/एनजीपी

B. सिग्नलिंग केबल की गुणवत्ता:

1. सिग्नलिंग /पावर केबल की गुणवत्ता जांच के श्रुत क्षेत्र मद के अनुसार, 24Cx1.5 वर्ग मिमी केबल की गुणवत्ता की जांच स्टोर और साइट पर की गई।
2. प्रेषिती के स्टोर पर, केबल के अंत में, क्रॉस सेक्शन 1.59 वर्ग मिमी पाया गया, अर्थात् सीमा के भीतर।
3. साइट पर, ड्रम के मध्य में केबल की जांच की गई, औसत व्यास 1.1519 मिमी पाया गया और परिणामी क्रॉस सेक्शन 271 मीटर पर 1.0414 वर्ग मिमी है।
4. औसत व्यास 1.1413 मिमी पाया गया और परिणामी क्रॉस सेक्शन 276 मीटर पर 1.0266 वर्ग मिमी है।
5. इस प्रकार ड्रम के मध्य में केबल का आकार 30% कम पाया गया।
6. विक्रेता मेसर्स आरएमएस पावर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, भिवंडी, जिला: अलवर (राजस्थान) है।
7. रिपोर्ट आने की कार्रवाई के लिए सतर्कता/आरडीएसओ को प्रस्तुत की जाती है।

Apart from being uneconomical, higher cement content causes thermal shrinkage to structure and adversely impacts the environment. In a PCE circular vide Circular No. 208/2021, guiding limits on maximum cement content in concrete mix design for railway structures were suggested, including the recommendation that instead of increasing the W/C ratio, higher workability of concrete can be achieved by using suitable admixtures to obtain concrete of adequate strength with reduced cement requirement.

In light of this, SECR/Vigilance recommended to PCE/SECR to issue necessary guidelines regarding the desirable range of cement content in concrete aligning with principles outlined in PCE/CR's circular No. 208/2021.

Electrical & Signal

1. Case Study - I

A. Massive Cable Cut at Kachewani station (SECR)

1. On 28.08.2023 an incidence of massive cable cut and damaged by outsider at Kachewani station of Nagpur Division, SECR. Cable was laid at depth of 1 foot and no site record has been prepared for the work executed at KWN station.

There have been serious lapses in proper execution of work as well as non-adherence to many laid down procedures for proper execution of safety related signaling works as per Terms & Conditions of Contract Agreement, both by executive and contractual agency associated with the work.

2. Irregularities:

- Cable was laid at insufficient depth at one place in Kachewani Yard, which led to miscreant activity and cable cut.
- Work of cable laying in low depth is not only deficient but also not correctable and hence non-compliance of C.A.
- Failed to maintain the Daily Works Progress Register or any other site register.
- Also not exercising adequate and effective checks resulting in poor quality of work

3. Action taken:

- Major Penalty to SSE/Sig/Con/Nagpur
- Minor Penalty to the then DSTE/Con/Gondia.
- Recorded warning to Dy. CSTE/Con/NGP

B. Quality of signalling cable:

1. As per the thrust area item of 'Quality check of signalling/ power cable', quality of 24Cx1.5 sqmm cable was checked at stores and at site.
2. At the stores of the consignee, at end of the cable, the cross section was found to be 1.59 sqmm, i.e. within limit.
3. At site, the cable was checked at middle of the drum, the average diameter was found to be 1.1519mm and resultant cross section is 1.0414 sqmm at 271 Mtrs.
4. The average diameter was found to be 1.1413mm and resultant cross section is 1.0266 sqmm at 276 Mtrs.
5. Thus, the cable was found to be 30% undersize in middle of the drum.
6. The Vendor is M/s RMS Power Solution Pvt Ltd, Bhiwandi, Distt: Alwar (Raj.)
7. The report is submitted to Vigilance/RDSO for further action.

C. बिजली केबल की गुणवत्ता :

1. GeM पर LT XLPE 4Cx50 sq mm आर्मर्ड केबल की आपूर्ति के लिए फर्म "X" को पीओ दिया गया।
2. अन्य रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सामग्री की जांच स्टोर डिपो में की गई, जहां सामग्री प्राप्त हुई थी।
3. विनिर्देश के अनुसार, केबल में 7 तार होने चाहिए, जिनमें से प्रत्येक 3.015 मिमी व्यास। कवच में 14 पट्टियाँ होनी चाहिए ।
4. केबल का आकार छोटा था। तारों का व्यास 2.4 मिमी से 2.57 मिमी तक भिन्न था ।
5. केबल कोर का औसत क्रॉस सेक्शन 27.15 वर्ग मिमी से 34.37 वर्ग मिमी तक भिन्न था, यानी 40% कम
6. प्रत्येक कोर में सिरों पर 7 स्टैंड उपलब्ध थे, लेकिन बीच में केवल 6 पट्टियाँ उपलब्ध थीं। इसी प्रकार, सिरों पर 14 कवच पट्टियाँ उपलब्ध थीं, लेकिन बीच में केवल 10 पट्टियाँ देखी गईं:



केबल का अंत



केबल का मध्य

स्टोर एवं मैकेनिकल

1. केस स्टडी - I (स्टोर)

- a. लॉट निर्माण और स्क्रेप की डिलीवरी के संबंध में की गई निवारक जांच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:
- लॉट-ए जिसमें "रिलीज़ किए गए अनुपयोगी वैगन घटक (कास्ट स्टील) जैसे कपलर बॉडी, ड्राफ्ट गियर, फ्रंट फॉलोवर, योक, योक पिन सपोर्ट प्लेट, एडॉप्टर आदि" शामिल थे, को ई-नीलामी में बेचा गया।
- अन्य लॉट-बी जिसमें "साइड और एंड बॉडी, फ्लोर शीट, फ्लोर चैनल, सोल बार, हेड स्टॉक, अंडरगियर कंपोनेंट और जारी किए गए अनुपयोगी दरवाजे के कटे हुए मिश्रित लोहे और वैगन बॉडी स्क्रेप (एमएमएस)" शामिल थे, को ई-नीलामी में बेचा गया।
- जबकि लॉट-सी में साइड बॉडी और एंड बॉडी, फ्लोर शीट, फ्लोर चैनल, सोल बार, हेड स्टॉक, अंडर गियर कंपोनेंट, दरवाजे, सीबीसी कंपोनेंट आदि के कटे हुए मिश्रित लोहे और वैगन बॉडी स्क्रेप (एमएमएस) शामिल थे, जिसे ई-नीलामी में बेचा गया।
- कास्ट स्टील आइटम (अर्थात कपलर बॉडी, ड्राफ्ट गियर, योक आदि) वाले लॉट-ए की बिक्री दर लॉट-बी की तुलना में अधिक थी, जिसमें मिश्रित लोहा और वैगन बॉडी स्क्रेप (एमएमएस) आदि शामिल हैं। हालांकि, लॉट-सी, जिसमें उच्च मूल्य वाले कास्ट स्टील घटक और मिश्रित लोहा और वैगन बॉडी स्क्रेप (एमएमएस) आदि दोनों शामिल हैं, लॉट-बी के समान कम दर पर बेचा गया था।
- स्क्रेप लॉट निर्माण प्रक्रिया के दौरान उच्च-मूल्य वाले कास्ट स्टील घटकों (सीबीसी घटकों आदि) का प्रतिशत या भार पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित या इंगित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप लॉट-सी का इष्टतम विक्रय मूल्य प्राप्त नहीं हो सका। इसके अलावा, इससे बेचे गए स्क्रेप लॉट की डिलीवरी के दौरान अनियमितताओं की संभावना भी बढ़ गई है।

C. Quality of power cable:

1. P.O. was placed on Firm “X” for supply of LT XLPE 4Cx50 sq mm armoured cable on GeM.
2. As per information received from other Railways, the material was checked at store depot, where material was received.
3. As per the specification, the cable should have 7 strands, each of 3.015 mm diameter. The armour should have 14 strips.
4. The cable was undersize. Diameter of strands varied from 2.4mm to 2.57mm.
5. The average cross section of the cable core varied from 27.15 sqmm to 34.37 sqmm. i.e. undersize by 40%
6. At the ends, 7 strands were available in each core, but in the middle, only 6 strands were available. Similarly, at ends, 14 armour strips were available but in the middle, only 10 strips were observed:



End of cable with 7 strands



Middle of cable 6 strands

Stores & Mechanical

1. Case Study-I (Store)

- a.** During a preventive check conducted in connection with lot formation and sale delivery of scrap, the following irregularities have been observed:

Lot-A comprising of “Released unserviceable wagon components (Cast Steel) like Coupler body, draft gear, front follower, yoke, yoke pin support plate, adopters etc” was sold in e-auction.

Other Lot-B comprising of “Cut up Mixed Iron and wagon body scrap (MMS) of side and end body, floor sheet, floor channel, sole bar, head stock, undergear components and released unserviceable doors” was sold in e-auction.

While Lot-C comprising of “Cut up Mixed iron and wagon body scrap (MMS) of side body and end body, floor sheet, floor channel, sole bar, head stock, under gear components, doors, CBC components etc” was sold in e-auction.

The sale rate of Lot-A containing cast steel items (i.e. Coupler body, draft gear, yoke etc.) was higher than that of Lot-B, which comprises mixed iron & wagon body scrap (MMS) etc. However, Lot-C, which includes both high-value cast steel components and mixed iron & wagon body scrap (MMS) etc. was sold at the same lower rate as that of Lot-B.

The percentage or weight of high-value cast steel components (CBC components etc.) was not adequately reflected or indicated during the scrap lot formation process which might have not result the optimal sale value for the Lot-C. Further, this has also increased the chances of irregularities during delivery of sold scrap lot.

- b. इसके अलावा, एसआरओ में एक विशिष्ट टिप्पणी/नोट का उल्लेख किया गया था:
"जब भी वितरण कार्यक्रम/शेड्यूल तय किया जाता है, तो उसे सतर्कता विभाग को सूचित किया जाना चाहिए"।
हालाँकि, यह देखा गया कि स्ट्रैप डिलीवरी शेड्यूल की सूचना सतर्कता विभाग को समय पर नहीं भेजी गई, जिसके परिणामस्वरूप एसआरओ में उल्लिखित उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन/उल्लंघन हुआ। परिणामस्वरूप, निर्दिष्ट प्रक्रिया को नज़रअंदाज़ कर दिया गया।

2. केस स्टडी - II (स्टोर)

स्ट्रैप सामग्री वितरण के एक मामले में, यह देखा गया कि प्रस्तावित लॉट की सभी स्ट्रैप सामग्री को ट्रकों में लोड करने के बाद, स्ट्रैप सामग्री कम पाई गई। अंतिम भार को संतुलित करने के लिए रेलवे कर्मचारियों द्वारा किराए पर लिए गए रेलवे वाहन में लाई गई सामग्री (लेकिन प्रस्तावित न किए गए स्ट्रैप लॉट से) को जोड़ा गया। फिर भी, सामग्री कम पाई गई। कम वितरण से बचने के लिए, पुनः, रात के समय भार समायोजन के लिए प्रस्तावित न किए गए स्ट्रैप सामग्री को लाने का प्रयास किया गया। इस प्रकार, कम वितरण प्रक्रियाओं के अनुसार स्ट्रैप वितरण को अंतिम रूप नहीं दिया गया।

3. केस स्टडी - I (मैकेनिकल)

ठेकेदार से अनुचित जुर्माना लगाकर उत्पीड़न करने तथा अवैध स्थित की मांग करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। यह कार्य "भारतीय रेल के वर्कशॉप/कोचिंग डिपो से असेंबल किए गए बोगियों के सड़क परिवहन के लिए ट्रक/ट्रेलर को 2 वर्ष की अवधि के लिए किराये पर लेने" से संबंधित था।

दंड संबंधी खंड में विभिन्न स्थितियों के लिए तीन अलग-अलग दंड निर्धारित किए गए थे:

- लिखित या एसएमएस/फैक्स/ई-मेल या टेलीफोन के माध्यम से सूचना देने के 24 घंटे के बाद वाहन तैनात करने पर प्रतिदिन 1000 रुपये तथा प्रति घंटे 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- लोडिंग प्वाइंट से प्रस्थान के बाद डिलीवरी अवधि के बाद वर्कशॉप या कोचिंग डिपो तक पहुंचने की स्थिति में प्रति अतिरिक्त घंटे 50 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
- यदि ट्रक/ट्रेलर समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो ट्रक को स्वीकार/अस्वीकार करना रेलवे प्रशासन का विवेकाधिकार होगा तथा ट्रक उपलब्ध न कराने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

दंड की स्पष्टता में कमी विवाद और शिकायतों का मूल कारण बन गई है।

दंड लगाने की विशेष शर्त के साथ "विवेक" शब्द रखना सही नहीं है।

संबंधित कर्मचारी ने ठेकेदार की विफलता/अनुपालन न करने का उचित रिकॉर्ड (अर्थात् दंडवार और तिथिवार) नहीं रखा, जिस पर ठेकेदार और कार्यकारी दोनों ने हस्ताक्षर किए हों, और दंड लगाने समय अपने विवेक का इस्तेमाल किया। साथ ही, उन्होंने दंड विवरण में ट्रेलर की आवाजाही के समय का भी उल्लेख नहीं किया था।

4. केस स्टडी - II (मैकेनिकल)

संवेदनशील पदों पर कार्यरत रेल कर्मचारियों की निवारक जांच के दौरान यह पाया गया कि:

- एक कर्मचारी निविदा अनुभाग में 07 वर्षों से अधिक समय से तैनात था, जो रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2008/वी-1/सीवीसी/1/4, दिनांक 18.02.2009 के अनुसार संवेदनशील पदों पर रेल कर्मचारियों के लिए निर्धारित 4 वर्ष की कार्यकाल सीमा से काफी अधिक था।
- एक अन्य कर्मचारी बिल अनुभाग में 08 वर्ष से अधिक समय से तैनात था, जो संवेदनशील पदों के लिए निर्धारित 4 वर्ष के कार्यकाल से भी अधिक है।



- b. Further, in SRO a specific remark/NOTE is mentioned as:

“Whenever the delivery programme/schedule is fixed, the same should be intimated to the Vigilance”.

However, it is observed that intimation regarding the scrap delivery schedule was not sent to Vigilance in a timely manner, thereby resulting in non-compliance/violation of the above instruction mentioned in SRO. Consequently, the specified procedure was bypassed.

2. Case Study-II (Store)

In one of the scrap material delivery case, it is observed that after loading of all the scrap material of offered lot into the trucks, scrap material was found short. The material (but from unoffered lot of scrap) carried by railway officials in railway hired vehicle for balancing the final weight was added. Still, material was found short. Again, an attempt was made to bring unoffered scrap material for load adjustment during night time to avoid the short delivery. Thus, the scrap delivery was not finalized as per the short delivery procedures.

3. Case Study-I (Mechanical)

A complaint was received from the contractor regarding harassment by imposing improper penalty, demanding illegal gratification.

The work was for “Hiring of truck/trailer for road transportation of assembled bogies from workshop/coaching depots of IR and vice versa for a period of 2 years.

In Penalty clause three different penalty was framed for different conditions:

- (i) Imposition of penalty in case deployment of vehicle after 24 Hrs. of intimation on writing or through SMS/FAX/E-mail or telephonically, a penalty of Rs. 1000/- will be imposed per day and there of Rs. 100/- per hour.
- (ii) In case of reaching workshop or coaching depot beyond the delivery period after departure of loading point a fine up to Rs. 50/- will be imposed per additional hour.
- (iii) In case truck/trailer is not provided on time, it shall be the discretion of the Railway administration to accept/reject the truck and penalty for non-provision of truck shall be imposed.

The deficiency in clarity of penalty has become the root cause for the dispute and complaints.

Keeping "discretion" word, with the special condition of Imposition of penalty, is not correct.

The concerned staff did not maintain proper record of failure/non-compliance of contractor, (i.e. penalty wise & date wise) duly signed by both the Contractor & the Executive and used his own discretion while imposing penalty. Also, he had not mentioned timing of trailer movement in penalty statement

4. Case Study-II (Mechanical)

During a Preventive Check of Officials working in sensitive posts, it has been observed that:

- a. One Staff was posted in the Tender Section for more than 07 years, significantly exceeding the prescribed 4 years tenure limit for officials in sensitive posts as per Railway Board letter No. 2008/V-1/CVC/1/4 date 18.02.2009.
- b. Another Staff was posted in the Bill Section for more than 08 years, which also significantly exceeds the stipulated tenure of 4 years for sensitive posts.



यातायात

1. केस स्टडी – I (EIMWB-BUA)

a. माननीय लोकसभा सांसद से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित आरोप लगाए गए:

- i. अधिकारियों की मिलीभगत से लोडिंग सीमा पूर्व निर्धारित कर दी जाती है, ताकि खनिज व्यापारियों को ओवरलोडिंग जुर्माना देने से रोका जा सके और वे अवैध कमाई कर सकें।
- ii. अनधिकृत व्यक्तियों को वेब्रिज में प्रवेश की अनुमति है।
- iii. बाहरी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपने अनुसार अनुकूलित लोडिंग शीट तैयार की जाती है और iCloud से वास्तविक डेटा हटा दिया जाता है।

b. इस मामले के निष्कर्ष:

टैम्परिन/प्रीसेट से संबंधित आरोप सतर्कता जाँच के दौरान आंशिक रूप से पुष्ट हुए। पिछली तौल शीटों की जाँच से एक समान पैटर्न का पता चला, जबकि अत्यधिक भार का पता केवल तभी चला जब तौल सतर्कता अधिकारियों की प्रत्यक्ष निगरानी में किया गया, जो एक स्पष्ट विसंगति का संकेत देता है।

इसके अलावा, जाँच के दौरान सीएएमसी प्रतिनिधि श्री निखिल सोनी द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे गए एक ईमेल से पता चला कि उन्होंने 12 अगस्त 2024 से बीयूए-एनआईए-यूएसएल स्टेशनों पर ईआईएमडब्ल्यूबी के सिस्टम सॉफ्टवेयर फ़ोल्डर को लॉक कर दिया था। उल्लेखनीय है कि ईआईएमडब्ल्यूबी/बीयूए पर ओवरलोडिंग की घटना उसी तारीख से शुरू हुई और 23 अगस्त 2024 तक जारी रही, जो कि श्री सोनी के ईमेल की तारीख है।

यह सहसंबंध दृढ़ता से इंगित करता है कि वेब्रिज सॉफ्टवेयर छेड़छाड़-प्रूफ नहीं है, और वजन संबंधी आंकड़ों में कंपनी के अधिकारियों, वेब्रिज मालिक/संरक्षक, या यहां तक कि बाहरी व्यापारियों द्वारा भी अपनी इच्छानुसार हेरफेर किया जा सकता है।

वेब्रिज पीसी तक रिमोट एक्सेस के सबूत मिले हैं, जो सिस्टम में बाहरी हस्तक्षेप की संभावना को दर्शाता है। लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में, इस आधार पर किसी भी रेलवे अधिकारी की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी निर्णायक रूप से स्थापित नहीं की जा सकती।

सतर्कता जाँच से पहले, ईआईएमडब्ल्यूबी-बीयूए में सतर्कता जाँच से पहले तौले गए रैक के तौल पत्रक एक समान पैटर्न में पाए गए, यानी इस तरह कि वैनगों के अनिवार्य भार समायोजन की सहनशील सीमा से अधिक भारी भार कई महीनों तक नहीं पाया गया। यह पैटर्न डेटा हेरफेर के अत्यधिक परिष्कृत तरीकों के इस्तेमाल की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करता है, जो संभवतः रेलवे अधिकारियों, सीएएमसी प्रतिनिधियों या सीएएमसी विक्रेता के पूर्व कर्मचारियों और मालवाहक ऑपरेटर की मिलीभगत से अंजाम दिया गया है। इसके अलावा, वेब्रिज पीसी में रिमोट एक्सेसिंग एप्लिकेशन 'अल्ट्राव्यूअर' सहित कई अनधिकृत सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन इंस्टॉल पाए गए, जिनकी आदर्श रूप से अनुमति नहीं थी।

इस मामले में निम्नलिखित कार्रवाई की सिफारिश की गई:

- वाणिज्यिक एवं यांत्रिक विभाग के छः दोषपूर्ण पर्यवेक्षी कर्मचारियों के विरुद्ध बड़ी सजा की अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है, जो ईआईएमडब्ल्यूबी/बीयूए के उचित रखरखाव और संचालन के लिए जिम्मेदार थे।
- जिम्मेदार एएमसी फर्म के खिलाफ उचित दंड/मौजूदा अनुबंध की समाप्ति तथा अनुबंध समझौते और मौजूदा नीति दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार 'व्यापार पर प्रतिबंध' लगाने के प्रस्ताव की संविदात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

केस स्टडी – II

दिनांक 09.09.2025 को, ट्रेन संख्या 22858 (आनंद विहार टर्मिनल - संतरागाछी) आनंद विहार टर्मिनल से दोपहर 1:25 बजे रवाना हुई। श्री कृपा शंकर दुबे (प्रशासकीय सहायक रसद) द्वारा पट्टे पर ली गई, आगे की एसएलआर संख्या एसआर 242439 में 210 पैकेटों का एक माल लदा हुआ था, जिसका वजन 3850 किलोग्राम था और जिसका मूल्य सूची के अनुसार ₹1,75,000/- था। यह स्थापित हो गया कि पट्टाधारक को सूची में उल्लिखित घोषित वजन से अधिक वजन लदे होने की पूरी जानकारी थी।

Traffic

1. Case Study-I (EIMWB-BUA)

- a.** A complaint was received from Hon'ble MP-Loksabha wherein following allegation were made by her:
- i. Loading limit is preset with the connivance of the officials to prevent minerals traders from paying overloading penalties and thereby they make illegal money.
 - ii. Unauthorized persons are allowed to enter the Weighbridge.
 - iii. Using external software, customized loading sheet is prepared according to their own and actual data is deleted from iCloud.
- b. Findings in the case:**

The allegation regarding Tamperin/Preset was partially substantiated during the course of the Vigilance investigation. Scrutiny of previous weighment sheets revealed a uniform pattern, whereas heavy overloading was detected only when weighment was conducted under direct supervision of Vigilance officials, which indicating a clear discrepancy.

Further, an email recovered during the investigation sent by the CAMC representative Shri Nikhil Soni to his senior officials — revealed that he had locked the system software folder of the EIMWB at BUA-NIA-USL stations from 12th August 2024. Notably, the occurrence of overloading at EIMWB/BUA commenced on the same date and continued until 23rd August 2024, which is the date of Mr. Soni's email.

This correlation strongly indicates that the weighbridge software is not tamper-proof, and that weighment data can be manipulated at will whether by the company officials, weighbridge owner/custodian, or even external traders.

Evidences of remote access to the Weighbridge PC was detected, indicating the possibility of external interference with the system. But in the absence of concrete evidence, individual responsibility of any Railway official cannot be conclusively established on this ground.

Prior to the Vigilance check, weighment sheets of rake weighed earlier to Vigilance check at EIMWB-BUA were found to be in a uniform pattern i.e. in such a way that heavy overloading in beyond the tolerant limit for mandatory load adjustment of a wagons was not being found for several months. This pattern strongly indicates the use of highly sophisticated methods of data manipulation, potentially executed through collusion among Railway officials, CAMC representatives or former employees of the CAMC vendor, and the freight operator. Also, various unauthorized software application including remote accessing application 'Ultraviewer' was found installed in weighbridge PC which was ideally not allowed.

Following action were recommended in this case:

- Disciplinary action of Major Penalty has been recommended against the Six numbers of deficient supervisory staff of Commercial & Mechanical department who were responsible for proper maintenance and operation of EIMWB/BUA.
- Contractual action against the responsible AMC firm of suitable penalty/termination of existing contract and proposal for 'Banning of Business' as per provision of contract agreement and extant policy guidelines has been recommended.

Case Study-II

On 09.09.2025, Train No. 22858 (Anand Vihar Terminal – Santragaachhi) departed from Anand Vihar Terminal at 13:25 hrs. In the front SLR No. SR 242439, leased by Shri Kripa Shankar Dubey (A.D. Logistics), a consignment of 210 packages weighing 3850 kgs and valued at ₹1,75,000/- as per the manifest was loaded. It was established that the leaseholder was fully aware of the loading of weight in excess of the declared weight mentioned in the manifest.

घटनाओं का कालक्रम:

1. एसएलआर 10.09.2025 को 19:40 बजे संतरागाछी पहुंचा, लेकिन अधिक वजन के कारण पट्टाधारक ने जानबूझकर माल को नहीं उतारा।
 2. उसी रेल को ट्रेन संख्या 22894 (संतरागाछी-साईनगर शिरडी) के रूप में परिवर्तित किया गया, जो 11.09.2025 को 13:55 बजे हावड़ा से खाना होगी, जिसे अब रियर एसएलआर के रूप में माना जाता है।
 3. 12.09.2025 को 05:20 बजे, बिलासपुर में, 4911.79 किलोग्राम वजन वाले 127 पैकेजों को ड्यूटी पर मौजूद पार्सल अधिकारियों की मिलीभगत से पार्सल एजेंट श्री परमानंद रोहड़ा द्वारा अवैध रूप से उतार दिया गया। हालाँकि, उपरोक्त मामले से संबंधित तथ्य का पता लगाने के लिए सतर्कता जांच चल रही है।
 4. उसी दिन सुबह 09:52 बजे गोंदिया रेलवे स्टेशन पर 42 पैकेज (375 किलोग्राम) भी उतारे गए, जिन्हें बाद में 19:35 बजे लीज्ड फ्रंट एसएलआर में ट्रेन संख्या 12070 द्वारा बिलासपुर पहुंचाया गया।
 5. सतर्कता/एसईसीआर ने सतर्कता/सीआर से संपर्क किया और उपर्युक्त मामले से अवगत हुआ, तत्पश्चात सतर्कता के हस्तक्षेप के बाद शेष 105 पैकेज जिनका वजन 3034.90 किलोग्राम था, अंततः 12.09.2025 को साईनगर शिरडी/स्टेशन/सीआर पर उतार दिए गए। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि उतारे गए वास्तविक कुल वजन 8 टन से अधिक था, जो घोषित वजन से काफी अधिक था।
- रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी प्रक्रियाएँ पूरी करने के बाद, वाणिज्यिक और सतर्कता अधिकारियों की उपस्थिति में बिलासपुर आवक कार्यालय में पैकेजों का संयुक्त निरीक्षण और सत्यापन किया गया। सभी पैकेज संबंधित पक्ष को सौंप दिए गए।
- उपरोक्त विसंगतियों के लिए पार्टी से बीएसपी स्टेशन पर विभिन्न एमआर प्रति के माध्यम से कुल जुर्माना 4,03,631 रुपये वसूला गया और इसके अतिरिक्त रेलवे नीति दिशानिर्देशों के आधार पर साई नगर श्रीडी/सीआर में घाटशुल्क और अन्य के लिए कुल 45000 रुपये वसूले गए।

कार्मिक

1. ग्रेड-सी पदों पर चयन में अनियमितताएं

ग्रेड-सी पद के लिए विभागीय चयन में अनियमितताओं के संबंध में एक शिकायत की जांच करते समय, जिसके लिए सीबीटी परीक्षा आयोजित की गई थी, निम्नलिखित अनियमितताएं/कमियां देखी गईं:

बैठने की व्यवस्था इतनी संकुचित थी कि उम्मीदवार एक-दूसरे से बहुत सटे हुए बैठे थे। उम्मीदवार अपने बगल वाले टर्मिनल देख पा रहे होंगे।

परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के बाद अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार उपलब्ध टर्मिनलों पर बैठे।

परीक्षा हॉल के सीसीटीवी फुटेज संरक्षित नहीं रखे गए थे और सतर्कता विभाग द्वारा जांच के लिए आवश्यकता पड़ने पर वे उपलब्ध नहीं थे।

प्रश्नपत्र में प्रश्नों का क्रम/क्रम संख्या अव्यवस्थित नहीं थी।

प्रश्नपत्र में अधिकांश प्रश्न पिछले चयन के प्रश्नपत्र से दोहराए गए थे।

रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर इस संबंध में निर्देश जारी किए जाने के बावजूद कोई प्रश्न बैंक उपलब्ध नहीं था [संदर्भ-आरबीई संख्या 168/22006 (ई/आर संख्या 235/2006), आरबीई संख्या 198/2018 (ई/आर संख्या 359/2018), आरबीई संख्या 97/2019 (ई/आर संख्या 164/2019 आदि।

प्रश्नपत्र तैयार करने वाले को प्रश्नपत्र तैयार करने के लिए दिया गया समय काफी अपर्याप्त था।

Chronology of Events.

1. The SLR arrived at Santragachi on 10.09.2025 at 19:40 hrs, but due to excess weight, the leaseholder did not unload the consignment by deliberately.
2. The same rake was converted as Train No. 22894 (Santragachi–Sainagar Shirdi), departing Howrah at 13:55 hrs on 11.09.2025, now treated as rear SLR.
3. On 12.09.2025 at 05:20 hrs, at Bilaspur, 127 packages weighing 4911.79 kgs were illegally unloaded by one Shri Parmanand Rohra, a parcel agent, with connivance of on duty parcel officials. However, for fact finding pertaining to the above case vigilance investigation is going on.
4. On the same day at 09:52 hrs at Gondia Railway Station, 42 packages (375 kgs) were also offloaded, which were subsequently transported to Bilaspur by Train No. 12070 in the leased front SLR at 19:35 hrs.
5. The vigilance/SECR contacted to vigilance/CR and aware pertaining to above mentioned case there after after vigilance interventioned the remaining 105 packages weighing 3034.90 kgs were finally unloaded at Sainagar Shirdi/ stn./CR on 12.09.2025. Thus, it was evident that the actual total weight unloaded was more than 8 tons, which was significantly higher than the declared weight."

A joint inspection and verification of packages was conducted at Bilaspur Inward Office in presence of Commercial and Vigilance Officials after completion of all procedure as per Railway board guidelines. The all packages were delivered to concerned party.

Total penalty for the above anomalies collected from party Rs. 4,03,631/- vide different MR copy at BSP station and in addition to this total Rs. 45000/- realized at Sai nagar Shirdi/CR for wharfage and others on the base of Railway Policy guidelines.

Personnel

A. Case Study-I

1. Irregularities in selection to the Gr. "C" posts

While investigating into a complaint regarding irregularities in a departmental selection for Gr.-C post, for which CBT examination was conducted, following irregularities/shortcomings were noticed:

The sitting arrangement was congested and the candidates were sitting very much close to each other. The candidates may be able to see the terminals besides them.

After entering into the exam hall, the candidates were sitting at the available terminals at their own choice.

CCTV footages of the examination hall were not kept preserved and were not available on requirement of the same to check by Vigilance.

The sequence/serial nos. of questions in the question paper were not jumbled.

The majority of questions in the question paper were repeated from the question paper of previous selection.

There was no question bank available, despite instructions in this regard have been issued by Rly Board from time to time [Ref.-RBE No. 168/22006 (E/R no. 235/2006), RBE No. 198/2018 (E/R No. 359/2018), RBE No. 97/2019 (E/R No. 164/2019 etc)].

The time given to the question paper setter to set the question paper was quite inadequate.

2. की गई कार्रवाई:

दोषी अधिकारी के विरुद्ध उचित प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

3. ऐसी स्थितियों पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित प्रणाली सुधार सुझाए गए हैं-

- 3.1 सीबीटी परीक्षाओं में, जहां भी बैठने की व्यवस्था संकुचित और पास-पास हो, वहां अभ्यर्थियों को एक टर्मिनल के अंतराल पर बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- 3.2 अभ्यर्थियों को सीबीटी परीक्षा में टर्मिनल पर केवल सिस्टम द्वारा उत्पन्न सीटों (रैंडम एल्गोरिदम का उपयोग करके) के माध्यम से बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए, न कि उनकी पसंद के अनुसार।
- 3.3 प्रत्येक परीक्षा के सीसीटीवी फुटेज को उचित अवधि (कम से कम 1 वर्ष) तक सुरक्षित रखा जाएगा। निर्दिष्ट अवधि के अंत में सीसीटीवी फुटेज का निपटान जेएजी से कम न हो, सक्षम प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति से किया जाएगा।
- 3.4 प्रश्न पत्रों में प्रश्नों का क्रम/क्रम एक जैसा नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए जैसे कि ए, बी, सी और डी, तथा उन्हें उसी क्रम में वितरित किया जाना चाहिए ताकि निकटवर्ती अभ्यर्थियों को एक ही समूह के प्रश्न पत्रों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।
- 3.5 प्रश्नपत्र तैयार करना एक बहुत ही संवेदनशील मामला है क्योंकि एक उपयुक्त उम्मीदवार के चयन की चयन प्रक्रिया की शुद्धता प्रश्नपत्रों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है ताकि उम्मीदवार के तकनीकी और व्यावहारिक ज्ञान की व्यापकता का परीक्षण किया जा सके, जिसमें डोमेन ज्ञान, कार्यात्मक ज्ञान और व्यवहारिक पहलू शामिल हैं, जैसा कि उसके कर्तव्यों के निर्वहन में भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की विशिष्ट प्रकृति में अपेक्षित है। इसलिए, प्रश्नपत्र तैयार करते समय उचित परिश्रम करना स्वाभाविक है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए सभी विभागों में पर्याप्त संख्या में प्रश्नों सहित 'प्रश्न बैंक' उपलब्ध होना चाहिए।

संबंधित पीएचओडी प्रश्न बैंक तैयार करने के लिए उपयुक्त अधिकारी को नामित कर सकते हैं जो एसएजी से नीचे न हो (इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ग्रेड-बी चयन के लिए, प्रश्न पत्र सेटिंग अधिकारी एचएजी/एचएजी+ स्तर पर है) और कम से कम सुरक्षा श्रेणी के पदों के लिए, अनुमोदन करने के लिए:

- (a) विशेष पद पर चयन के लिए पाठ्यक्रम
- (b) प्रश्नों का भार - प्रमुख विषयवार
- (c) प्रश्नों का स्तर/कठिनाई का स्तर- इसे उच्च (25%), मध्यम (50%) और निम्न (25%) के मिश्रण के रूप में अनुशंसित किया जाता है
- (d) चयन की प्रत्येक श्रेणी के लिए कम से कम 1000 प्रश्नों का प्रश्न बैंक, जैसा कि ऊपर (ख) और (ग) में बताया गया है, अर्थात् विषय का भार और कठिनाई स्तर।

- 3.6 यदि प्रश्न बैंक उपलब्ध हो तो प्रश्न पत्र सेटर को प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए कम से कम एक माह का समय दिया जाना चाहिए तथा प्रश्न बैंक उपलब्ध होने तक दो माह का समय दिया जा सकता है।

B. केस स्टडी - II

अराजपत्रित आरपीएफ/आरपीएसएफ कार्मिकों को दिए जाने वाले राशन मनी भत्ते (आरएमए) और परिवहन भत्ते (टीए) के संबंध में अनियमितताएं-

गैर-राजपत्रित आरपीएफ/आरपीएसएफ कार्मिकों को राशन मनी भत्ता (आरएमए) और परिवहन भत्ता (टीए) के भुगतान के संबंध में एक डिवीजन के सुरक्षा विभाग में सतर्कता द्वारा निवारक जांच (पीसी) की गई।

नियम/प्रावधान-

इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार किया जाना है

1. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या: E(P&A)I-2005/ALL/RPF-2 दिनांक 14/06/2018 (आरबीई संख्या 88/2018), पैरा (2) के अनुसार- "आरपीएफ कार्मिकों को परिवर्तित अवकाश, मातृत्व अवकाश (एमएल) और पितृत्व अवकाश (पीएल) के दौरान कोई राशन मनी भत्ता (आरएमए) स्वीकार्य नहीं है।"

2. **Action taken:**

Suitable administrative action against the erring official has been recommended.

3. **To overcome such situations, following System Improvements have been suggested:**

- 3.1 In CBT exams, wherever sitting arrangement is congested & close, the candidates should be allowed to sit with gap of one terminal.
- 3.2 The candidates should be allowed to sit on the terminals in CBT exams, only through system generated seats (by using Random Algorithm) and not at their choice.
- 3.3 The CCTV footages of each examination shall be kept preserved for the period, which may be decided as appropriate (not less than 1 year). The disposal of CCTV footage at the end of the specified period shall be with the written approval of competent authority not below JAG.
- 3.4 The serial/sequence of questions in the question papers should not be the same but jumbled in groups viz. A, B, C & D & shall be distributed in that order to avoid repetition of question paper of same group to adjoining candidates.
- 3.5 Question Paper setting is very sensitive matter since the sanctity of selection process for selecting a suitable candidate depends upon the quality of Question Papers to test the breadth & width of the knowledge of candidate on various aspects of technical as well as practical aspects covering domain knowledge, functional knowledge as well as Behavioural aspects as is expected in specific nature of roles & responsibilities in discharge of his duties. Hence, due diligence in setting question papers is but natural without any doubt.

Keeping in view above aspects, 'Question Bank' with sufficient number of questions should be available in all departments for each category of post.

Concerned PHODs may nominate suitable officer not below SAG for preparation of Question Bank (considering the fact that for Gr.-B selections, question paper setting officer is at HAG/HAG+ level) and at least for the safety category posts, to approve:

- (a) Syllabus for selection to the particular post
 - (b) Weightage of questions – Major topic wise
 - (c) Level of questions/difficulty level- It is recommended as mix of High (25%), Medium (50%) & Low (25%)
 - (d) Question Bank of atleast 1000 questions for each category of selection, distinguished as at (b) & (c) above i.e. Weightage of topic & Difficulty Level.
- 3.6 The Question Paper setter should be given atleast one month time for setting question papers, if question bank is available and two months' time may be given, till the time question bank is available.

B. **Case Study-II**

Irregularities regarding Ration Money Allowance (RMA) and Transport Allowance (TA) paid to Non-Gazetted RPF/RPSF personnel-

Preventive Checks (PC) were conducted by Vigilance in Security department of a division regarding payment of Ration Money Allowance (RMA) and Transport Allowance (TA) to Non-Gazetted RPF/RPSF personnel.

In this regard following provisions are to be considered:

1. In terms of Railway Board's letter No: E(P&A)I-2005/ALL/RPF-2 dated 14/06/2018 (RBE no. 88/2018), para (2)- "no Ration Money Allowance (RMA) is admissible to RPF personnel during Commuted Leave, Maternity Leave (ML) and Paternity Leave (PL)."

2. आरबीई संख्या 80/2017 दिनांक 30/08/2017 के अनुसार, पैरा 4 (ए)- "परिवहन भत्ता पूरी तरह से छुट्टी/अनुपस्थिति द्वारा कवर किए गए कैलेंडर महीने के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।"
3. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या: E(P&A)I-2005/ALL/RPF-2 दिनांक 11/07/2022 (RBE संख्या 79/2022) के अनुसार, "सीसीएल के दौरान, अराजपत्रित आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को सीसीएल के पहले 60 दिनों के लिए आरएमए पूरी दर पर और अगले 60 दिनों के लिए आधी दर पर देय होगा। यदि सीसीएल लगातार 120 दिनों से अधिक के लिए उपलब्ध है, तो 120 दिनों से अधिक आरएमए देय नहीं होगा।"

पाई गई अनियमितताएं:

1. कई मामलों में, गैर-राजपत्रित आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को राशन मनी भत्ता (आरएमए) का गलत तरीके से भुगतान किया गया, जो बीमार, आरएमसी, एमएल और पीएल आदि के अंतर्गत थे।
2. कुछ मामलों में, राशन मनी भत्ता (आरएमए) का भुगतान सीसीएल के 60 दिनों के बाद भी गलत तरीके से पूर्ण दरों पर किया गया।
3. कई मामलों में, कर्मचारियों को पूर्णतः अवकाश/अनुपस्थिति वाले कैलेंडर माह के लिए परिवहन भत्ता का भुगतान गलत तरीके से किया गया।

अनुशंसित कार्रवाई:

- a. परिवहन भत्ता एवं राशन मनी भत्ते के अधिक भुगतान/अनियमित भुगतान की वसूली।
- b. गलती करने वाले और लापरवाह बिल डीलरों और प्रभासी के खिलाफ डीएआर कार्रवाई।
- c. अन्य इकाइयों में भी ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करना और सुधार करना।

लेखा

केस स्टडी – I

1. स्टोर लेखा शाखा की आंतरिक जांच प्रणाली और संबद्ध मुद्दे:

“ठेकेदार को प्रदान की गई ‘मोबिलाइजेशन अग्रिम और अनुबंध के स्थान पर प्रस्तुत प्रदर्शन गारंटी’ से संबंधित SECR की एक इकाई में सतर्कता जाँच के दौरान”

भंडार लेखा शाखा में एक निवारक सतर्कता जाँच की गई ताकि आपूर्तिकर्ता बिलों के प्रसंस्करण और निपटान की जाँच की जा सके और निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। विभिन्न डिपो से प्राप्त 300 से अधिक बिलों की समीक्षा की गई, जिसमें क्रमिक पंजीकरण, क्रय आदेशों के विरुद्ध दरों और मात्राओं के सत्यापन, और रसीद नोटों के माध्यम से उचित दस्तावेज़ीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस जाँच का उद्देश्य आपूर्तिकर्ता भुगतानों में देरी, प्रक्रियागत खामियों या किसी भी अनियमितता की पहचान करना था।

जाँच से पता चला कि बिलों का निपटान आमतौर पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता था, और देरी मुख्यतः सिस्टम की बाधाओं या अतिरिक्त सत्यापन आवश्यकताओं के कारण होती थी। आंतरिक जाँचें—जिनमें दर सत्यापन, ऑडिट एनफेसमेंट, और करें व वसूलियों का सत्यापन शामिल था—ठीक से की जा रही थीं। भुगतान IPAS, GeMand IREPS जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से तुरंत जमा किए जाते थे, और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या प्रक्रियात्मक चूक का कोई सबूत नहीं मिला। हालाँकि, जाँच के दौरान एक नए तथ्य से कुछ अधिकारियों के संवेदनशील पदों पर लंबे समय तक कार्यरत रहने की चिंताएँ सामने आईं। एक बिल क्लर्क को स्टोर अकाउंट्स शाखा में संवेदनशील पदों पर लंबे समय तक सेवा करते हुए पाया गया, जो दिशानिर्देशों के विपरीत, पर्याप्त कूलिंग-ऑफ अवधि का उल्लंघन था।

पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए, सिफारिशों में बिल अस्वीकृतियों का तिथिवार रिकॉर्ड, कारण सहित, रखना और बिल पासिंग रजिस्टर में बिल ट्रैकिंग, और विभागाध्यक्ष की उचित स्वीकृति के साथ आंतरिक स्थानांतरणों को मुख्यालय के गोपनीय अनुभाग के माध्यम से रूट करना शामिल था। सतर्कता अभ्यास ने परिचालन अखंडता सुनिश्चित करने और जोखिम को कम करने के लिए संरचित निगरानी, समय पर प्रसंस्करण, प्रक्रियात्मक मानदंडों के पालन और संवेदनशील पोरिंग के लिए दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन के महत्व पर बल दिया।

2. In terms of RBE No. 80/2017 dated 30/08/2017, para 4 (a)- “Transport Allowance will not be admissible for the calendar month(s) wholly covered by leave/absence.”
3. As per Railway Board’s letter No: E(P&A) I-2005/ALL/RPF-2 dated 11/07/2022 (RBE No. 79/2022)- “During CCL, RMA would be as admissible at full rate for the first 60 days and at half rate for next 60 days of CCL to non-gazetted RPF/RPSF personnel. No RMA will be admissible beyond 120 days, if CCL is available for more than 120 days at a stretch”

Irregularities observed-

1. In many cases, Ration Money Allowance (RMA) was wrongly paid to Non-Gazetted RPF/RPSF personnel who were under Sick, RMC, ML, and PL etc.
2. In few cases, Ration Money Allowance (RMA) was wrongly paid at full rates beyond 60 days of CCL.
3. In many cases, Transport Allowance was wrongly paid to staff for the calendar month(s) wholly covered by leave/absence.

Action recommended-

- a. Recovery of overpayment/irregular payment of Transport Allowance & Ration Money Allowance.
- b. DAR action against erring & negligent Bills dealers & In-charge.
- c. To review all such cases in other units also and rectify.

Accounts

Case Study-I

1. Internal check mechanism and allied issues of Store Accounts Branch:

During a vigilance check at one of the units of SECR in connection with “Mobilization advance granted to the contractor and performance guarantee submitted in lieu of the contract”

A preventive vigilance check at the Stores Accounts Branch was conducted so as to examine the processing and settlement of supplier bills to ensure compliance with prescribed procedures. Over 300 bills from multiple depots were reviewed, focusing on sequential registration, verification of rates and quantities against purchase orders, and proper documentation through receipt notes. The exercise aimed to identify delays, procedural lapses, or any irregularities in supplier payments.

The investigation revealed that bills were generally processed within prescribed timelines, with delays primarily due to system constraints or additional verification requirements. Internal checks—including rate verification, audit encagements, and validation of taxes and recoveries—were being properly performed. Payments were credited promptly through online platforms like IPAS, GeMand IREPS, and no evidence of malpractice or procedural lapses was found. However, during investigation a new material fact revealed concerns regarding prolonged tenure of certain officials in sensitive positions. One of the bill clerks were noted to have served extended periods in sensitive posts within the Stores Accounts Branch violating adequate cooling-off period, contrary to guidelines.

To enhance transparency and accountability, recommendations included maintaining date-wise records of bill rejections with reasons and bill tracking in the Bill passing register, and routing internal transfers through the headquarters’ confidential section with proper approvals of HOD. The vigilance exercise reinforced the importance of structured oversight, timely processing, adherence to procedural norms, and strict compliance with guidelines for sensitive postings to ensure operational integrity and minimize risk.

2. केस स्टडी – II

बैंक गारंटी के रखरखाव में अनियमितताएं

इस क्षेत्र के निर्माण संगठन के लेखा कार्यालय में एक निवारक सतर्कता जाँच के दौरान, ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटियों (बीजी) के रखरखाव और निगरानी में गंभीर खामियाँ पाई गईं। बैंक गारंटी रजिस्टर अधूरा और नियमित रूप से अद्यतन नहीं पाया गया, जिसमें समाप्ति तिथि, विस्तार की स्थिति और नकदीकरण विवरण जैसे प्रमुख विवरण या तो गायब थे या गलत दर्ज किए गए थे। गारंटियों की वैधता और नकदीकरण की स्थिति पर नज़र रखने के लिए केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली या चेतावनी तंत्र का कोई उपयोग नहीं किया गया था, जिसके कारण मैनुअल रजिस्ट्रों और व्यक्तिगत परिश्रम पर अत्यधिक निर्भरता थी।

जांच में यह भी पता चला कि बैंक गारंटी हमेशा निर्धारित प्रारूप में प्राप्त नहीं की गई थी और कुछ मामलों में अमान्य या दोषपूर्ण गारंटी की स्वीकृति की अनुमति दी गई थी। लेखा विभाग और निष्पादन विभागों द्वारा बनाए गए बैंक गारंटी रिकॉर्ड के बीच आवधिक सुलह की कमी देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप रजिस्टर में दर्ज लोगों की तुलना में लाइव बैंक गारंटी की वास्तविक संख्या में विसंगतियाँ थीं। इस तरह के अंतराल दुरुपयोग या समाप्त गारंटी के दमन, भुनाने में जानबूझकर देरी और ठेकेदारों के साथ संभावित मिलीभगत के रास्ते बनाते हैं।

ये प्रणालीगत कमियाँ कमजोर आंतरिक नियंत्रण और बैंक गारंटी को बनाए रखने और सुरक्षित करने की प्रक्रिया में जवाबदेही की कमी की ओर इशारा करती हैं। नतीजतन, बैंक गारंटी रजिस्टर को अद्यतन करने और निगरानी करने में लापरवाही के लिए संबंधित एसएसओ (लेखा) और डीलर के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की गई।



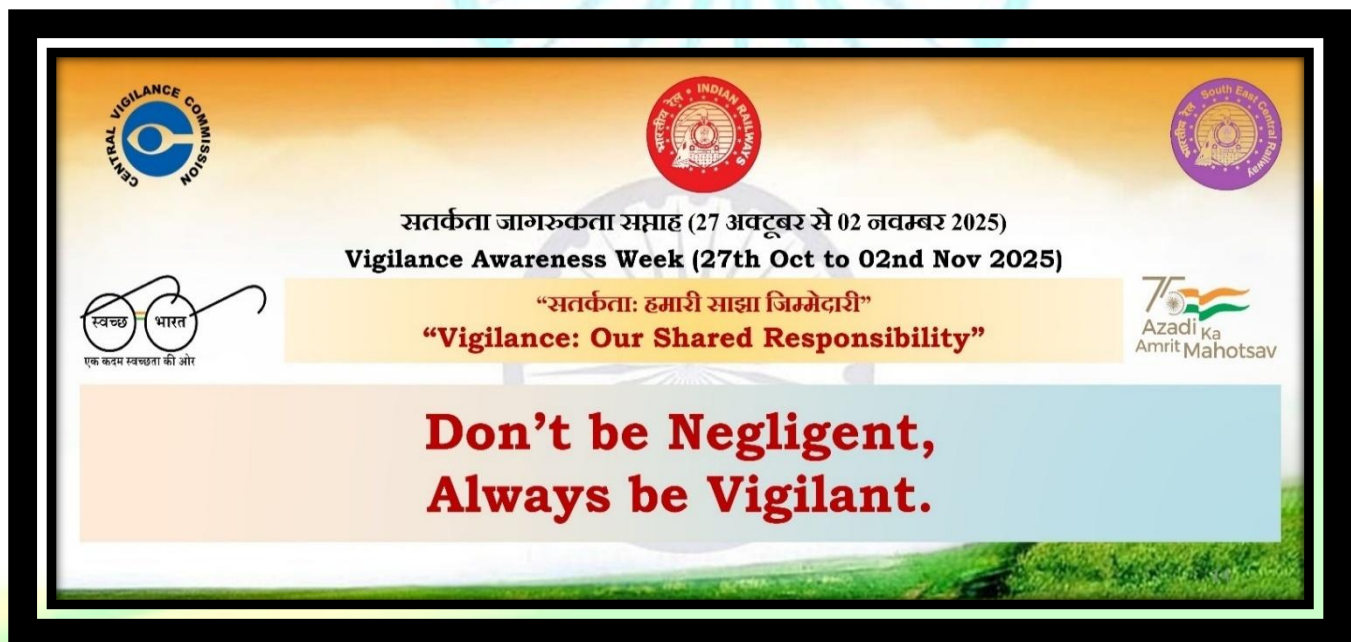
2. Case Study-II

Irregularities in Maintenance of Bank Guarantees

During a preventive vigilance check in the Accounts Office of Construction Organization of this zone, serious lapses were noticed in the maintenance and monitoring of Bank Guarantees (BGs) submitted by contractors. The BG Register was found incomplete and not updated regularly, with key details such as date of expiry, extension status, and encashment particulars either missing or recorded incorrectly. No utilization of centralized monitoring system or alert mechanism was in place to track the validity and encashment status of guarantees, leading to heavy reliance on manual registers and individual diligence.

The scrutiny further revealed that BGs were not always obtained in the prescribed formats and in some cases, acceptance of invalid or defective guarantees had been allowed. Lack of periodic reconciliation between BG records maintained by the Accounts Department and the executing departments was observed, resulting in discrepancies in actual numbers of live BGs versus those recorded in the register. Such gaps create avenues for misuse or suppression of expired guarantees, deliberate delays in encashment, and possible collusion with contractors. These systemic deficiencies point to weak internal controls and a lack of accountability in the process of maintaining and securing BGs. Consequently, Administrative action was initiated against the concerned SSO (Accounts) and dealer for negligence in updating and monitoring the BG Register.

The lapses identified during the check highlight the need for strict adherence to Railway Board's instructions and codal provisions regarding BG management. Therefore, apart from above action, the vigilance department has also recommended a robust system improvement like ensuring proper verification, recording, custody, and periodic reconciliation of all Bank Guarantees, with timely renewal/encashment actions. Withhold payments for non-compliance and return expired BGs only after contract obligations are fulfilled.



प्रणाली में सुधार

इंजीनियरिंग

1. प्रणाली में सुधार-I

तहबाजारी शुल्क के संग्रहण में पारदर्शिता, जवाबदेही और रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रणाली सुधारों का सुझाव दिया गया:

- रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, तहबाजारी वसूली की दरों की वार्षिक समीक्षा और संशोधन किया जाना चाहिए।
- जागरूकता हेतु बाजार क्षेत्र में अनुमोदित दरों का सार्वजनिक प्रदर्शन सुनिश्चित करना। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही उचित दस्तावेजीकरण के साथ संशोधित दरों का कार्यान्वयन।
- पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित तहबाजारी स्टेशन की लागू दरों के साथ मुद्रित टिकट बुक की संरचित प्रणाली शुरू करना, जिसमें सीरियल नंबर शामिल हों और प्रत्येक विक्रेता को अलग-अलग टिकट जारी करना।
- बाजार टिकटों की उपलब्धता हर समय सुनिश्चित की जाएगी।
- अनुभाग के निरीक्षण के दौरान उच्च अधिकारियों द्वारा तहबाजारी का औचक निरीक्षण किया जाएगा।

2. प्रणाली में सुधार -II

- डिज़ाइन मिश्रण को साइट पर उपयोग करने से पहले प्रभारी इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- कंक्रिटिंग कार्य शुरू करने से पहले समुच्चयों की नमी सामग्री के अनुसार जल सुधार किया जाना चाहिए।
- किसी विशेष कार्य के लिए आवश्यक वास्तविक सीमेंट सामग्री का समय-समय पर क्षेत्र परीक्षण करके पुनः मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- वेट बैलिंग का उपयोग किए बिना डिजाइन मिक्स कंक्रिटिंग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

3. प्रणाली में सुधार -III

सतर्कता जाँच के दौरान, यह पाया गया कि पुलों के एच-बीम स्लीपरों द्वारा चैनल स्लीपरों के नवीनीकरण हेतु निविदा से संबंधित अनुबंध की विशेष शर्तों में, यह उल्लेख किया गया है कि केवल सेल, टिस्को और विजाग इस्पात संयंत्रों द्वारा निर्मित स्टील चैनलों का ही उपयोग किया जाना है। हालाँकि, क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि सेल, टिस्को या विजाग के अलावा अन्य कंपनियों द्वारा निर्मित आईएसएचबी 200x200 को पुलों के एच-बीम स्लीपरों के निर्माण के लिए यह कारण बताकर अनुमति दी गई है कि उपरोक्त कंपनियाँ आईएसएचबी 200x200 का निर्माण नहीं करती हैं/कभी-कभार ही करती हैं।

प्रणाली में सुधार का सुझाव

इसलिए, यह सुझाव दिया गया कि यदि संहिताओं/मैनुअलों द्वारा अनुमति दी जाए तो, उचित गुणवत्ता जांच के बाद, अन्य प्रतिष्ठित इस्पात कंपनियों का नाम भी भविष्य की निविदाओं की निविदा शर्तों में शामिल किया जा सकता है।

इलेक्ट्रिकल एवं सिग्नल

1. काचेवानी स्टेशन पर बड़े पैमाने पर केबल कट के मद्देनजर प्रणाली में सुधार

दिनांक 28.08.2023 को नागपुर मंडल के काचेवानी स्टेशन पर केबल कट की घटना की सतर्कता जांच के दौरान, कार्य के उचित निष्पादन में स्वामियां पाई गई हैं तथा कार्य से जुड़े कार्यकारी और संविदा एजेंसी दोनों द्वारा अनुबंध समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार सुरक्षा संबंधी सिग्नलिंग कार्यों के उचित निष्पादन के लिए कई निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है।

System Improvements

Engineering

1. System Improvement-I

To ensure transparency, accountability, and compliance with Railway Board's guidelines in the collection of Teh-Bazari charges, following system improvements were suggested:

- As per instructions issued by the Railway Board, the rates for Teh-Bazari collection should be reviewed and revised annually.
- Ensuring of display of approved rates publicly in the market area for awareness. Implementation of revised rates from the start of each financial year with proper documentation.
- Introducing of structured system of printed ticket books with applicable rates of respective Teh-Bazari station including serial numbers and issue tickets individually per vendor to ensure transparency and traceability.
- Availability of Bazar tickets to be ensured all the time.
- Surprise inspection of Teh-Bazari to be conducted by higher authorities during inspection of section.

2. System Improvement-II

- Design Mix should be approved by Engineer-In-Charge before using at site.
- Water correction is to be carried out as per moisture content of aggregates before commencement of concreting work.
- Actual cement content required for the particular job is to be re-assessed by conducting field trials.
- Design Mix concreting without using weigh batching should be discouraged.

4. System Improvement-III

During a vigilance investigation, it was observed that in the Special Conditions of Contract related to tender for renewal of channel sleepers by H-Beam sleepers of bridges, it is mentioned that the steel channels manufactured by SAIL, TISCO and VIZAG steel plants are only to be used. However, during field inspection, it was noticed that ISHB 200x200 manufactured by companies other than SAIL, TISCO or VIZAG, have been allowed for fabrication of H-Beam sleepers of bridges by giving reason that above companies do not manufacture/seldom manufacture, the ISHB 200 x 200.

System improvement suggested

It was, therefore, suggested that if permitted by Codes/Manuals, the name of other reputed steel companies, after proper quality checks, may also be incorporated in the tender conditions of future tenders.

Electrical & Signal

1. System Improvement-I (Cable cut at Kachewani)

During a vigilance investigation of the incidence of cable cut at Kachewani station of Nagpur division on 28.08.2023, there has been lapses in proper execution of work as well as non-adherence to many laid down procedures for proper execution of safety related signaling works as per Terms & Conditions of Contract Agreement, both by executive and contractual agency associated with the work.

निम्नलिखित प्रणाली सुधार सुझाए गए हैं:

- a. बार चार्ट निर्धारित समय के भीतर निविदा प्रदान करने के तुरंत बाद ठेकेदार द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया जाएगा और सीए में प्रावधानों के अनुसार रेलवे से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण मील के पत्थर, जनशक्ति, सामग्री, टी एंड पी और अन्य संविदात्मक संसाधनों को दर्शाया जाएगा, साथ ही रेलवे से अपेक्षित इनपुट का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा जैसे कि विभिन्न योजनाओं, डिजाइनों और रेखाचित्रों की स्वीकृति की स्थिति, भवन तक पहुंच, बिजली आपूर्ति जैसी आश्रित गतिविधियों की उपलब्धता और अनुबंध समझौते के अनुसार कार्यों के निष्पादन और कमीशनिंग के लिए आगे की संविदात्मक गतिविधियों को सक्षम करने के लिए ऐसे इनपुट, जिसमें प्रमुख गतिविधियों का चरणबद्ध होना और यदि कोई हो तो कमीशनिंग शामिल है।
- b. निविदा चरण के दौरान निविदा दस्तावेज में अनंतिम बार चार्ट भी दिया जाएगा।
- c. प्रत्येक डी.ओ.सी. विस्तार के साथ बार चार्ट भी सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें ठेकेदार के खाते में प्रमुख और शेष गतिविधियों में देरी तथा रेलवे के खाते में देरी का स्पष्ट उल्लेख होगा तथा विस्तारित डी.ओ.सी. अवधि के भीतर उन्हें पूरा करने की समय-सीमा भी दर्शाई जाएगी।
- d. कार्य स्थल रजिस्टर को सूचीबद्ध किया जाएगा और सभी निष्पादन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा उन्हें मौजूदा नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, साइट पर कार्यों के निष्पादन का ट्रैक रखने और पता लगाने के लिए उचित रूप से भरने की सलाह दी जाएगी।
- e. अनुबंध समझौते के अनुसार कार्य की सुचारू प्रगति और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इसकी प्रभावशीलता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित स्तरों पर मौजूदा नीति दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षण जांच सुनिश्चित की जाएगी।
- f. संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार, ठेकेदार को भुगतान हेतु माप दर्ज करने से पहले किए गए कार्यों और माप/भुगतान के लिए देय राशि का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- g. ठेकेदार द्वारा सक्षम साइट इंजीनियर की तैनाती की कम से कम समीक्षा की जाएगी:
 - 2 करोड़ से अधिक मूल्य के कार्यों के लिए, यह सुझाव दिया जाता है कि 20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कार्यों के लिए प्रति 20 करोड़ रुपये पर एक सक्षम इंजीनियर तथा 20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कार्यों के लिए उसके गुणज/भाग में एक सक्षम इंजीनियर को एससीसी में शामिल किया जा सकता है, ताकि साइट पर कार्य की उचित निगरानी और निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।
 - अनुबंध समझौते के अनुसार साइट पर कार्य का उचित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सक्षम अभियंता की तैनाती के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित राशि का भुगतान न करने के अलावा, एससीसी में उपयुक्त जुर्माना भी शामिल किया जाएगा।

पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में प्रणाली में सुधार:

सतर्कता मामले में:

- a. फर्म X ने निविदा में भाग लिया और दावा किया कि वह एक स्वामित्व वाली फर्म है और उसने संबंधित विभाग द्वारा जारी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर अनुबंध भी प्राप्त किया। इस प्रमाण पत्र में फर्म की स्थिति का उल्लेख नहीं था।
- b. अनुबंध प्रदान किए जाने के बाद, शिकायत की गई कि फर्म 'एक्स' ने प्रस्तुत प्रमाण-पत्र को साझेदारी फर्म की हैसियत से प्राप्त किया था, जबकि अनुबंध फर्म 'एक्स' को स्वामित्व वाली फर्म मानते हुए प्रदान किया गया है।
- c. मामले की जांच से पता चला कि फर्म 'एक्स' एसईसीआर में साझेदारी फर्म के रूप में काम कर रही है, जिसका साझेदारी विलेख 2005 में निष्पादित किया गया था और प्रस्तुत प्रमाण पत्र भी फर्म 'एक्स' द्वारा साझेदारी फर्म की हैसियत से ही अर्जित किया गया था।
- d. चूंकि फर्म ने यह ठेका धोखाधड़ी से प्राप्त किया है, इसलिए अनुबंध के प्रावधान के अनुसार, रेलवे के साथ फर्म के सभी व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

Following System Improvements are suggested:

- a. Bar Chart shall be prepared & submitted by Contractor soon after award of Tender within stipulated time and obtaining approval of Railways as per provisions in C.A indicating important milestones, mobilization of manpower, materials, T&P & other contractual resources also clearly mentioning the inputs required from Railways like approval status of various plans, designs and Drawings, availability of dependent activities like access to building, power supply and such inputs to enable further contractual activities for execution & commissioning of the works as per Contract Agreement, including phasing of major activities & commissioning if any.
- b. Tentative Bar Chart shall also be given in tender document during tender stage.
- c. Bar Chart shall also be ensured along with each DOC extension indicating major and clearly mentioning left over activities delays on contractor's account & delays on Railway's account and timeline for completing the same within extended DOC period.
- d. Work site Register shall be listed and all executing officials be trained and advised to fill up appropriately to keep track and traceability of execution of works at site, as per extant policy guidelines.
- e. Test checks as per extant policy guidelines shall be ensured at all appropriate level to ensure its effectiveness and efficacy to ensure smooth progress and quality of work as per Contract Agreement.
- f. As per contractual provisions, Contractor shall submit details of works done and due for measurement/ payment before recording of measurement for payment.
- g. Deployment of competent site Engineer by Contractor shall be reviewed at least:
 - For value of works > 2 Cr., it is suggested that one competent Engineer per Rs. 20 Crs and in multiple/ part thereof for higher value of C.A. beyond Rs. 20 Crs. of value of C.A. may be included in SCC to ensure proper monitoring and execution of work at site.
 - Suitable penalty shall also be included in SCC, besides non-payment of stipulated amount to ensure compliance of deployment of competent Engineer to ensure proper execution of work at site as per Contract Agreement.

2. System Improvement-II

In a vigilance case:

- a. Firm X participated in the tender claiming that it is a proprietorship firm and also got the contract based on the work completion certificate issued by the adjacent division as credential. This credential certificate did not mention the status of firm.
- b. After award of the contract, a complaint was made that the firm 'X' had earned the submitted credential in the capacity of Partnership firm whereas the contract has been awarded to the firm "X", considering it as a proprietorship firm.
- c. Investigation in the matter revealed that the firm 'X' has been working in SECR as a partnership firm with partnership deed executed in 2005 and the submitted credential was also earned by firm 'X' in the capacity of partnership firm only.
- d. Because the firm, got this contract awarded, in a fraudulent manner, it has been proposed for banning of all business dealing of the firm with Railway. as per the provision of the contract.

इस मामले में, फर्म 'X' को स्वामित्व वाली फर्म के रूप में अनुबंध प्राप्त करने में सफलता मिली क्योंकि निविदा के साथ प्रस्तुत किए गए क्रेडेंशियल प्रमाणपत्र में फर्म की साझेदारी फर्म के रूप में स्थिति का उल्लेख नहीं था। यदि कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र पर ही फर्म की स्थिति का उल्लेख किया जाए तो ऐसी चूकों से बचा जा सकता है। इसलिए, ऐसी चूकों को दूर करने के लिए निम्नलिखित प्रणालीगत सुधार की अनुशंसा की जाती है:

- a. कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्रों में, जिनका उपयोग भावी निविदाओं में प्रमाण-पत्र के रूप में किया जाता है, ठेकेदार/फर्म की स्थिति का उल्लेख किया जा सकता है, चाहे वह स्वामित्व, साझेदारी या लिमिटेड कंपनी आदि हो।
- b. अधिक स्पष्टता के लिए फर्म का जीएसटी नंबर भी उल्लेख किया जाए।

3. निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने में अनियमितताएं पाई गई: प्रणाली में सुधार

सतर्कता जाँच के दौरान, यह पाया गया कि दो वर्षों से अधिक की अवधि में प्राप्त 27 वस्तुओं के लिए एक ही निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी किया गया था। सामग्री का कोई निरीक्षण नहीं किया गया था और यह दस्तावेज़ दिखावटी है और केवल भुगतान की सुविधा के लिए तैयार किया गया है।

यह देखा गया है कि विद्युत विभाग में प्रेषक द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कोई विशिष्ट प्रारूप निर्धारित नहीं है। इस विषय पर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निरीक्षण प्रमाणपत्र प्रारूप को मानकीकृत करने हेतु एक प्रणाली सुधार जारी किया गया था। तब से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रेषक इसी मानकीकृत प्रारूप में निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं। प्रारूप के साथ जारी किए गए प्रणाली सुधार की एक प्रति संलग्न है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रणाली सुधार का सुझाव दिया जाता है:

- निरीक्षण प्रमाणपत्र अनुमोदित प्रारूप में जारी किए जाएंगे।
- निरीक्षण प्रमाणपत्रों को प्रत्येक प्राप्तकर्ता द्वारा क्रमानुसार क्रमांकित किया जाएगा तथा संबंधित परीक्षण रिपोर्ट के साथ दाखिल किया जाएगा।
- सभी प्राप्तकर्ताओं के पास एक विशिष्ट मुहर होनी चाहिए, निरीक्षण की गई सभी वस्तुओं को उचित रूप से सील किया जाना चाहिए। निरीक्षण प्रमाणपत्र में मुहर की प्रतिलिपि शामिल की जानी चाहिए।
- निरीक्षण प्रमाण-पत्र पर संबंधित अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा।

स्टोर एवं मैकेनिकल

1. प्रणाली में सुधार -I (स्टोर)

स्क्रेप सामग्री वितरण मामले में:

- a. लॉट की स्क्रेप डिलीवरी के लिए समय और स्क्रेप की शॉर्ट डिलीवरी के लिए शर्तों का बिक्री शर्तों के साथ-साथ बिक्री रिलीज आदेश (एसआरओ) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।
- b. स्क्रेप वितरण प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग / फोटोग्राफी आरपीएफ कर्मियों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी और इसे कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखकर रखा जाना चाहिए।

2. प्रणाली में सुधार -II (मैकेनिकल)

संवेदनशील पदों पर कार्यरत रेल कर्मचारियों की स्थिति में:

- a. संवेदनशील पदों पर कार्यरत रेल कर्मचारियों के समय पर चक्रीय स्थानांतरण का रेलवे बोर्ड की मौजूदा नीति दिशानिर्देशों के अनुसार कड़ाई से पालन किया जाएगा।
- b. ऐसी घोषणा प्रस्तुत करने वाले संबंधित रेल कर्मचारियों की ओर से गंभीर चूक के रूप में देखा जाएगा।

In this case, the firm 'X' was able to obtain the contract as a proprietorship firm because the credential certificate submitted with the tender did not mention the status of firm as partnership firm. Such lapses can be avoided if status of firm is mentioned on the work completion certificate itself. Thus, the following system improvement is recommended to obviate such lapses:

- a. In the work completion certificates, which are used as credentials in future tenders, the status of the contractor /firm whether proprietorship, partnership or limited company etc. may be mentioned.
- b. For further clarity the GST number of the firm may also be mentioned.

3. **System Improvement-III**

During a vigilance check, it is observed that one single inspection certificate was issued for 27 items received over a period of more than 2 years. No inspection of material was done and the document is eyewash and is prepared only to facilitate payment.

It has been observed that no specific format is prescribed for issue of inspection certificate by consignee in Electrical Department. On this subject, one system improvement was issued for standardizing the inspection certificate format of S&T department. Consignees of S&T are issuing inspection certificates in this standardised format since then. A copy of the system Improvement issued along with the format is enclosed.

In view of above following system improvement is Suggested:

- The inspection certificates shall be issued in the approved format.
- The inspection certificates shall be serially numbered by every consignee and filed along with the relevant test reports.
- All consignees should have a unique seal, all items inspected shall be sealed properly. Facsimile of seal should be incorporated in the inspection certificate.
- The inspection certificate shall be counter signed by the officer concerned.

Stores & Mechanical

1. **System Improvement-I**

In the scrap material delivery case:

- a. Timings for scrap delivery of lot and Conditions for Short Delivery of Scrap are to be clearly mentioned in the Sale Conditions as well as in Sale Release Order (SRO).
- b. Video recording / photography of the scrap delivery process shall be ensured by RPF personnel and must be kept in safe custody for at least 30 days.

2. **System Improvement-II**

On event of Officials working in sensitive posts:

- a. The timely rotational transfer of Officials working in sensitive post shall be strictly adhered to as per extant Railway Board policy guidelines.
- b. Any wrong declaration shall be viewed as a serious lapse on part of concerned officials, submitting such declaration.

यातायात

1. प्रणाली में सुधार -I:

भारतीय रेलवे में ईआईएमडब्ल्यूबी के कामकाज में संभावित सुधार लाने के लिए एक व्यापक प्रणाली सुधार का सुझाव दिया गया है जिसमें शामिल हैं;

- (i) भारतीय रेलवे पर रेलवे के स्वामित्व वाले ईआईएमडब्ल्यूबी के मामले में ओईएम के साथ सीएएमसी के संबंध में प्रणाली सुधार
- (ii) खरीद के साथ-साथ सीएएमसी अनुबंध समझौतों में दंड संबंधी प्रावधान को शामिल करने के संबंध में प्रणाली में सुधार।
- (iii) परीक्षण जांच प्रोटोकॉल और रखरखाव अनुसूची के संबंध में प्रणाली सुधार।
- (iv) पर्यवेक्षी रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में प्रणाली सुधार।
- (v) भारतीय रेलवे में EIMWB के लिए एकीकृत टेम्पर-प्रूफ सॉफ्टवेयर के परिवर्तन के लिए प्रणाली सुधार।

2. प्रणाली में सुधार -II:

नागपुर मंडल, एसईसी रेलवे के पीएमएम साइडिंग में सतर्कता/एसईसीआर द्वारा की गई निवारक जांच के दौरान यह देखा गया है कि संबंधित वाणिज्यिक कर्मचारियों द्वारा एफओआईएस (टीएमएस) मॉड्यूल में विलंब शुल्क में बार-बार संशोधन किया जा रहा है। साइडिंग के वाणिज्यिक कार्यालय में संशोधन का कारण बताते हुए कोई मैनुअल रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था। साथ ही, डीसी में संशोधन के मामले में वाणिज्यिक कर्मचारियों द्वारा किए गए संशोधन की रिपोर्ट देखने के लिए एफओआईएस/टीएमएस में कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। यह देखा गया है कि एफओआईएस-टीएमएस मॉड्यूल में घाटशुल्क में संशोधन का प्रावधान भी है। ऐसा संशोधन एफओआईएस के टीएमएस मॉड्यूल में निम्नलिखित तरीके से ऑपरेटर वाणिज्यिक कर्मचारियों द्वारा साइडिंग/गुड्स-शेड में किए जाने वाले आवक और जावक दोनों रैकों के लिए किया जाता है;

1. आउटवर्ड → F/नोट की सूची → F5 → रैक का चयन करें → चार्ज → DC/WC → F5 → DC/WC की गणना करें → समायोजन → संशोधित DC राशि डालें → F2.
2. इनवर्ड → सामान्य डिलीवरी बुक → F5 → रैक का चयन करें → प्रभारों का उपार्जन/संग्रह → डीसी/डब्ल्यूसी → F5 → डीसी/डब्ल्यूसी की गणना करें → समायोजन → संशोधित डीसी राशि डालें → F2.

उपरोक्त प्रक्रिया में, सिस्टम न तो संशोधन का कारण पूछता है और न ही निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा आगे की जाँच के लिए कोई रिपोर्ट तैयार करता है। इसलिए, इस कार्य के दुरुपयोग की बहुत अधिक संभावना है क्योंकि महीने के अंत में सिस्टम बैलेंस शीट में संशोधित डीसी/डब्ल्यूसी दिखाता है। एफओआईएस-टीएमएस मॉड्यूल में वाणिज्यिक कर्मचारियों द्वारा किए गए संशोधन की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित सिस्टम सुधारों का सुझाव दिया जा सकता है;

एफओआईएस में डीसी/डब्ल्यूसी में संशोधन केवल कारण बताते हुए अपवादस्वरूप ही किया जाना चाहिए। सीआरआईएस की सहायता से टीएमएस में किसी स्थान की संशोधन रिपोर्ट का प्रावधान शुरू किया जाना चाहिए ताकि किसी विशेष अवधि के दौरान किए गए सभी संशोधनों की दोबारा जाँच की जा सके। इसके अलावा, फ़िल्ड स्टाफ द्वारा डीसी/डब्ल्यूसी में संशोधन का कारण बताते हुए मैनुअल रिकॉर्ड अवश्य रखा जाना चाहिए ताकि बार-बार या अनियमित संशोधन को रोका जा सके।

कार्मिक

1. रेलवे अस्पतालों के लिए अंशकालिक होम्योपैथिक चिकित्सक (परामर्शदाता) की नियुक्ति - चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रणाली सुधार।

रेलवे बोर्ड के आरबीई संख्या 80/2014 [ई/आर संख्या 131/2014] के अनुसार, होम्योपैथिक चिकित्सकों को स्टाफ बेनिफिट फंड के तत्वावधान में संचालित डिस्पेंसरियों में होम्योपैथिक परामर्शदाता के रूप में केवल एक वर्ष के लिए 4 घंटे के आधार पर नियुक्त किया जाना है।

अंशकालिक होम्योपैथिक चिकित्सक (परामर्शदाता) की नियुक्ति के लिए चयन की कार्यवाही की जांच करने के लिए एक प्रभाग में निवारक जांच के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गईं: -

अधिसूचना के बाद अभ्यर्थियों को वॉक-इन इंटरव्यू में शामिल होने के लिए 21 दिन का समय दिया गया था, जो कम प्रतीत होता है।

Traffic

1. System Improvement-I:

A comprehensive System Improvement has been suggested to invoke possible reform in working of EIMWB over Indian Railways which include;

- (i) System Improvement with respect to CAMC with OEM in case of Railway owned EIMWB over Indian Railways.
- (ii) System Improvement with respect to inclusion of Penalty Clause in procurement as well as CAMC contract agreements.
- (iii) System Improvement with respect to test check protocol and maintenance schedule.
- (iv) System Improvement regarding Provision of Training to the Supervisory Railway staff.
- (v) System Improvement for introduction of unified Tamper-proof software for EIMWBs over Indian Railways.

2. System Improvement-II:

During the preventive check conducted by Vigilance/SECR in PMAM Sidings of Nagpur Division, S.E.C. Railway it is noticed that frequent modification of Demurrage Charges is being carried out In FOIS (TMS) module by the concerned Commercial staff. There no any manual record was being maintained in the commercial office of the siding showing reason for the modification. Also, there no any provision is available in FOIS/TMS to see the report of modification done by the commercial staff in the case of modification in DC. It is noticed that provision of modification in Wharfage Charge is also there in the FOIS-TMS module. Such modification is carried out both for the Outward and Inward rakes dealt at Sidings/Goods-shed by the operator commercial staff in the following manner in the TMS Module of FOIS;

1. OUTWARD→List of F/Note→F5→Select Rake→Charges→DC/WC→F5→ Calculate DC/WC → Adjustment → Insert modified DC amount→ F2.

1. INWARD→Normal Delivery Book→F5→Select Rake→Accrual/Collection of Charges→DC/WC→F5→ Calculate DC/WC → Adjustment → Insert modified DC amount→ F2.

In the above process system neither ask to give reason for the modification nor generate any report for further cross-check by inspecting authority. Hence, there is a huge scope of misuse of this task because at the end of month system shows modified DC/WC in the balance sheet. In order to ensure genuineness of modification carried out by the commercial staff in FOIS-TMS Module following system improvement may be suggested;

“Modification of DC/WC in FOIS should be done exceptionally by giving reason for the same. Provision of Modification report of a location should be introduced in TMS with the help of CRIS so that all modification carried out for a particular period can be cross-checked. Apart from this manual record should invariably maintained by the field staff giving reason for modification in DC/WC so that frequent or liberated modification can be restricted.”

Personnel

1. Engagement of part time Homeopathic Practioner (Consultant) for Rly Hospitals- System Improvement regarding selection process.

In terms of Rly Board's RBE No. 80/2014 [E/R No. 131/2014], Homeopathic Practioners are to be engaged as Homeopathic Consultants in dispensaries being run under the aegis of Staff Benefit Fund on 4 hours basis for one year only.

While Preventive Check conducted in a division to check the proceedings of selection for engagement of part time Homeopathic Practioner (Consultant), following shortcomings have been noticed: -

The time given to candidates after notification for appearing for walk-in interview was 21 days, which seems to be less.

अधिसूचना में विभिन्न मदों (योग्यता, अनुभव आदि) के अंतर्गत अंक प्रदान करने के मानदंड और विधि का उल्लेख नहीं किया गया था।

चयन समिति द्वारा विभिन्न मदों के अंतर्गत अंक प्रदान करने का पैटर्न निम्नानुसार तय किया गया-

योग्यता - 30 अंक

अनुभव - 10 अंक

व्यक्तित्व और उपयुक्तता - 60 अंक

कुल = 100 अंक

उपरोक्त अंकन प्रणाली में निम्नलिखित कमियां देखी गई-

पीजी आदि जैसी उच्च योग्यता के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं किए गए थे, जो चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण है।

'अनुभव' के लिए अधिकतम अंक 10 निर्धारित किए गए थे। 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को अधिकतम 10 अंक तथा 10 या अधिक वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को भी अधिकतम 10 अंक दिए जा रहे हैं। यह उचित प्रतीत नहीं होता।

'व्यक्तित्व एवं उपयुक्तता' शीर्षक के अंतर्गत अंक 60 निर्धारित किए गए थे, जो कि बहुत अधिक प्रतीत होता है तथा समिति को इतना अधिक विवेकाधिकार प्रदान करता है कि इससे योग्यता और सेवा अनुभव की पवित्रता समाप्त हो जाती है, जो कि एक चिकित्सा पेशेवर के लिए महत्वपूर्ण पहलू हैं।

चयन में समग्र आधार पर कोई न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित नहीं किये गये थे।

2. चयन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही/उचितता लाने के लिए निम्नलिखित प्रणाली सुधारों का सुझाव दिया गया है-

- 2.1 अधिसूचना के बाद साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम 30 दिन का समय दिया जाना चाहिए।
 - 2.2 विभिन्न शीर्षकों (योग्यता, अनुभव आदि) के अंतर्गत अंक प्रदान करने के मानदंड और विधि का उल्लेख अधिसूचना में ही किया जाना चाहिए।
 - 2.3 उच्च योग्यता (पीजी आदि) के लिए अंक प्रदान करने के मानदंड होने चाहिए और अनुभव के लिए अधिक अंक दिए जाने चाहिए, जो चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण है और रोगियों के लिए अधिक लाभकारी हो सकता है। इसलिए, अंक प्रदान करने का निम्नलिखित तरीका सुझाया गया है-
 - (i) योग्यता - अधिकतम 50 अंक (डिप्लोमा-30, डिग्री-40 और पीजी-50)
 - (ii) अनुभव - अधिकतम 20 अंक (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 2 अंक)
 - (iii) व्यक्तित्व एवं उपयुक्तता - 30 अंक (मौखिक)
- कुल = 100 अंक
- 2.4 कुल मिलाकर न्यूनतम अर्हता अंक 60% निर्धारित किया जाना चाहिए।
 - 2.5 हालाँकि, पारदर्शी एवं जवाबदेह चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपरोक्त सुझाव सांकेतिक हैं। पीसीपीओ एवं पीसीएमडी, आवश्यकतानुसार अंकों का वेटेज एवं कुल मिलाकर न्यूनतम अर्हक अंक तय कर सकते हैं।
 - 2.6 रेलवे अस्पतालों के लिए सीएमपी, एचवीएस और अंशकालिक होम्योपैथिक चिकित्सक (परामर्शदाता) की नियुक्ति - प्रणाली सुधार के संबंध में फीडबैक प्रणाली।

रेलवे अस्पतालों के लिए, मौजूदा प्रावधानों के अनुसार अंशकालिक डॉक्टरों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

सतर्कता विभाग द्वारा की गई विभिन्न जांच और निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि अनुबंध के आधार पर नियुक्त इन डॉक्टरों के कामकाज के मूल्यांकन के लिए कोई उचित तंत्र नहीं है, जिसे भविष्य में संदर्भ के लिए और अगली बार उनकी पुनः नियुक्ति के लिए जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझा गया।

संविदा डॉक्टरों के कामकाज में जिम्मेदारी और जवाबदेही लाने के लिए निम्नलिखित प्रणाली सुधार का सुझाव दिया गया है-

रेलवे नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा जारी उचित "मूल्यांकन प्रमाण पत्र" होना चाहिए, जो एसएजी अधिकारी के पद से नीचे का न हो, जिसे अनुबंध डॉक्टरों को भविष्य में संदर्भ के लिए जारी किया जाएगा और आवश्यकतानुसार जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

The criteria and method for awarding marks under different heads (for qualification, experience etc) was not mentioned in the notification.

The pattern for awarding marks under different heads was decided by the selection committee as under-

Qualification - 30 Marks
Experience - 10 Marks
Personality & Suitability - 60 Marks
Total = 100 Marks

Following shortcomings in the above system of Marking were observed-

No marks were prescribed for higher qualification like PG etc., which is important in the medical field.

The maximum marks for 'experience' were prescribed as 10. A candidate having experience of 5 years is getting maximum 10 marks and a candidate having experience of 10 or more years is also getting maximum 10 Marks. This does not seem appropriate.

The Marks under the head 'Personality & Suitability' were prescribed as 60, which seems to be on much higher side and provide too much discretion to the committee to the extent of losing sanctity of qualification and service experience, which are important aspects for a medical professional.

No minimum qualifying marks on overall basis were prescribed in the selection.

2. To bring in more transparency & accountability/reasonableness in the selection, following System Improvements has been suggested:
 - 2.1 Minimum 30 days' time should be given to candidates for calling for interview after notification.
 - 2.2 The criteria and method for awarding marks under different heads (for qualification, experience etc) should be mentioned in the notification itself.
 - 2.3 There should be criteria for awarding marks for higher qualification (PG etc) and more marks to be given for experience, which is important in the medical field and may be more beneficial for the patients. Hence, following pattern of awarding marks is suggested-
 - (i) Qualification - Max. 50 Marks (Diploma-30, Degree-40 & PG-50)
 - (ii) Experience - Max. 20 Marks (2 marks for each completed year)
 - (iii) Personality & Suitability - 30 Marks (Viva-voce)Total – 100 Marks
 - 2.4 There should be minimum qualifying marks prescribed as 60% in aggregate.
 - 2.5 However, the above are indicative recommendations with a view to ensure transparent & accountable selection process. PCPO & PCMD may decide the weightage of marks & minimum qualifying marks in aggregate, as deemed fit.
 - 2.6 Engagement of CMPs, HVS & part time Homeopathic Practitioner (Consultant) for Rly Hospitals – Feedback system regarding- System Improvement.

For Rly Hospitals, part time doctors are engaged on contract basis as per extant provisions.

During various investigation & checks conducted by Vigilance, it is observed that there is no any appropriate mechanism in place for evaluation of working of these doctors engaged on contract basis, which is felt necessary for future reference and submission before scrutiny committee for their re-engagement next time.

Following System Improvement has been suggested to bring in responsibility & accountability in working of Contract Doctors-

There should be proper "evaluation certificate" issued by Rly Controlling Authority not below the rank of SAG officer which shall be issued to Contract Doctors for future reference and submission before scrutiny committee, as and when required.

मरीजों से सरल प्रारूप में संविदा चिकित्सकों के कामकाज का फीडबैक लिया जा सकता है, जैसे समय की पाबंदी, सामान्य व्यवहार और मरीजों के प्रति ध्यान तथा उपचार एवं रोग के इलाज के संबंध में मरीजों की संतुष्टि का स्तर।

लेखा

1. सतर्कता जाँच के परिणामस्वरूप प्रणाली में सुधार:

एक संभागीय लेखा कार्यालय के बहीखाते अनुभाग में की गई एक निवारक सतर्कता जाँच के दौरान, कुछ खामियाँ सामने आई: विफल NEFT लेनदेन की अपर्याप्त ट्रैकिंग, कमज़ोर अधिदेश सत्यापन, मानकीकृत जाँच सूचियों का अभाव, RBI के दिशानिर्देशों/SOPs पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अभाव, और RBA-155/2017 के तहत 30-दिवसीय निपटान समय-सीमा का पालन न करना। ऐसी खामियों पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, तो ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान में देरी हो सकती है, और अनसुलझे शेष राशि का संचय हो सकता है। जाँच में अधिदेश सत्यापन, लेनदेन प्रक्रिया और जवाबदेही तंत्र में प्रणालीगत कमियाँ उजागर हुईं। इसलिए, उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर निम्नलिखित प्रणाली सुधारों का सुझाव दिया गया।

A. अनिवार्य चेकलिस्ट का परिचय

सभी इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की प्रक्रिया के समय एक विस्तृत चेकलिस्ट का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें खाते के विवरण, आईएफएससी कोड, खाते की स्थिति, नाम मिलान और विफलताओं से निपटने के लिए निर्धारित समय-सीमा का पूर्व-सत्यापन शामिल होना चाहिए। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए चेकलिस्ट पर डीलिंग क्लर्क, लेखा कर्मचारी और पर्यवेक्षी अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

B. मज़बूत जनादेश सत्यापन

प्रत्येक अधिदेश प्रपत्र को पासबुक या रद्द किए गए चेक जैसे मूल दस्तावेज़ों से सत्यापित किया जाना चाहिए और ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता रिकॉर्ड के साथ सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अधिदेश प्रपत्रों का त्रैमासिक ऑडिट कार्यकारी और लेखा शाखाओं द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। पार्टी मास्टर संशोधनों में निर्माता-जांचकर्ता-सत्यापनकर्ता प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और प्रत्येक प्रविष्टि के लिए ऑडिट ट्रेल बनाए रखा जाना चाहिए।

C. कर्मचारियों की क्षमता निर्माण

अधिदेश सत्यापन, आरबीआई प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों, मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और सामान्य त्रुटि कोड (जैसे, अमान्य आईएफएससी कोड, खाता बंद होना, आदि) के बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। ये पुनश्चर्या कार्यक्रम सालाना आयोजित किए जाने चाहिए या जब भी ऐसे लेनदेन को संभालने वाले कर्मचारियों में बदलाव हो, तब आयोजित किए जाने चाहिए।

D. निर्धारित समयसीमा का पालन

आरबीआई-155/2017 के अनुसार, सभी ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता बिलों का निपटान 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की देरी की सूचना वरिष्ठ डीएफएम और संबंधित शाखा अधिकारियों को दी जानी चाहिए ताकि जवाबदेही तय की जा सके।

उपरोक्त उपाय लेन-देन संबंधी त्रुटियों को कम करेंगे, आंतरिक नियंत्रण को मज़बूत करेंगे और वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाएँगे। चेकलिस्ट को संस्थागत बनाकर, सत्यापन प्रोटोकॉल को लागू करके और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में निवेश करके, लेखा विभाग विफल लेनदेन की संख्या को काफी कम कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय-सीमा का पालन न केवल वित्तीय अनुशासन को बनाए रखेगा बल्कि हितधारकों के साथ विश्वास भी बढ़ाएगा।

2. आपूर्तिकर्ता बिलों को पारित करते समय आंतरिक जांच तंत्र और संबद्ध मुद्दे (जैसे बिल अनुभाग में पोस्ट करना)

भंडार लेखा शाखा में एक नियमित सतर्कता जाँच के दौरान, निर्धारित कार्य-चक्रण मानदंडों का उल्लंघन पाया गया। एक अधिकारी को अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि का पालन किए बिना, विक्रेता भुगतान से संबंधित एक संवेदनशील पद, स्टॉक बिल अनुभाग में बार-बार तैनात किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसे एक ही संवेदनशील कार्य में लंबे समय तक काम करना पड़ा। यह मामला संभावित दुरुपयोग को रोकने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चक्रण नीतियों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

जवाबदेही और पारदर्शिता को मज़बूत करने के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि स्टोर खातों के सभी आंतरिक हस्तांतरण मुख्यालय के गोपनीय अनुभाग के माध्यम से किए जाएँ और विभागाध्यक्ष (जैसे वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी) द्वारा अनुमोदित किए जाएँ। इसके अतिरिक्त, आपूर्तिकर्ता बिल प्रसंस्करण का एक व्यवस्थित, तिथिवार रिकॉर्ड, जिसमें अस्वीकृति के कारण भी शामिल हों, बिल पासिंग रजिस्टर में शामिल किया जाना चाहिए ताकि स्पष्ट ऑडिट ट्रेल्स उपलब्ध हों, देरी का औचित्य सिद्ध हो और मज़बूत निगरानी को बढ़ावा मिले। ये उपाय प्रक्रियात्मक अनुपालन को बढ़ाएँगे और वित्तीय संचालन की अखंडता की रक्षा करेंगे।

Feedback of working of Contract Doctors in simple format may be taken from the patients on the points like punctuality, general behaviour & attention towards patient & patient's satisfaction level regarding treatment & cure of disease.

Accounts

1. System Improvement-I:

During a preventive vigilance check conducted at the Books Section of a Divisional Accounts Office, some lapses revealed inadequate tracking of failed NEFT transactions, weak mandate verification, absence of standardized checklists, lack of staff training on RBI guidelines/SOPs, and non-adherence to the 30-day settlement timeline under RBA-155/2017. Such lapses, if left unchecked, can lead to delays in payments to contractors/suppliers, accumulation of unsettled balances. The check highlighted systemic gaps in mandate verification, transaction processing, and accountability mechanisms. Therefore, based on the above observations following System Improvements were suggested.

A. Introduction of a Mandatory Checklist

A detailed checklist should be used at the time of processing all electronic transactions. It must cover pre-verification of account details, IFSC codes, account status, name matching, and prescribed timelines for handling failures. The checklist should be jointly signed by the dealing clerk, accounts staff, and supervisory official to ensure accountability.

B. Robust Mandate Verification

Each mandate form must be verified against original documents such as passbook or cancelled cheque and preserved with the contractor/supplier record. A quarterly audit of mandate forms should be carried out jointly by the executive and accounts wings. Party Master modifications must strictly follow the maker-checker-verifier protocol with audit trail maintained for each entry.

C. Capacity Building of Staff

Regular training sessions should be organized to enhance knowledge of mandate verification, RBI procedural guidelines, SOPs, and common error codes (e.g., invalid IFSC, account closed, etc.). These refresher programs should be held annually or whenever there is a change in staff handling such transactions.

D. Adherence to Prescribed Timelines

All contractor/supplier bills must be settled within **30 days** as per RBA-155/2017. Any delay should be automatically escalated to Sr. DFM and concerned branch officers for fixing accountability.

The above measures will minimize transactional errors, strengthen internal controls, and enhance transparency in financial dealings. By institutionalizing checklists, enforcing verification protocols, and investing in staff training, the Accounts Department can significantly reduce the number of failed transactions. Most importantly, adherence to timelines will not only uphold financial discipline but also build trust with stakeholders.

2. System Improvement-II:

During a routine vigilance investigation at the Stores Accounts Branch, a deviation from prescribed job rotation norms. An official was repeatedly posted in the Stock Bill section, a sensitive seat handling vendor payment, without observing the mandatory cooling-off period, resulting in prolonged exposure to a single sensitive function. This case underscores the need for strict adherence to rotation policies to prevent potential misuse and ensure impartiality.

To strengthen accountability and transparency, it is recommended that all internal transfers within Stores Accounts be routed through the HQ confidential section and approved by Head of Department (like FA & CAO). Additionally, a systematic, date-wise record of supplier bill processing, including reasons for rejections, should be incorporated in the Bill passing register to provide clear audit trails, justify delays, and support robust monitoring. These measures will enhance procedural compliance and safeguard the integrity of financial operations.

क्या करें, क्या न करें

इंजीनियरिंग

क्या करें:

- ✓ अनुबंध की शर्तों से परिचित हों : अनुबंध संबंधी कार्य शुरू करने से पहले, अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी), अनुबंध की विशेष शर्तों और समझौते में उल्लिखित तकनीकी विशिष्टताओं की पूरी समझ सुनिश्चित करें।
- ✓ अद्यतन दिशानिर्देश शामिल करें : निविदा दस्तावेज में समय-समय पर जारी किए गए सभी प्रासंगिक परिपत्रों, दिशानिर्देशों और विनिर्देशों को शामिल करें और उन्हें अनुबंध का हिस्सा बनाएं।
- ✓ साइट रजिस्टर बनाए रखें : सभी आवश्यक साइट रजिस्ट्रों को सटीक और सुसंगत रूप से बनाए रखने के लिए पीसीई के संशोधित परिपत्र संख्या 31 का पालन करें।
- ✓ साइट हैंडओवर रिकॉर्ड करें : साइट ऑर्डर बुक में साइट हैंडओवर की तारीख दर्ज करें और हैंडओवर के तुरंत बाद ठेकेदार के हस्ताक्षर प्राप्त करें।
- ✓ ठेकेदार के इंजीनियर क्रेडेंशियल्स को सत्यापित करें : सुनिश्चित करें कि ठेकेदार का अधिकृत इंजीनियर जीसीसी-2022, भाग-II, पैरा-1(क्यू) की आवश्यकताओं को पूरा करता है, अर्थात्, इंजीनियर द्वारा विधिवत अनुमोदित निर्माण कार्य में 3 वर्ष से अधिक प्रासंगिक अनुभव के साथ स्नातक इंजीनियर या समकक्षा।
- ✓ परीक्षण क्यूब कार्टिंग का संचालन करें : कंक्रीट कार्यों के साथ आगे बढ़ने से पहले परीक्षण क्यूब्स कास्ट करें और डिजाइन मिश्रण के लिए अनुमोदन प्राप्त करें।
- ✓ सामग्री प्राप्ति का सत्यापन करें : सुनिश्चित करें कि कार्य अनुबंध के तहत प्राप्त सामग्री के लिए सीमेंट और स्टील बिलों की प्रतियां रखी गई हैं।
- ✓ गिद्दी आपूर्ति दिशानिर्देशों का पालन करें : गिद्दी आपूर्ति अनुबंधों के लिए, भू-तकनीकी इंजीनियरिंग निदेशालय, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन, लखनऊ-226011 द्वारा जारी ट्रैक गिद्दी के लिए IS/RDSO-GE/0001:2023 (फरवरी 2023) विनिर्देशों का अनुपालन करें।
- ✓ अतिक्रमण रोके : अतिक्रमण से बचने के लिए भूमि की सीमाओं का भौतिक रखरखाव करें और भूमि सीमा रजिस्टर को नियमित रूप से अद्यतन करें।
- ✓ क्वार्टरों का समय पर हस्तांतरण : नवनिर्मित रेलवे क्वार्टरों को आगे के आवंटन के लिए शीघ्रता से ओपन-लाइन संगठन को सौंप दिया जाए।
- ✓ मकान किराया भत्ते में कटौती सुनिश्चित करें : सत्यापित करें कि बिना उचित अनुमोदन के विस्तारित अवधि के लिए अस्थायी रेलवे आवास में रहने वाले कर्मचारियों या रेलवे अधिकारियों के मकान किराया भत्ते में आवश्यक कटौती सुनिश्चित की जाएगी।
- ✓ नियमित सुरक्षा ऑडिट आयोजित करें : सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निर्माण स्थलों पर आवधिक सुरक्षा ऑडिट आयोजित करें।
- ✓ कार्य प्रगति की निगरानी करें : अनुबंधित कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करें और उसका दस्तावेजीकरण करें ताकि अनुबंध अनुसूची के अनुसार समय पर कार्य पूरा हो सके।
- ✓ गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण सुनिश्चित करें : उपयोग से पहले निर्दिष्ट मानकों के अनुसार कंक्रीट, स्टील और गिद्दी जैसी सामग्रियों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण आयोजित करें।
- ✓ संचार रिकॉर्ड बनाए रखें : पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों और हितधारकों के साथ सभी संचार का विस्तृत रिकॉर्ड रखें।
- ✓ निर्मित चित्रों को अद्यतन करें : सुनिश्चित करें कि निर्मित चित्रों को भविष्य में संदर्भ के लिए निर्माण के दौरान किए गए किसी भी परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए सटीक रूप से अद्यतन किया गया है।

DO's & DON'Ts

Engineering

DO's:

- ✓ **Familiarize with Contract Conditions:** Before starting contractual works, ensure thorough understanding of the General Conditions of Contract (GCC), Special Conditions of Contract, and technical specifications outlined in the agreement.
- ✓ **Incorporate Updated Guidelines:** Include all relevant circulars, guidelines, and specifications issued periodically in the tender document and make them part of the contract.
- ✓ **Maintain Site Registers:** Adhere to PCE's Revised Circular No. 31 for maintaining all required site registers accurately and consistently.
- ✓ **Record Site Handover:** Document the date of site handover in the site order book and obtain the contractor's signature immediately after the handover.
- ✓ **Verify Contractor's Engineer Credentials:** Ensure the contractor's authorized engineer meets the requirements of GCC-2022, Part-II, para-1(q), i.e., a graduate engineer or equivalent with over 3 years of relevant experience in construction work, duly approved by the Engineer.
- ✓ **Conduct Trial Cube Casting:** Cast trial cubes and obtain approval for the design mix before proceeding with concrete works.
- ✓ **Verify Material Receipts:** Ensure copies of cement and steel bills are maintained for materials received under the works contract.
- ✓ **Follow Ballast Supply Guidelines:** For ballast supply contracts, comply with IS/RDSO-GE/0001:2023 (February 2023) specifications for track ballast issued by the Geo-Technical Engineering Directorate, Research Designs & Standards Organisation, Lucknow-226011.
- ✓ **Prevent Encroachments:** Physically maintain land boundaries and regularly update the land boundary register to avoid encroachments.
- ✓ **Timely Handover of Quarters:** Hand over newly constructed railway quarters to the open-line organization promptly for further allotment.
- ✓ **Ensure HRA Deduction:** Verify that staff or railway officials occupying temporary railway accommodation for extended period without proper approval necessary deduction of house rent allowance shall be ensured.
- ✓ **Conduct Regular Safety Audits:** Perform periodic safety audits at construction sites to ensure compliance with safety standards and prevent accidents.
- ✓ **Monitor Work Progress:** Regularly review and document the progress of contractual works to ensure timely completion as per the agreement schedule.
- ✓ **Ensure Quality Control Testing:** Conduct mandatory quality control tests for materials like concrete, steel, and ballast as per the specified standards before use.
- ✓ **Maintain Communication Records:** Keep detailed records of all communications with contractors and stakeholders to ensure transparency and accountability.
- ✓ **Update As-Built Drawings:** Ensure that as-built drawings are updated accurately to reflect any changes made during construction for future reference.

क्या न करें:

- ✓ **प्रमुख वस्तुओं का अत्यधिक संचालन न करें :** सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन के बिना अनुबंध मात्रा के 25% से अधिक किसी भी प्रमुख वस्तु का संचालन न करें।
- ✓ **एक ही कार्य के लिए कर्मचारियों को न मिलाएं :** एक ही कार्य को एक साथ करने के लिए ठेकेदार कर्मचारियों और विभागीय कर्मचारियों को नियुक्त न करें।
- ✓ **अंतिम बिल को समय से पहले संसाधित न करें :** जब तक सभी रेलवे सामग्रियों का हिसाब न हो जाए और उन्हें नामित संरक्षक को न सौंप दिया जाए, तब तक ठेकेदार को अंतिम बिल जारी न करें।
- ✓ **बिना अनुमोदन के गिद्दी स्वीकार न करें :** अनुमोदित डिपो स्केच और ब्राउंड वलीयर्स प्रमाणपत्र के बिना डिपो या साइट पर गिद्दी की आपूर्ति स्वीकार न करें।
- ✓ **बिना लेवल के मिट्टी कार्य की अनुमति न दें :** लेवल बुक में प्रारंभिक भूमि स्तर दर्ज किए बिना मिट्टी कार्य शुरू करने की अनुमति न दें, जिस पर एसएसई/डब्ल्यू, ठेकेदार और एक्सईएन/एडीएन द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों।
- ✓ **सामग्री परीक्षण के बिना आगे न बढ़ें :** जब तक सभी सामग्रियों (जैसे, सीमेंट, स्टील, ईटें, टाइलें, पेंट) का परीक्षण नहीं हो जाता और प्रासंगिक विनिर्देशों या कोडल प्रावधानों के अनुसार प्रमाणित नहीं हो जाता, तब तक कार्य को आगे न बढ़ने दें।
- ✓ **अनुमोदित योजनाओं से विचलित न हों :** उचित अनुमोदन प्राप्त किए बिना कार्य के दौरान अनुमोदित रेखाचित्रों या अनुबंध की शर्तों से विचलित न हों।
- ✓ **आवास का अनाधिकृत उपयोग न करने दें :** रेलवे आवास का अनाधिकृत तरीके से उपयोग न करने दें।
- ✓ **परीक्षण जांच के बिना बिल पास न करें :** छिपी हुई वस्तुओं पर 100% परीक्षण जांच और अन्य वस्तुओं पर कम से कम 20% परीक्षण जांच किए बिना बिल पास न करें।
- ✓ **निर्धारित निरीक्षणों की उपेक्षा न करें :** अधिकारियों को अपने निर्धारित खातों के अनुसार निरीक्षण करने में विफल नहीं होना चाहिए और निरीक्षण के बाद उसका विवरण जारी करना चाहिए।
- ✓ **निरीक्षण अनुपालन की अनदेखी न करें :** संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के विवरण का अनुपालन सुनिश्चित करने में उपेक्षा न करें।
- ✓ **आकस्मिक निरीक्षण से बचें नहीं :** मानकों और दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक निरीक्षण या जांच करने से बचें नहीं।
- ✓ **नवीनतम दिशा-निर्देशों की अनदेखी न करें :** क्षेत्रीय अधिकारियों को नवीनतम दिशा-निर्देशों या परिपत्रों से अनभिज्ञ न रहने दें; उच्च अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इनका प्रभावी ढंग से संप्रेषण किया जाए।
- ✓ **साइट इंजीनियर की उपस्थिति की उपेक्षा न करें :** उच्च अधिकारियों द्वारा जांच के माध्यम से साइट इंजीनियर की नियमित उपस्थिति को सत्यापित करना न भूलें।
- ✓ **घटिया कार्य को मंजूरी न दें :** ऐसे किसी भी कार्य को स्वीकार या मंजूरी न दें जो निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों या संविदात्मक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता हो।
- ✓ **अनियमितताओं की सूचना देने में देरी न करें :** साइट दौर या निरीक्षण के दौरान देखी गई किसी भी अनियमितता, विचलन या गैर-अनुपालन की सूचना उपयुक्त प्राधिकारियों को देने में देरी न करें।
- ✓ **अस्वीकृत विक्रेताओं का उपयोग न करें :** अस्वीकृत विक्रेताओं या आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री या सेवाएं न खरीदें जो अनुबंध में सूचीबद्ध नहीं हैं या रेलवे प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित नहीं हैं।
- ✓ **सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी न करें :** दुर्घटनाओं या खतरों को रोकने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल और दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किए बिना किसी भी कार्य को आगे बढ़ने की अनुमति न दें।

DON'Ts

- ✖ **Do Not Operate Major Items Excessively:** Do not execute any major item exceeding 25% of the agreement quantity without prior approval from the competent authority.
- ✖ **Do Not Mix Staff for Same Work:** Do not assign contractor staff and departmental staff to perform the same work simultaneously.
- ✖ **Do Not Process Final Bill Prematurely:** Do not release the final bill to the contractor until all railway materials are accounted for and handed over to the designated custodian.
- ✖ **Do Not Accept Ballast Without Approval:** Do not accept ballast supply at the depot or site without an approved depot sketch and Ground Clearance Certificate.
- ✖ **Do Not Allow Earthwork Without Levels:** Do not permit earthwork to commence without recording initial ground levels in the level book, duly signed by SSE/W, the contractor, and AXEN/ADEN.
- ✖ **Do Not Proceed Without Material Testing:** Do not allow work to proceed until all materials (e.g., cement, steel, bricks, tiles, paint) are tested and certified as per relevant specifications or codal provisions.
- ✖ **Do Not Deviate from Approved Plans:** Do not deviate from approved drawings or agreement conditions during the course of work without obtaining proper approval.
- ✖ **Do Not Permit Unauthorized Use of Accommodation:** Do not allow railway accommodation to be used in an unauthorized manner.
- ✖ **Do Not Pass Bills Without Test Checks:** Do not pass bills without conducting 100% test checks on hidden items and at least 20% test checks on other items.
- ✖ **Do Not Neglect Scheduled Inspections:** Officials must not fail to conduct inspections as per their scheduled accounts and must issue minutes of inspection afterward.
- ✖ **Do Not Ignore Inspection Compliance:** Do not neglect to ensure compliance with the minutes of inspection by the concerned officials.
- ✖ **Do Not Avoid Surprise Inspections:** Do not refrain from conducting surprise inspections or checks to ensure adherence to standards and guidelines.
- ✖ **Do Not Ignore Latest Guidelines:** Do not allow field officials to remain unaware of the latest guidelines or circulars; higher officials must ensure these are communicated effectively.
- ✖ **Do Not Neglect Site Engineer Presence:** Do not fail to verify the regular presence of the site engineer through checks by higher officials.
- ✖ **Do Not Approve Substandard Work:** Do not accept or approve any work that does not meet the specified quality standards or contractual requirements.
- ✖ **Do Not Delay Reporting Irregularities:** Do not delay reporting any irregularities, deviations, or non-compliance observed during site visits or inspections to the appropriate authorities.
- ✖ **Do Not Use Unapproved Vendors:** Do not procure materials or services from unapproved vendors or suppliers not listed in the contract or approved by the railway authorities.
- ✖ **Do Not Bypass Safety Protocols:** Do not allow any work to proceed without strict adherence to safety protocols and guidelines to prevent accidents or hazards.

क्या करें, क्या न करें

इलेक्ट्रिकल एवं सिगनल

क्या करें:

- ✓ सामग्री प्राप्त होने के बाद, यथाशीघ्र यूडीएम के माध्यम से प्राप्त सामग्री को 'रसीद टैब' में रखना सुनिश्चित करें।
- ✓ यदि सामग्री किसी लॉजिस्टिक के माध्यम से वितरित की जाती है, तो ई-वे बिल की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- ✓ सामग्री का उचित दृश्य निरीक्षण करें, भले ही सामग्री का निरीक्षण किसी तृतीय पक्ष द्वारा किया गया हो।
- ✓ सामग्री का समय पर निरीक्षण सुनिश्चित करें।
- ✓ राइट्स/आरडीएसओ द्वारा निरीक्षित सामग्री प्राप्त करते समय, सामग्री पर लगे निरीक्षण चिह्न/होलोग्राम का सावधानीपूर्वक सत्यापन किया जाना चाहिए।
- ✓ क्रय आदेश/अनुबंध के अनुसार विवरण, विनिर्देश, ड्राइंग संख्या, मात्रा आदि के अनुसार सही सामग्री प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
- ✓ प्राप्तकर्ता निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए मानक प्रारूप का उपयोग सुनिश्चित करें।
- ✓ उन सामग्रियों के लेन-देन का उचित रिकॉर्ड रखें जिनका लेन-देन तकनीकी समस्या के कारण यूडीएम के माध्यम से नहीं हो पाया है।
- ✓ विशिष्ट अंतराल पर सामग्री का स्टॉक सत्यापन सुनिश्चित करें।
- ✓ विशिष्ट मेक/मॉडल का उल्लेख करते हुए सामग्री का अनुमोदन सुनिश्चित करें।
- ✓ नवीनतम जीसीसी और दिशानिर्देशों के अनुसार निविदा अनुसूची तैयार करना सुनिश्चित करें।
- ✓ ऐसी पात्रता शर्तों का समर्थन सुनिश्चित करें ताकि अधिकतम निविदाकर्ता भाग ले सकें।
- ✓ दंड विवरण तैयार करते समय विशिष्ट दंड खंड का उल्लेख सुनिश्चित करें।
- ✓ सुनिश्चित करें कि दरों की उचितता की गंभीरतापूर्वक, तार्किक और तकनीकी, आर्थिक और व्यावहारिक रूप से, कुल लागत और व्यक्तिगत वस्तुओं की दरों दोनों के संबंध में जाँच की जाए।
- ✓ निविदा फ़ाइल की गहन जाँच की जानी चाहिए और दस्तावेज़ को कालानुक्रमिक रूप से फ़ाइल में रखा जाना चाहिए।
- ✓ सुनिश्चित करें कि गठित निविदा समिति में सक्षम स्तर के अधिकारी हों, जो मौजूदा नियमों के अनुसार निर्दिष्ट हों और उचित स्तर पर नामित हों।
- ✓ सुनिश्चित करें कि प्रस्तावों की सही स्थिति जानने के लिए वित्तीय निहितार्थ वाली सभी विशेष शर्तों का मूल्यांकन किया जाए।
- ✓ यदि सबसे कम प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है, तो उसे अस्वीकार करने के लिए प्रासंगिक और वैध कारणों, तकनीकी और/या वित्तीय, दोनों को दर्ज करें।
- ✓ साइट कार्यों का उचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें।
- ✓ सामग्री की खरीद के लिए सही मात्रा अनुमान, सही विवरण और विनिर्देश और किए जाने वाले कार्यों के लिए सही और यथार्थवादी अनुमान सुनिश्चित करें।
- ✓ कार्य के निष्पादन को कार्यस्थल रजिस्टर में कालानुक्रमिक रूप से दर्ज किया जाना चाहिए।
- ✓ केबल - नई केबल बिछाते समय, मिट्टी भरने से पहले गहराई, ईटें, रेत भराई, सुरक्षात्मक पाइप आदि की जाँच करें।
- ✓ रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
- ✓ माल प्राप्तकर्ता को सामान सौंपने से पहले सामान सौंपने का काम पूरा करना सुनिश्चित करें।
- ✓ सामग्री की खरीद के लिए विनिर्देश और विनिर्देश और किए जाने वाले कार्यों के लिए सही और यथार्थवादी अनुमान।

DO's & DON'Ts

Electrical & Signal

DO's:

- ✓ After receiving of materials Ensure keeping of receipt materials in 'Receipt tab' through UDM as early as possible.
- ✓ Ensure availability of e-way bill if the material is delivered through a logistic.
- ✓ Conduct proper visual inspection of the material even if the material had been inspected by a third party.
- ✓ Ensure timely inspections of the materials.
- ✓ When receiving of material Inspected by RITES / RDSO the inspection mark / Hologram affixed on the materials should be verified carefully.
- ✓ Ensure to receive correct materials as per description, specification, drawing number, quantity etc. as per the purchase order/ contract.
- ✓ Ensure use of standard format to issue consignee inspection certificate.
- ✓ Keep proper records for transaction of those materials for which transactions through UDM not done due to technical problem.
- ✓ Ensure conduction of stock verification of materials at specific intervals.
- ✓ Ensure approval of materials mentioning specific make/model.
- ✓ Ensure preparation of tender schedule in accordance with latest GCC and guidelines.
- ✓ Ensure endorsement of such eligibility conditions so that maximum tenderers can participate.
- ✓ Ensure mentioning of specific penalty clause while preparing penalty statement.
- ✓ Ensure that the reasonableness of rates is examined critically, logically and technically, economically, practically, both in respect of total cost and rates of individual items
- ✓ Tender file should be scrutinized thoroughly and the document should be kept in file chronologically
- ✓ Ensure that tender committee constituted is of competent level of officers, specified as per extant rules and nominated at an appropriate level
- ✓ Ensure that all special conditions having financial implications are evaluated, to arrive at correct position of the offers
- ✓ Record the relevant and valid reasons, both technical and /or financial, for by passing the lowest offer, if it is not acceptable
- ✓ Ensure proper supervision of site works.
- ✓ Ensure correct quantity estimate and correct description & specification for procurement of materials and correct and realistic estimate for works to be executed.
- ✓ The execution of work should be documented chronologically in work site register.
- ✓ Cable-While laying new cables check the depth, bricks, sand filling, protective pipes etc. before filling up the earth.
- ✓ Follow guide lines published by Railway Board strictly.
- ✓ Ensure completion of handing over of stores before releasing the store consignee
- ✓ Specification for procurement of materials and correct and realistic estimate for works to be executed.

क्या न करें:

- ✖ केवल पार्टी द्वारा प्रदान किए गए होलोग्राम की जाँच करके तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण की गई सामग्री को आँख बंद करके स्वीकार न करें। उचित दृश्य निरीक्षण करें।
- ✖ अनुबंध में ऐसे बदलाव न करें जिससे अनुबंध का उल्लंघन न हो।
- ✖ ऐसी आपूर्ति वस्तुएँ प्राप्त न करें जो अनुबंधों में निष्पादित न हों।
- ✖ दंड खंड का उल्लेख किए बिना दंड विवरण तैयार न करें।
- ✖ टी.सी. में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश न करें, दबाएँ, बढ़ा-चढ़ाकर न बताएँ या हेरफेर न करें।
- ✖ रखरखाव के लिए ऐसी कोई भी वस्तु शामिल न करें जो कार्यस्थल पर मौजूद न हो।
- ✖ माप की भौतिक जाँच किए बिना एमबी या बिल में प्रमाणित न करें।
- ✖ एमबी (मापन पुस्तिका) - ओवरराइटिंग से बचें और माप विशिष्ट होने चाहिए।
- ✖ अंतिम बिल के हिस्से के रूप में संबंधित कार्यकारी और ठेकेदार, दोनों से "नो वलेम सर्टिफिकेट" बनवाना न भूलें।
- ✖ कार्य सौंपे जाने के बाद विवरण और विनिर्देश में बदलाव न करें।
- ✖ परिवर्तन करते समय विटिएशन स्टेटमेंट तैयार करना न भूलें।
- ✖ किसी स्टॉक वस्तु के लिए गैर-स्टॉक इंडेंट जमा न करें, सिवाय विशेष परिस्थितियों के, जिसमें उसके कारण दर्ज हों।
- ✖ एक निश्चित सीमा के भीतर लाने के लिए माँग को विभाजित न करें।
- ✖ जब तक आप पूरी तरह से और व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट न हों, तब तक तात्कालिकता प्रमाणित न करें क्योंकि इससे उत्तम दर पर खरीदारी हो सकती है।
- ✖ निविदा मामलों के निपटान में विलंब न करें।
- ✖ उचित/प्रासंगिक दस्तावेजों के बिना सामग्री प्राप्त एवं जारी न करें।
- ✖ मांग-पत्र में काल्पनिक/अस्तित्वहीन विक्रेताओं के नाम न दें।
- ✖ आपूर्तिकर्ता के लाभ के लिए डी.पी. को पुनः निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए।

क्या करें, क्या न करें

स्टोर एवं मैकेनिकल

क्या करें:

- ✓ मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार प्रस्ताव की जाँच और वित्तीय सहमति।
- ✓ निविदा/बोली में पात्रता मानदंड स्पष्ट रूप से परिभाषित करना।
- ✓ सही प्राप्तकर्ता का चयन।
- ✓ वितरण अवधि, समापन अवधि स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए।
- ✓ विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र और दस्तावेज स्पष्ट रूप से दर्शाए जाने चाहिए।
- ✓ बोलीदाता की अयोग्यता के लिए स्पष्ट टिप्पणियाँ शामिल करें।
- ✓ यदि बेचे गए लॉट का स्क्रेप वितरण के दौरान कम पाया जाता है, तो स्क्रेप की कम डिलीवरी की शर्तों का पालन किया जाना चाहिए।
- ✓ सामान्य स्वीकृति कोड (GCC), विशेष स्वीकृति कोड (SCC) आदि को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए और उचित रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

DON'Ts

- ✖ Don't accept third party inspected material blindly only by checking holograms provided by the party. Go through conducting proper visual inspection.
- ✖ Avoid variations in contract such that vitiation does not take place.
- ✖ Don't receive supply items which is not executed in the contracts.
- ✖ Don't prepare penalty statements without mentioning penalty clause.
- ✖ Do not twist, suppress, exaggerate or manipulate facts in the T.C.
- ✖ Do not incorporate any items for maintenance, which are not exist at site
- ✖ Don't certify in MB or Bill without checking of Measurement physically
- ✖ MB (Measurement Book)-Overwriting should be avoided and measurements should be specific
- ✖ Don't forget to make "No claim certificate" from both the concerned executive & Contractor as a part of final bill
- ✖ Don't change description & specification after award of the work
- ✖ Don't forget to prepare vitiation statement while doing variation
- ✖ Do not submit non-stock indent for a stock item, except under special circumstance recording the reasons for the same
- ✖ Do not split the demand to bring within certain limit
- ✖ Do not certify urgency unless you are fully and personally satisfied about it as this may lead to purchase at a higher rate
- ✖ Do not delay in disposal of tender cases
- ✖ Do not receive & issue materials without proper/relevant documents
- ✖ Do not furnish names of fictitious/nonexistent vendors on the indent
- ✖ DP should not be re-fixed to mere benefit of the supplier.

DO's & DON'Ts

Stores & Mechanical

DO's:

- ✓ Scrutiny of Proposal and finance concurrence as per SOP
- ✓ Clearly defining the Eligibility Criteria in tender/bid.
- ✓ Selection of Correct Consignee.
- ✓ Delivery Period, Completion Period need to be clearly defined.
- ✓ Certificate, Documents to be submitted by seller should be clearly indicated
- ✓ Incorporate clear remarks for disqualification of the bidder.
- ✓ Conditions for Short Delivery of Scrap to be followed in case scrap of sold lot found short during delivery.
- ✓ GCC, SCC etc. to be read carefully and suitably incorporated

क्या न करें:

- ✖ प्रस्ताव के साथ कार्य का उचित दायरा प्रस्तुत न करना।
- ✖ वितरण शर्तें, भुगतान शर्तें, उतराई की शर्तें, दंड संबंधी प्रावधान स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं।
- ✖ निविदा/बोली/पीओ में ईएमडी, पीबीजी आदि का सही प्रतिशत न बताना।
- ✖ निविदा/बोली के लिए प्रतिबंधात्मक पात्रता मानदंड।
- ✖ निविदा/बोली/पीओ में अप्रचलित मानकों और विशिष्टताओं का उपयोग।
- ✖ वारंटी/गारंटी खंड में विसंगति।
- ✖ वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का उल्लंघन।

क्या करें, क्या न करें

यातायात

टिकट जांच (बोर्ड/स्टेशन पर)

क्या करें:

- ✓ यूटीएस/पीआरएस खाली टिकट या हस्तालिखित टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। इसकी सूचना संबंधित मुख्यालय को दी जानी चाहिए। यदि कोई बेमेल टिकट हो तो उसे जब्त कर लिया जाए तथा तत्काल संभागीय मुख्यालय को सूचित किया जाए।
- ✓ जांच कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी समय उनके पास 2 से अधिक ईएफटी पुस्तकें न हों।
- ✓ पूर्णतः उपयोग की गई ई.एफ.टी. पुस्तकें सरकारी नकदी जमा करने के पश्चात् तुरन्त संबंधित कर्मचारी को वापस कर दी जानी चाहिए।
- ✓ पहले से खरीदे गए टिकटों की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए।
- ✓ शून्य मूल्य वाले टिकट अर्थात् विशेषाधिकार/ड्यूटी पास पर जारी किए गए टिकटों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए और विशेषाधिकार/ड्यूटी पास पर समर्थन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- ✓ विभिन्न रियायती वाउचरों जैसे विशेषाधिकार पास, चिकित्सा रियायत प्रमाण पत्र, सैन्य वारंट, ड्यूटी पास, पीटीओ पर जारी टिकटों की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रियायती वाउचर पर टिकट सही ढंग से जारी किए गए हैं।
- ✓ विभिन्न मापदंडों जैसे ब्रेक जर्नी स्टेशन का समर्थन, पास/वाउचर की वैधता और पात्रता की बारीकी से जांच की जानी चाहिए और पास/वाउचर पर उचित समर्थन किया जाना चाहिए।
- ✓ मासिक ईएफटी रिटर्न समय पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- ✓ यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आरक्षित डिब्बों में कोई भी अनियमित यात्री यात्रा न कर रहा हो, ताकि आरक्षित यात्रियों को उनके कारण कोई परेशानी न हो।
- ✓ टिकट स्थानांतरण का पता लगाने के लिए यात्रियों की फोटो पहचान-पत्र की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए।
- ✓ ड्यूटी के अंत में सरकारी नकदी जमा करनी होगी।
- ✓ ईएफटी पन्नी के सभी कॉलम को दो तरफा कार्बन का उपयोग करके स्पष्ट रूप से भरा जाना चाहिए और ईएफटी पर यात्री के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाने चाहिए।
- ✓ शुल्क शुरू करने से पहले, निजी नकदी को OCT/CTI कार्यालय में तथा अंतिम बार उपयोग किए गए EFT पन्नी के पीछे घोषित किया जाना चाहिए।
- ✓ टिकट जांच कर्मचारियों को ड्यूटी करते समय उचित वर्दी और नाम का बैज पहनना होगा ताकि किसी सहायता की आवश्यकता होने पर आम जनता उन्हें पहचान सके।
- ✓ रेलगाड़ियों या स्टेशनों पर जाँच करने में जाँच एजेंसियों को सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। सतर्कता और धोखाधड़ी-रोधी दस्ते अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए होते हैं और जाँच में उनके साथ असहयोग करने से असहयोग करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध संदेह उत्पन्न होता है।

DON'Ts:

- ✗ Non submission of proper Scope of Work along with the proposal.
- ✗ Delivery Terms, Payment Terms, Unloading Condition, Penalty Clause are not clearly defined.
- ✗ Not mentioning the correct percentage of EMD, PBG etc. in tender/bid/PO.
- ✗ Restrictive eligibility criteria of tender/bid.
- ✗ Use of obsolete standards, specifications in tender/bid/PO.
- ✗ Discrepancy in warranty/guarantee clause.
- ✗ Violation of Canons of Financial Propriety.

DO's & DON'Ts

Traffic

Ticket checking

DO's:

- ✓ Mismatch tickets, if any, should be seized and immediately reported to divisional headquarters.
- ✓ The checking staff should ensure that more than 2 EFT books are not with them at any point of time.
- ✓ Completely used EFT books must be returned immediately to concerned staff after depositing govt. cash.
- ✓ The pre-bought tickets should be thoroughly checked.
- ✓ The Zero value tickets viz. Tickets issued on Privilege/Duty pass should be minutely checked and endorsement on supporting Privilege/Duty pass should be ensured.
- ✓ Tickets issued on various concessional vouchers viz. privilege pass, medical concession certificates, military warrants, duty pass, PTOs should be thoroughly checked so as to ensure that tickets are issued correctly on concessional vouchers.
- ✓ Various parameters e.g. endorsement of break journey stations, validity and entitlement of pass/voucher should be minutely checked and appropriate endorsement should be done on pass/voucher.
- ✓ The monthly EFT Returns should be submitted well in time.
- ✓ It should be ensured that no irregular passenger is travelling in reserved coaches so as to ensure reserved passengers do not face any problem due to them.
- ✓ Photo ID of passengers should be thoroughly checked to detect transfer of ticket cases.
- ✓ Government cash must be deposited at the end of duty.
- ✓ All columns of EFT foil must be legibly filed using double sided carbon and passenger's signature should be obtained on EFT.
- ✓ Prior to commencing the duty, private cash should be declared at OCT/CTI office as well as on the reverse of last used EFT foil.
- ✓ Ticket checking staff must wear proper uniform, name badge while performing duty so that the general public may identify them in case any assistance is required.
- ✓ Co-operation should be rendered to investigating agencies in conducting checks in trains or at stations. Vigilance and Anti-fraud squads are there to perform their duties and rendering non-cooperation to them in check raises suspicion against staff rendering non-cooperation.

आरक्षण और बुकिंग

क्या करें:

- ✓ इयूटी शुरू होने से पहले निजी नकदी को नकदी घोषणा पुस्तिका और सिस्टम में घोषित किया जाना चाहिए।
- ✓ कर्मचारियों को इयूटी करते समय उचित नाम बैज और वर्दी पहननी होगी।
- ✓ टिकट खिड़कियों पर किराया संकेतक और रिपीटर (यदि उपलब्ध हों) की इयूटी शुरू होने से पहले जांच कर लेनी चाहिए।
- ✓ रियायत वाउचर/पास/पीटीओ को रियायत देने से पहले उनकी पूरी जांच की जानी चाहिए।
- ✓ टिकट जारी करते समय आरक्षण वलर्क द्वारा पास/वाउचर पर उचित पृष्ठांकन अंकित किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टिकट जारी करने के लिए उसी पास का पुनः उपयोग/दुरुपयोग न किया जाए।
- ✓ सरकारी नकदी (शिफ्टवार) प्रतिदिन स्टेशन के कैशियर/सीबीएस के पास स्पष्ट पावती के साथ जमा की जानी चाहिए।
- ✓ विशेष रद्दीकरण केवल पर्यवेक्षकों की अनुमति से ही किया जाना चाहिए और रजिस्टर में उचित प्रविष्टि की जानी चाहिए।
- ✓ गैर-जारी टिकटों की प्रविष्टि गैर-जारी रजिस्टर में की जानी चाहिए।
- ✓ सभी प्रकार से विधिवत भरे गए मांग पत्र (पीआरएस में) स्वीकार किए जाने चाहिए।
- ✓ सीबीएस/सीआरएस को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी नकदी की कमी/अधिकता की भरपाई उसी दिन कर दी जाए।
- ✓ यूटीएस/पीआरएस जेपीओ के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए।
- ✓ कतार रजिस्टर, बेमेल रजिस्टर और नाम परिवर्तन रजिस्टर का उचित रखरखाव किया जाना चाहिए।
- ✓ टिकटों के मिलान न होने की स्थिति में पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रजिस्टर में उचित प्रविष्टि की गई है तथा पीआरएस टिकटों के मामले में ऑपरेटर के निर्देशों के लिए मामले की सूचना तुरंत डेटाबेस/कंसोल को दी जानी चाहिए।
- ✓ पार्टी बुकिंग, नाम परिवर्तन के संबंध में मौजूदा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
- ✓ स्टॉक रजिस्टर में टिकट रोल का उचित लेखा-जोखा रखा जाना चाहिए तथा टिकट रोल का उपयोग क्रमानुसार किया जाना चाहिए।
- ✓ पीआरएस टिकट जारी करते समय विशेषाधिकार/इयूटी पास पर उचित अनुमोदन किया जाता है।
- ✓ सीबीएस को कम मूल्य के टिकटों के स्टॉक पर उच्च मूल्य के टिकट जारी करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए बेमेल टिकटों की बारीकी से जांच करनी चाहिए।
- ✓ पीआरएस टिकटों के लिए, बोर्डिंग स्थान बदलते समय और डुप्लीकेट टिकट जारी करते समय यात्रियों की वास्तविकता की जांच की जानी चाहिए।
- ✓ यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए कि यूटीएस प्रणाली में सभी मार्ग अच्छी तरह से परिभाषित हैं।

क्या न करें:

- ✗ कभी भी खाली या हस्तालिखित टिकट जारी न करें, उन्हें जारी नहीं किया जा सकता है और उन्हें केवल गैर-जारी किया जाना चाहिए।
- ✗ यात्रियों से उचित किराया लिया जाना चाहिए तथा अधिक किराया नहीं लिया जाना चाहिए।
- ✗ पीआरएस/तत्काल टिकट जारी करते समय प्राथमिकता का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।
- ✗ ओ.टी.सी. पुस्तकों में कोई परिवर्तन, अधिलेखन नहीं किया जाना चाहिए।
- ✗ पीआरएस टिकट कभी भी मांग पत्र स्वीकार किए बिना जारी नहीं किए जाने चाहिए तथा टेलीफोन पर अनुरोध करने पर पास पर टिकट जारी नहीं किए जाने चाहिए।
- ✗ बुकिंग में कमी के भुगतान के लिए बुकिंग में अधिकता को समायोजित न करें।
- ✗ अप्रचलित टिकटों के शीघ्र निपटान/नष्ट करने के लिए त्वरित कार्यवाई की जानी चाहिए।
- ✗ पीसीटी का स्टॉक सीनियर डीसीएम की अनुमति के बिना नहीं रखा जाना चाहिए।

Reservation & Booking

DO's:

- ✓ Private cash must be declared in the cash declaration book and in the system, prior to commencement of duty.
- ✓ Staff must wear proper name badge and uniform while performing duty.
- ✓ Fare indications and repeaters (if available) at ticket windows should be checked before start of duty.
- ✓ Concession vouchers/Pass/PTOs should be thoroughly examined before granting concession to them.
- ✓ Appropriate endorsement should be marked by reservation clerks on pass/voucher while issuing tickets so as to ensure that the same pass is not re-used/misused for issuing tickets.
- ✓ Government cash (shift wise) must be deposited daily with Cashier/CBS of the station under clear acknowledgement.
- ✓ Special cancellations should be done only with the permission of Supervisors and appropriate entry must be made in the register.
- ✓ Entry of non-issued tickets must be made in the Non-Issue Register.
- ✓ Requisition forms (in PRS) duly completed in all respects should be accepted.
- ✓ CBS/CRS must ensure that shortage/excess in government cash are made good on the same day itself.
- ✓ The provisions of UTS/PRS JPOs should be strictly complied with.
- ✓ The queue register, mismatch register and name change register should be properly maintained.
- ✓ In case of mismatch of tickets, the supervisor should ensure that proper entry is made in the register and for PRS tickets the matter should be reported immediately to the database/console for the operator instructions.
- ✓ Extant instructions w.r.t. Party booking, name-change should be strictly followed.
- ✓ Proper account of tickets rolls should be made in the stock register and ticket rolls should be used sequentially.
- ✓ Appropriate endorsement is done on privilege/duty pass while issuing PRS tickets.
- ✓ CBS should minutely check the mismatch tickets with a view of the possibility of issuance of high value tickets on stock of low value tickets.
- ✓ For PRS tickets, genuineness of passengers should be checked while changing the boarding point and issuing the duplicate ticket.
- ✓ Prescribed procedure should be followed to ensure that all routes are well defined in the UTS system.

DON'Ts:

- ✗ Never issue Blank or Handwritten tickets, these cannot be issued and should only be non-issued.
- ✗ Exact due fare should be received from passengers and overcharging should not be done.
- ✗ While issuing PRS/Tatkal tickets, priority should not be infringed.
- ✗ No alteration, overwriting should be done in OTC books.
- ✗ PRS Tickets should never be issued without accepting requisition forms and tickets on pass should not be issued on telephonic request.
- ✗ Do not adjust excess in booking towards payment of shortage in booking.
- ✗ Expeditious action should be taken for early disposal/destruction of obsolete tickets.
- ✗ Stock of PCTs should not be kept without permission of Sr.DCM.

माल यातायात

क्या करें:

- ✓ प्रभार्य दूरी और वस्तुओं के वर्गीकरण के संबंध में बाह्य सूचकांक रजिस्टर को सही रखें।
- ✓ वैगन स्थानांतरण रजिस्टर में प्रत्येक वैगन के लिए प्लेसमेंट/रिलीज समय का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- ✓ डिलीवरी के लिए उपलब्ध कराए गए माल, दी गई डिलीवरी और डिलीवरी के बाद हटाए गए माल की तारीख और समय का उल्लेख डिलीवरी बुक में किया जाना चाहिए।
- ✓ वस्तुओं की वजन स्थिति के संबंध में नवीनतम परिपत्रों और दर सलाह को बनाए रखा जाना चाहिए।
- ✓ अधिग्रहण और निर्माण के लिए प्लेसमेंट और रिलीज मेमो को समय और तारीख के साथ स्पष्ट पावती के तहत लिया जाना चाहिए, इसे क्रमांकित किया जाना चाहिए।
- ✓ प्रेषक के वजन को सत्यापित करने के लिए, आईआरसीएम-खंड II और उसके संशोधनों में निहित निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
- ✓ प्लेसमेंट और रिलीज मेमो का रिकॉर्ड रजिस्टर में रखा जाना चाहिए।
- ✓ मूल रेलवे रसीद के अभाव में स्टाम्पयुक्त क्षतिपूर्ति बांड पर डिलीवरी के मामले में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति रखनी होगी।
- ✓ इंडेंट रजिस्टर पर प्राथमिकता बनाए रखी जानी चाहिए।
- ✓ प्रत्येक वैगन के लिए माल की निकासी सुनिश्चित करने के बाद ही रिलीज मेमो जारी किया जाना चाहिए।
- ✓ खाद्यान्न लदान के लिए रेलवे रसीद पर उचित टिप्पणी दी जानी चाहिए।

क्या न करें:

- ✗ गलत घोषित माल की लोडिंग की अनुमति न दें।
- ✗ वैगनों में अधिक माल लाने की अनुमति न दें।
- ✗ नोट अंग्रेषित करने के पुराने प्रारूप का उपयोग न करें।
- ✗ "ट्रक से वैगन में सीधे लोडिंग", "रेलवे कर्मचारियों द्वारा लोडिंग की निगरानी नहीं की जाती है", "प्रेषक का वजन स्वीकार किया जाता है" आदि पाठ वाले खबर स्टैम्प का उपयोग न करें। इन्हें अधिमानतः आरआर जारी करने वाले कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
- ✗ लोडिंग/अनलोडिंग पूरी न होने के बावजूद रेल को रिलीज दिखाकर रेलवे राजस्व की कीमत पर पार्ट को सुविधा नहीं दी जानी चाहिए।
- ✗ सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना स्टैकिंग नहीं की जानी चाहिए।
- ✗ गैर-जलयोधी या दोषपूर्ण वैगनों को लोड न करें।
- ✗ बुकिंग के लिए क्षतिग्रस्त सामान स्वीकार न करें।
- ✗ जाम या ढीली सामग्री वाले खाली स्टॉक/लोड को जारी न करें।

पार्सल और सामान

क्या करें:

- ✓ बुकिंग, लोडिंग, वीपी संलग्न करने आदि के दौरान नवीनतम "व्यापक पार्सल लीजिंग नीति" के सभी प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए।
- ✓ माल को स्वीकार करते समय और बुकिंग करते समय, वजन अवश्य किया जाना चाहिए और वास्तविक वजन को एफ/नोट्स और पीडब्ल्यूबी/एलटी के उपयुक्त कॉलम में दर्शाया जाना चाहिए।

Goods Traffic

DO's:

- ✓ Keep the outward index register corrected in respect of chargeable distances, and classification of commodities.
- ✓ Placement/release time in the wagon transfer register should be mentioned for individual wagons.
- ✓ Date and time of consignments made available for delivery, delivery granted and consignment removed after delivery should be mentioned in the delivery book.
- ✓ Recent circulars and rate advice must be maintained regarding the weight condition of commodities.
- ✓ Placement and release memos for taking and making over must be taken under clear acknowledgement with time and date, it should be numbered.
- ✓ To verify sender's weight, instructions contained in IRCM-Vol. II and amendments thereof should be strictly followed.
- ✓ Record of placement and release memos should be maintained in the register.
- ✓ Permission of competent authority in case of delivery on stamped indemnity bond in absence of original Railway Receipt should be maintained.
- ✓ The priority should be maintained on the indent register.
- ✓ Release memo should be issued only after ensuring the removal of the consignment for each wagon.
- ✓ For loading of foodgrains, proper remarks should be passed in the railway receipt.

DON'Ts:

- ✗ Do not allow loading of mis-declared Goods.
- ✗ Do not allow overloading of wagons.
- ✗ Do not use the old format of forwarding note.
- ✗ Do not use rubber stamps containing text "Direct loading from truck to wagon", "loading not supervised by Railway staff", "Senders weight accepted" etc. These should preferably be handwritten by the RR issuing staff.
- ✗ Party should not be accommodated at the cost of Railway revenue by showing the rake as release despite the fact the loading/unloading is not completed.
- ✗ Stacking should not be done without prior permission of competent authority.
- ✗ Do not load non-watertight or defective wagons.
- ✗ Do not accept damaged goods for booking.
- ✗ Do not release empty stock/load having jam or loose materials.

Parcel & Luggage

DO's:

- ✓ All provisions of the latest "Comprehensive Parcel Leasing Policy" should be followed while booking, loading, attaching VPs etc.
- ✓ While accepting and booking of consignment, weight must be done and actual weight should be shown in appropriate columns of F/notes and PWBs/LTs.

- ✓ लोडिंग का काम सख्ती से उन ट्रेनों के अनुसार किया जाना चाहिए जिनके लिए पैकेज बुक किए गए हैं। खाली जगह का उपयोग करने के लिए, उन ट्रेनों में पैकेज लोड करते समय निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए जिनमें ये बुक नहीं किए गए हैं।
- ✓ दावों को रोकने के लिए निवारक कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रेषक/प्राप्तकर्ता का पूरा नाम और डाक पता, पैकिंग की स्थिति के बारे में टिप्पणियाँ F/नोट पर प्राप्त की जानी चाहिए और उन्हें PWB/LT के सभी फ़ॉइल पर अंकित किया जाना चाहिए।
- ✓ पार्सल/सामान आदि की बुकिंग और डिलीवरी का समय और तारीख स्वीकृति और डिलीवरी बुक में अवश्य अंकित की जानी चाहिए।
- ✓ पार्सल की लोडिंग बुकिंग प्राथमिकता के अनुसार की जानी चाहिए और लोडिंग सारांश के साथ पीडब्ल्यूबी/एलटी की गार्ड की पन्नी अवश्य होनी चाहिए।
- ✓ ब्रेक वैन के सीलबंद लेबल, जिनसे पैकेज अर्थात् पार्सल/सामान उतारा गया है, को रिकार्ड में रखा जाना चाहिए।
- ✓ आरंभिक पट्टे का उचित रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। पट्टाधारक को निःशुल्क पतियाँ और गैर-लोडिंग की अनुमति केवल अनुबंध के प्रावधान के अनुसार ही दी जानी चाहिए।
- ✓ पट्टाधारक/माल प्राप्तकर्ता से सही भाड़ा वसूल किया जाना चाहिए।
- ✓ पट्टाधारक को केवल घोषणापत्र प्रस्तुत करने पर ही माल को स्टेशनों तक लाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- ✓ पट्टे पर दी गई वस्तुओं पर निजी चिह्न सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- ✓ ओवरलोडिंग का पता लगाने के लिए पट्टे पर दिए गए एसएलआर/वीपी का समय-समय पर पुनः वजन किया जाना चाहिए।
- ✓ तौल तराजू/ईआईएमडब्ल्यूबी का आवधिक प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

वया न करें:

- ✗ पट्टे पर दिए गए एसएलआर में ओवरलोडिंग और गलत घोषित पार्सल की अनुमति न दें।
- ✗ यदि आर.आर. प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उचित आई/बॉन्ड के निष्पादन के बिना पार्सल की डिलीवरी की अनुमति न दें।
- ✗ बिना वजन किए पैकेज स्वीकार न करें, सीबीए बुक किए गए पैकेजों के मामले में, निर्धारित संख्या (ओ/ओ आयु) के पैकेजों का पुनः वजन किया जाना चाहिए।
- ✗ निजी चिह्न के बिना पट्टे पर दिए गए माल के पैकेजों को स्वीकार न करें।
- ✗ पैकेज लोड करते समय प्राथमिकता का उल्लंघन न करें।
- ✗ पट्टा धारक से अपूर्ण/गलत भाड़ा न वसूलें।

वया करें, वया न करें

कार्मिक

अनुकंपा आधार नियुक्तियाँ

वया करें:

- ✓ घटना घटित होने पर प्राथमिकता के आधार पर तुरंत मामले दर्ज करें।
- ✓ एस एंड डब्ल्यू आई की रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- ✓ यदि परिवार द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र आदि जैसे दस्तावेज जमा करने में कोई विलंब होने की आशंका हो, तो अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें, ताकि वांछित दस्तावेज प्राप्त होने पर मामले पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
- ✓ नियुक्ति पर विचार हेतु औपचारिकताएं पूरी करने में परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करें।
- ✓ परिवार को बेईमान तत्वों के हाथों में पड़ने से बचाएं।
- ✓ नियुक्ति के लिए प्रस्तुत किए जा रहे उम्मीदवार की विश्वसनीयता की कर्मचारी द्वारा सेवा के दौरान प्रस्तुत की गई विभिन्न घोषणाओं का सत्यापन करके पूरी तरह से जांच करें।

- ✓ Loading should be done strictly as per trains for which the packages have been booked. To utilize the vacant space, prescribed procedures should be followed while loading packages in a train in which these were not booked.
- ✓ Preventive action should be taken to prevent claims. Complete name and postal addresses of consignor/consignee, remarks regarding packing condition should be obtained on F/Note and same should be passed on all foils of PWB/LTs.
- ✓ Time and date of booking and delivery of parcels/luggage etc must be mentioned in acceptance and delivery books.
- ✓ Loading of parcels should be done as per booking priority and Guard's foil of PWB/LT must accompany the loading summary.
- ✓ Sealed labels of brake van from which packages i.e. parcels/luggage have been unloaded should be kept in record.
- ✓ Proper record of originating lease should be maintained. The free leaves and non-loading should be permitted to the lease holder as per provision of agreement only.
- ✓ Correct freight should be collected from the lease holder/consignee.
- ✓ The lease holder should be allowed to bring the consignment to the stations only on the production of manifest.
- ✓ Private marks on the leased consignments should be ensured.
- ✓ Periodical re-weighment of leased SLR/VP should be conducted to detect overloading.
- ✓ Periodical certifications of weighing scales/EIMWB should be ensured.

DON'Ts:

- ✗ Do not allow overloading and mis-declared parcels in leased SLRs.
- ✗ Do not allow delivery of Parcels without execution of proper I/Bond in case of RR is not produced.
- ✗ Do not accept packages without weighment, in case of CBA booked packages, prescribed number (o/o age) of packages must be reweighed.
- ✗ Do not entertain packages of leased consignments without private marks on them.
- ✗ Do not practice priority infringement while loading packages.
- ✗ Do not collect incomplete/incorrect freight from the lease holder.

DO's & DON'Ts **Personnel**

COMPASSIONATE GROUND APPOINTMENTS

DO's:

- ✓ Register the cases immediately on occurrence of the event priority-wise.
- ✓ Ensure submission of S&WI's report as early as possible
- ✓ If there is any anticipated delay in submission of documents like death certificate etc. by the family, complete all other formalities so that the case is processed immediately on receipt of desired documents.
- ✓ Render the family all possible assistance in getting the formalities fulfilled for consideration of appointment.
- ✓ Save the family from falling prey in the hands of unscrupulous elements.
- ✓ Thoroughly check the credentials of the candidate being presented for appointment by verifying various declarations submitted by the employee while in service.

- ✓ आयु, शैक्षिक योग्यता आदि के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच करें और शैक्षिक संस्थानों और बोर्डों से आवश्यक पूछताछ करके उनका सत्यापन करें।
- ✓ प्रत्येक माह निर्धारित तिथि पर नियमित रूप से स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करके विभिन्न प्राथमिकताओं के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन करें।
- ✓ जहां आवश्यक हो, आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन सुनिश्चित करें।
- ✓ नियुक्ति के लिए पात्र पारिवारिक सदस्य का निर्धारण करने में समय-समय पर जारी बोर्ड के निर्देशों का पालन करें।
- ✓ सुनिश्चित करें कि निर्धारित सक्षम प्राधिकारी अर्थात् डीआरएम/सीडब्ल्यूएम/पीएचओडी/जीएम/रेलवे बोर्ड मामले की परिस्थितियों के आधार पर नियुक्ति को मंजूरी दे।
- ✓ सुनिश्चित करें कि परिवार के सदस्यों को उनके द्वारा चुने गए डिवीजन/रेलवे में अनुकंपा नियुक्ति पाने के अधिकार के बारे में सलाह दी गई है।
- ✓ सुनिश्चित करें कि उपयुक्तता परीक्षण अर्थात् लिखित परीक्षा एक ही दिन में पूरी हो जाए।
- ✓ सुनिश्चित करें कि उपयुक्तता पारदर्शी हो और सीसीटीवी कैमरों की उपस्थिति में आयोजित की जाए।
- ✓ सुनिश्चित करें कि लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले परिवार के सदस्य को परीक्षण के पैटर्न और मानक के बारे में उचित सलाह दी गई है।
- ✓ सुनिश्चित करें कि लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले परिवार के सदस्य को कॉल लेटर के साथ परीक्षा का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाए।
- ✓ सुनिश्चित करें कि लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले परिवार के सदस्य को उपयुक्तता परीक्षण में उपस्थित होने के लिए पर्याप्त समय (न्यूनतम 3 सप्ताह) प्रदान किया जाए।
- ✓ सुनिश्चित करें कि उपयुक्तता परीक्षण केवल उन पदों के लिए आयोजित किया जाए जहां रिक्तियां उपलब्ध हों।
- ✓ सीजी नियुक्त व्यक्ति से यह घोषणा प्राप्त करना सुनिश्चित करें कि नियुक्ति के बाद वह कर्मचारी की मृत्यु के समय उस पर आश्रित परिवार का भरण-पोषण करेगा।
- ✓ सुनिश्चित करें कि एस एंड डब्ल्यूआई की रिपोर्ट और जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता आदि से संबंधित सभी भर्ती दस्तावेज नियुक्त व्यक्ति के सेवा रजिस्टर में रखे जाएं।

व्या न करें:

- ✗ ऐसा पद न दें जो किसी विशेष प्राधिकारी की क्षमता के अंतर्गत न हो।
- ✗ प्रस्ताव स्वीकार करने और मेडिकल परीक्षा में शामिल होने के बाद श्रेणी परिवर्तन के लिए उम्मीदवार के अनुरोध पर अगले उच्च अधिकारी के अनुमोदन के बिना विचार न करें।
- ✗ उन बच्चों को लेवल-1 के नियमित वेतन बैंड पर नियुक्ति न दी जाए जिनके पास एसएससी/आईटीआई की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं है।
- ✗ यदि आंशिक रूप से विवर्गीकृत कर्मचारी की सेवानिवृत्ति अवधि 5 वर्ष से कम है तो सी.जी. पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ✗ किसी बच्चे द्वारा वयस्क होने के बाद अर्जित की गई शैक्षिक योग्यता को समूह/पद के निर्धारण के लिए तब तक नहीं माना जाएगा, जब तक कि प्रशासन द्वारा उसे पहले से प्रवेशित पाठ्यक्रम को पूरा करने की अनुमति न दी गई हो।
- ✗ एफए एवं सीएओ की पूर्व एवं व्यक्तिगत वित्तीय सहमति तथा जीएम के अनुमोदन के बिना सीजी नियुक्त व्यक्ति का वेतन स्वीकार्य स्तर से अधिक निर्धारित न करें।

- ✓ Check the documents submitted in proof of age, educational qualification etc. thoroughly and verify them by making necessary enquiries with the educational institutions and Boards.
- ✓ Follow the time limits prescribed for various priorities by holding the screening tests, regularly on the nominated day every month.
- ✓ Ensure competent authority's approval for relaxation of age limits where required.
- ✓ Follow the Board's instructions issued from time to time in determining the eligible family member for appointment.
- ✓ Ensure prescribed competent authority i.e. DRM/CWM/PHOD/GM/Railway Board approves the appointment depending on the circumstances of the case.
- ✓ Ensure that the family members are advised about their right to opt for getting compassionate appointment at their choice of division/railway.
- ✓ Ensure that the suitability test i.e. Written Test is completed on a single day.
- ✓ Ensure that the Suitability is transparent and conducted in presence of CCTV cameras.
- ✓ Ensure that the family member appearing in the written test is suitably advised about the pattern and standard of testing.
- ✓ Ensure that the family member appearing in the written test is provided with the syllabus of the test along with call letter.
- ✓ Ensure that the family member appearing in the written test is provided with sufficient time (minimum 3 weeks) for appearing in the suitability test.
- ✓ Ensure that the suitability test is conducted only for the post(s) where vacancy is available.
- ✓ Ensure obtaining declaration from the CG appointee that after appointment he/she will maintain the family dependent on the employee at the time of death.
- ✓ Ensure that the S&WI's report and all recruitment documents regarding DOB, educational qualifications etc are kept in the service Register of the appointee.

DON'Ts:

- ✗ Don't offer the post that is not within the competence of a particular authority.
- ✗ Don't consider the request of the candidate for change of category after acceptance of offer and attending the medical examination save with the approval of next higher authority.
- ✗ Don't offer appointments to regular pay band of Level-1 to those wards who are not in possession of minimum educational qualification of SSC/ITI.
- ✗ CG is not to be considered if a partially de-categorized employee has less than 5 years to superannuate.
- ✗ Educational qualification acquired by a ward subsequent to his/her attaining the majority is not to be considered for determining the Group/Post, unless permitted by administration to complete a course already entered in.
- ✗ Don't fix the pay of the CG appointee at a higher stage than admissible without prior and personal finance concurrence of FA&CAO and the approval of GM.

व्या करें, व्या न करें

लेखा

बैंक गारंटी (बीजी) के स्वरूपाव के लिए:

व्या करें:

- ✓ स्वीकृति से पहले निर्धारित प्रारूप, वैधता और उचित मुहर के लिए बीजी की जांच करें।
- ✓ पंजीकृत डाक के माध्यम से या यहां तक कि शारीरिक रूप से (यदि आवश्यक हो) जारीकर्ता बैंक के साथ प्रामाणिकता सत्यापित करें।
- ✓ एक रजिस्टर / कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में तुरंत सभी बीजी रिकॉर्ड करें।
- ✓ कार्यकारी और लेखा कार्यालयों के बीच मासिक सामंजस्य बनाए रखें।
- ✓ समाप्त होने वाली गारंटी को ट्रैक करने के लिए नियमित रूप से बीजी रजिस्टर की समीक्षा करें।
- ✓ नवीनीकरण / विस्तार के लिए समय पर कार्रवाई करें; यदि आवश्यक हो तो बैंक को नकदीकरण के लिए सलाह दें (आरबीई 52/2005)।
- ✓ पूर्ण रजिस्टर प्रविष्टियों के साथ बीजी को उचित हिरासत में रखें।
- ✓ यदि बीजी समय पर नवीनीकृत नहीं किया जाता है तो भुगतान रोकें / बनाए रखें (आरबीई 52/2005)

व्या न करें:

- ✗ प्रारूप, वैधता या मुहर की जांच किए बिना बीजी स्वीकार न करें।
- ✗ ठेकेदारों के आश्वासन पर भरोसा न करें - हमेशा बैंक से पुष्टि करें।
- ✗ रजिस्ट्रों/सिस्टम में बीजी को अनरिकॉर्ड न रखें।
- ✗ समाप्त हो रही बीजी को नजरअंदाज न करें - देरी से वित्तीय जोखिम होता है।
- ✗ नकदीकरण अनुरोधों के लिए अंतिम क्षण तक इंतजार न करें।
- ✗ समाप्त/अमान्य बीजी के खिलाफ भुगतान जारी न करें।
- ✗ समाप्त हो चुकी बीजी को अनिश्चित काल तक न रखें - उन्हें उचित समय के भीतर वापस कर दें।
- ✗ कार्यकारी और लेखा कार्यालयों के बीच खराब समन्वय की अनुमति न दें।



DO's & DON'Ts

Accounts

Bank Guarantees:

DO's:

- ✓ Check BGs for prescribed format, validity, and proper stamping before acceptance.
- ✓ Verify authenticity with the issuing bank through registered post or even physically (if required)
- ✓ Record all BGs immediately in a register/computerized system.
- ✓ Maintain monthly reconciliation between Executive & Accounts Offices.
- ✓ Review BG Register regularly to track expiring guarantees.
- ✓ Take timely action for renewal/extension; advise bank for encashment if needed (RBE 52/2005).
- ✓ Keep BGs in a proper custody with complete register entries.
- ✓ Withhold/retain payments if BG is not renewed in time (RBE 52/2005).
- ✓ Return expired/cancelled BGs promptly after contract obligations are met (RBE 52/2005).

DON'Ts:

- ✗ Don't accept BGs without checking format, validity, or stamping.
- ✗ Don't rely on contractors' assurance always confirm with the bank.
- ✗ Don't keep BGs unrecorded in registers/systems.
- ✗ Don't ignore expiring BGs delay leads to financial risk.
- ✗ Don't wait till last moment for encashment requests.
- ✗ Don't release payments against expired/invalid BGs.
- ✗ Don't keep expired BGs indefinitely return them within a reasonable time.
- ✗ Don't allow poor coordination between Executive & Accounts Offices.

आओ भारत को स्वच्छ बनाएँ,
प्रदूषण घटाएँ, भ्रष्टाचार मिटाएँ



पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण अधिकारियों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

आई.आर.वी.एम. (IRVM) दिशानिर्देश एवं कोडल प्रावधानों के अनुसार

1. प्रशासन की भूमिका (पैरा 101.3)

“किसी भी संगठन में प्रशासन की भूमिका ऐसे तंत्र स्थापित करने की होती है जो ईमानदारी और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करें तथा भ्रष्ट आचरण पर कठोरता से अंकुश लगाएँ। मूल रूप से, प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी स्वयं एक सतर्कता अधिकारी है और उसे अपने तथा अपने अधीनस्थों के कार्यों में शुचिता सुनिश्चित करनी होती है। सतर्कता संगठन भारतीय रेल का एक आवश्यक एवं अभिन्न अंग है, जो स्वच्छ एवं कुशल प्रशासन के संचालन में विभाग की सहायता करता है।”

(सतर्कता — एक साझा जिम्मेदारी)

3. पर्यवेक्षण अधिकारियों की भूमिका (पैरा 106)

“(i) किसी भी संगठन में पर्यवेक्षण पद धारण करने वाले प्रत्येक अधिकारी का यह दायित्व है कि वह अपने नियंत्रण और अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी कर्मचारियों की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाए।

(ii) पर्यवेक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि उसके नियंत्रणाधीन अधिकारी/कर्मचारी पूर्ण ईमानदारी बनाए रखें। अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (APAR) की प्रपत्र में एक कॉलम जोड़ा गया है जिसमें पर्यवेक्षण अधिकारी संबंधित अधिकारी की ईमानदारी के बारे में टिप्पणी देता है। यदि किसी अधीनस्थ की ईमानदारी पर संदेह हो तो इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाती है।”

संबंधित / विस्तृत प्रावधान:

- पर्यवेक्षण अधिकारी एपीएआर में ईमानदारी अंकित करेंगे और अनियमितताओं की पहचान कर प्रारंभिक कार्रवाई करेंगे।
- वे परीक्षण जाँच एवं निरीक्षण कराएंगे, रिकॉर्ड करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित चेकलिस्ट (अध्याय IV) के अनुसार अनुपालन हो।

4. लोक सेवकों की ईमानदारी सुनिश्चित करना (पैरा 701)

“स्वच्छ प्रशासन के लिए लोक सेवकों की ईमानदारी सुनिश्चित करने के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन प्रमुख को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी अधिकारी/कर्मचारी की पदोन्नति, पुष्टि, प्रतिनियुक्ति या विदेशी नियुक्ति से पूर्व उसकी ईमानदारी पर स्वयं संतुष्ट हो।

इसके लिए सतर्कता स्थिति (Vigilance Status) समय-समय पर सतर्कता विभाग द्वारा प्रशासन को दी जाती है ताकि प्रशासन नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर सके।”

5. अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा वार्षिक संपत्ति विवरण (Rule 18 (1)(ii) RSCR, 1966)

“रेलवे सेवा समूह ‘ए’ या ‘बी’ के प्रत्येक कर्मचारी को सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में हर वर्ष अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण देना होगा — जो उसने उत्तराधिकार में प्राप्त की हो, स्वयं अर्जित की हो या अपने नाम, परिवार के सदस्य के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रखी हो।”

“शिक्षा का कार्य व्यक्ति को गहन और आलोचनात्मक चिंतन करना सिखाना है। बुद्धिमत्ता और चरित्र—यही सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है।” - मार्टिन लूथर किंग जूनियर।

रेल मंत्रालय का निर्णय संख्या 11 (नियम 18 के अंतर्गत):
“रेलवे के समूह ‘सी’ (क्लास-III) के पर्यवेक्षकों, जिनका वेतनमान लेवेल-6 या उससे अधिक के अधिकतम वेतन वाला हो, उन्हें भी हर वर्ष जनवरी माह में तथा नियुक्ति के तीन माह के भीतर अपनी अवल संपत्तियों का वार्षिक विवरण देना अनिवार्य है।”

5. सीवीओ / एसडीजीएम के कर्तव्य (पैरा 105, 801.1–801.2)

सीवीओ के प्रमुख कर्तव्य —

- सभी शिकायतों/स्रोत सूचना का परीक्षण,
- जाँच की समय-सीमा का पालन,
- न्यूनतम 40 निवारक जाँचें प्रतिवर्ष सुनिश्चित करना,
- डीएआर मामलों की समय-समय पर समीक्षा,
- सीबीआई/एसपीई से समन्वय बैठकें,
- संदिग्ध/अवांछनीय संपर्क सूची बनाए रखना,
- सतर्कता अधिकारी किसी निविदा/चयन समिति में सदस्य न हों।

एसडीजीएम/सीवीओ को प्रत्येक तिमाही में सीपीओ के साथ सतर्कता-संबंधी मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित करनी चाहिए।

6. सतर्कता अधिकारियों के अधिकार (पैरा 110)

सतर्कता अधिकारियों को अधिकार है कि वे रेलवे परिसरों में प्रवेश करें, अभिलेखों का निरीक्षण करें, जांच हेतु आवश्यक दस्तावेज जब्त करें, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 54 के अंतर्गत टिकट/पास की जांच करें, नकद जांच करें और सरकारी राशि जब्त करें। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व है कि वे सतर्कता अधिकारियों को हर संभव सहायता प्रदान करें।

7. सहमति सूची / गुप्त सूची (पैरा 322)

“भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के उपायों में से एक उपाय है उन लोक सेवकों की गतिविधियों पर निगरानी रखना जिनकी ईमानदारी संदिग्ध है। इसके लिए दो सूचियाँ रखी जाती हैं — Agreed List और Secret List।”

Secret List में वे अधिकारी रखे जाते हैं —

- (a) जिन्हें अदालत ने ईमानदारी की कमी या अनैतिक आचरण के अपराध में दोषी ठहराया हो,
- (b) जिन्हें विभागीय रूप से प्रमुख दंड मिला हो,
- (c) जिन पर प्रमुख दंड या आपराधिक मुकदमा लंबित हो,
- (d) जिन्हें तकनीकी आधार पर बरी किया गया हो पर जिनकी ईमानदारी पर संदेह शेष हो।

8. पदस्थापन / सतर्कता स्थिति (पैरा 708)

- Agreed List या Secret List में शामिल अधिकारियों को एसडीजीएम या सतर्कता अधिकारी नहीं बनाया जाएगा।
- ऐसे अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति या संवेदनशील पदों पर पदस्थापित नहीं किया जाएगा।
- जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है या दंड चल रहा है, उन्हें विशेष वेतन वाले पदों पर नहीं लगाया जाएगा।
- मध्यस्थ/अर्बिट्रेटर की नियुक्ति हेतु सतर्कता स्थिति संबंधित इकाई द्वारा प्रदान की जाएगी।

9. पर्यवेक्षण / नियंत्रण अधिकारियों की भूमिका (पैरा 525-526)

- एसडीजीएम/सीवीओ जांच रिपोर्ट संबंधित पीएचओडी को भेजते हैं, जिसके बाद जीएम से विशिष्ट टिप्पणियाँ मांगी जाती हैं।
- जीएम को यह स्पष्ट रूप से बताना होता है कि किस अधिकारी की क्या जिम्मेदारी है, क्या 'विजिलेंस एंगल' मौजूद है, और क्या अनुशासनिक या प्रशासनिक कार्रवाई आवश्यक है।
- डीएआर मामलों में यदि दंडाधिकारी (DA) सतर्कता सलाह से असहमत हो, तो उसे कारण सहित अस्थायी राय दर्ज कर सतर्कता से परामर्श करना होगा।
- सभी रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक A-G) में भेजी जानी चाहिए।

10. दंडारोपण, सतर्कता परामर्श एवं पुनरीक्षण (पैरा 526-527)

- मुख्य दंड के मामले: यदि डीए कोई प्रमुख दंड लगाता है, तो सतर्कता प्रकरण वहीं समाप्त माना जाएगा।
- यदि डीए सतर्कता सलाह से भिन्न राय रखे, तो कारण दर्ज कर परामर्श आवश्यक है।
- संयुक्त/सीवीसी मामले में: यदि असहमति बनी रहती है, तो मामला सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जा सकता है।
- डीए की जिम्मेदारी: भिन्न निर्णय का कारण रिकॉर्ड में अवश्य दर्ज हो और प्रतिलिपि सतर्कता को भेजी जाए।

11. निवारक सतर्कता, प्रणाली सुधार एवं परीक्षण जांचें (अध्याय IV)

- निवारक सतर्कता का अर्थ है — प्रक्रियाओं में सुधार कर भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करना।
- इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएंडटी, ट्रैफिक, पर्सनल आदि विभागों के लिए विस्तृत परीक्षण जांच सूची दी गई है।
- जहाँ भी तात्कालिक प्रणाली सुधार संभव हो, जीएम/एसडीजीएम की स्वीकृति से लागू किया जा सकता है।
- सभी जांचों का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए और अनियमितताओं की सूचना संबंधित एचओडी को भेजी जानी चाहिए।

12. सतर्कता जागरूकता सप्ताह (पैरा 205.7)

31 अक्टूबर (सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती) के सप्ताह को “सतर्कता जागरूकता सप्ताह” के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर वाद-विवाद, निबंध लेखन, चित्रकला, संगोष्ठी आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
केंद्रीय सतर्कता आयोग ‘विजेयवाणी’ नामक त्रैमासिक समाचार पत्र प्रकाशित करता है।

13. नीतिगत दिशानिर्देशों का अद्यतन

विभिन्न विभागों की नीतियाँ/प्रक्रियाएँ समय-समय पर परिवर्तित होती रहती हैं। अतः उन्हें शीघ्र अद्यतन कर वेबसाइट पर सुलभ रूप में उपलब्ध कराना आवश्यक है।

14. निलंबन, तलाशी, जाल-जाँच एवं तात्कालिक कार्यवाही (पैरा 811)

- **निलंबन:** यह दंड नहीं, बल्कि एहतियाती कदम है।
- निम्न परिस्थितियों में निलंबन आवश्यक है —
 - (i) जाल में रंगे हाथ पकड़ा जाना,
 - (ii) असंगत संपत्ति का पता लगना,
 - (iii) आपराधिक न्यायालय में अभियोग-पत्र दायर होना।
- सतर्कता अधिकारी जाल-जाँच करने एवं नकदी जब्त करने के लिए अधिकृत हैं।

15. प्रशासनिक कार्यवाही, चेतावनी एवं एपीएआर प्रविष्टियाँ (पैरा 807-809)

- **चेतावनी** प्रशासनिक कार्यवाही है, दंड नहीं।
- **लिखित चेतावनी** दर्ज करने से पहले संबंधित अधिकारी को स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाएगा।
- सतर्कता कर्मचारियों की एपीएआर रिपोर्ट सीवीओ द्वारा लिखी जाएगी और उन्हें प्रतिशोध से सुरक्षा प्राप्त है।

16. रिपोर्टिंग प्रारूप, IRVINS एवं अभिलेख रखरखाव (पैरा 525.11)

सभी रिपोर्टें निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक A-G) में भेजी जाएँगी और IRVINS सिस्टम में दर्ज की जाएँगी ताकि सतर्कता टिप्पणियाँ एवं अधिकारियों के विचार स्पष्ट रूप से दर्ज रहें।

17. सतर्कता कर्मियों की सुरक्षा एवं सेवा शर्तें (पैरा 822)

- सतर्कता कर्मियों को प्रतिशोध से सुरक्षा दी गई है।
- उनकी एपीएआर सीवीओ द्वारा लिखी जाएगी।
- पुनर्नियुक्ति के समय उन्हें उन अधिकारियों के अधीन नहीं लगाया जाएगा जिनकी उन्होंने जाँच की थी।

संक्षिप्त व्यावहारिक चेकलिस्ट (पर्यवेक्षण/नियंत्रण अधिकारियों हेतु)

1. एपीएआर में ईमानदारी अंकित करें; संदेह होने पर नियमानुसार कार्यवाई करें।
2. जांचों पर पीएचओडी/जीएम की टिप्पणियाँ समय पर दें (15 दिन के भीतर)।
3. सभी निवारक/परीक्षण जांचों का रिकॉर्ड रखें एवं अनियमितताओं की सूचना दें।
4. सतर्कता सलाह से असहमति की स्थिति में कारण सहित परामर्श करें।
5. जीएम/एसडीजीएम के अनुमोदन से प्रणाली सुधार शीघ्र लागू करें।

प्रस्तुतकर्ता:
मनोज गुरुमुखी
एसडीजीएम / दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR)

ROLES AND RESPONSIBILITIES OF SUPERVISING AND CONTROLLING OFFICIALS- GUIDELINES of IRVM AND CODAL PROVISIONS

1. Role of administration (Para 101.3)-

“It is the role of the administration in any organization to set up systems which encourage integrity and transparency and come down heavily on corrupt practices. Essentially, every officer and staff is himself/herself a vigilance officer and needs to ensure probity in the work being done by him/her and the people who work with him/her. The Vigilance organization is an essential and integral part of Indian Railways and assists the department towards running a clean and efficient administration.”

(Vigilance a Shared Responsibility)

2. Role of Supervisory Officers (Para 106)

“(i) It is the duty of every officer holding a Supervisory post in any organisation to take all possible steps to ensure the integrity and devotion to duty of all officials for the time being under his control and authority.
(ii) The supervisory officer ensures that officers for the time being under his control maintain absolute integrity. A column has been introduced in the proforma for Annual Performance Appraisal Report (APAR) of officials in which the supervisory officer reports on the integrity of the officer reported upon. If any suspicion arises upon the integrity of officials under his control, further action is taken as per guidelines issued in this regard.”

Related / elaborating paras (Supervision → vigilance comments, inspections and penalties):

- Supervisory officers must record integrity in APARs and are the first line to detect and initiate action.
 - Supervisors are responsible for carrying out/ensuring **test checks and inspections** are done and recorded (see detailed preventive check lists in Chapter IV). Due compliance shall be followed and ensured.
-

3. ENSURING INTEGRITY OF PUBLIC SERVANTS (Para 701)

“There is hardly any need to emphasize the importance of ensuring the integrity of public servants for a clean administration. It is necessary for the officer-in-charge of the administration to satisfy himself about the integrity of an officer/official before clearing the proposal for his promotion, confirmation, deputation, foreign assignment, etc. For this purpose, vigilance status of an officer/official is required to be furnished by Vigilance to Administration from time to time to enable Administration to take further action in accordance with extant rules and regulations governing the purpose for which the vigilance status has been provided by vigilance.”

4. Annual Property Return by Officers & Supervisors

(Rule 18 (1) (ii) of RSCR, 1966)-

“Every railway servant belonging to any service or holding any post included in Group A or Group B shall submit an annual return in such form as may be prescribed by the Government in this regard giving full particulars regarding the immovable property the inherited by him or owned or acquired by him or held by him on lease or mortgage either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person.”

Railway Ministry's Decision No.11 below Rule 18 of RSCR, 1966-

“Supervisory staff of Group 'C (class-III) on railways working in scales of pay the maximum of which is Rs.900/- and above, should also submit an annual return regarding the immovable property inherited by him, or owned or acquired by him, or held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person. The return should be submitted within three months of his first appointment in the grade and thereafter in the month of January every year.”

5. Duties of CVOs / SDGM (Paras 105, 801.1–801.2)

CVO duties: scrutinize all complaints/source information in Zonal vigilance; ensure time schedule for investigations; ensure preventive checks (minimum 40 per VI per year) and personal checks by senior vigilance officers; carry out periodical review of DAR cases with CPO/Dy.CPO; ensure enquiry reports are produced expeditiously; hold periodic meetings with Dy.CVOs/VOs and with CBI/SPE; maintain Agreed/Secret/Undesirable contact lists; ensure VO/VIs are not on Tender/Selection Committees.

SDGM/CVO must hold periodic review meetings with CPOs to monitor vigilance-related D&AR cases — minimum once a quarter — with predetermined agenda and status of pending cases.

6. Duties & Powers of Vigilance Officials (Para 110)

Vigilance officials are authorised to enter any Indian Railways premises, inspect records, take possession of documents necessary for investigation; check tickets/passess under Section 54 of Indian Railways Act, 1989; check cash of railway officials and recover Govt. currency in decoy checks/traps; requisition non-gazetted staff to assist checks; carry valid ID during checks. All officers/staff must render every assistance to Vigilance officials.

7. AGREED LIST/SECRET LIST (Para 322 of IRVM)

“322.1 One of the measures to combat corruption is to maintain watch on the activities of public servants who are of doubtful integrity. For this, two lists namely ‘Agreed List’ and list of public servants of gazetted status of doubtful integrity also known as ‘Secret List’ are prepared by Railway Board Vigilance annually in accordance with the directives of Department of Personnel and Training and Central Vigilance Commission.”

“322.2 The Secret List is prepared in the light of criteria laid down for the purpose namely (a) Officers convicted in a Court of Law on a charge of lack of integrity or for an offence involving moral turpitude but on whom in view of exceptional circumstances, a penalty other than dismissal, removal or compulsory retirement is imposed. (b) Officers awarded departmentally a Major Penalty : (i) On charge of lack of integrity or (ii) On charge of gross dereliction of duty in protecting the interests of Government although the corrupt motive may not be capable of proof; or (c) Officers against whom proceedings for a Major Penalty or a Court Trial are in progress for alleged acts involving lack of integrity or moral turpitude; or (d) Officers who were prosecuted but acquitted on technical grounds, and in whose case, on the basis of evidence during the trial, there remained a reasonable suspicion against their integrity.”

8. IMPORTANT ISSUES REGARDING POSTINGS/ VIGILANCE STATUS (Para 708)

“(i) Officers borne on 'Agreed/ Secret List' should not be posted as SDGMs and Vigilance Officers. Postings of SDGMs/Officers in Vigilance Directorate will require clearance from Chief Vigilance Officers of the Ministry (PED/Vigilance). (ii) Officers borne on 'Agreed/ Secret List' should not be sent on deputation (iii) Officers borne on 'Agreed/ Secret List' should not be posted to Board/RDSO or in sensitive posts (iv) Where disciplinary cases are in progress or the officer is undergoing punishment, the officers should not be posted to positions carrying special pay. (v) Vigilance status for the purpose of appointment of Serving/ Retired officers as Arbitrators on Zonal Railways/ Production Units would be handled by respective vigilance units while Railway Board vigilance would handle the requirements of PSUs in the matter.”

9. Supervisory / Controlling Officers — role in investigations, vigilance comments & views (Paras 525–526, 525.2–525.9, 525.11–525.12)

These paras set out the **required inputs from PHOD / GM / DA** and how vigilance comments are to be included in case reports:

- **PHOD / GM comments & GM's specific duties:** The SDGM/CVO forwards investigation findings to the concerned PHOD for views. After PHOD's views, SDGM/CVO puts case to GM for recommendations covering: (i) quantum of responsibility of each officer; (ii) gravity of omissions/commissions and whether to initiate disciplinary action or administrative action; (iii) existence or otherwise of a 'vigilance angle'; (iv) handing over to other agencies (CBI) where necessary; (v) action against firms where involved. The GM must give specific comments regarding presence/absence of a vigilance angle.
- **Vigilance comments & DA consultation:** In major penalty cases, if DA proposes exoneration or a minor penalty contrary to Vigilance advice, DA must record provisional views and consult Vigilance; Vigilance should furnish comments normally within two weeks. DA is free to pass speaking orders even if disagreeing, but must send copy of NIP/exoneration order with reasons to Vigilance within one week. Vigilance may seek revision to RA if punishment is considered inadequate.
- **Format & attachments:** All reports sent to Board must follow prescribed format (Annexures A–G) and include a table with findings, defence, DA recommendations, and CVO recommendations. This ensures vigilance views are recorded alongside DA/GM views.
- **Cases investigated by Board Vigilance:** For officers up to Selection Grade, PHOD/GM comments are obtained before sending to CVC; for SAG & above the Board/CVC route applies, with PHOD comments only when necessary.

Practical effect: Supervisory / Controlling officers (PHOD/GM/DA) MUST provide vigilance views / recommendations and specifically address quantum of responsibility, adequacy of punishment and whether system improvement is needed; their comments are an integral, required part of the file sent to Board/CVC.

10. Imposition of Punishment, Consultation with Vigilance and Revision (Paras 526–527, 608, 810.12, 526.2–526.6)

- **Major penalty cases:** Where DA intends to impose any major penalty, case closure (for vigilance) occurs when DA imposes a major penalty and a copy of NIP with speaking order is sent to Vigilance. If DA exonerates or imposes a minor penalty against Vigilance advice, consultation is required and Vigilance may seek revision to the Revising Authority (RA) if penalty is inadequate.
- **Composite/CVC cases:** If DA deviates from CVC advice, the DA must send provisional views and reasons; there are procedures for seeking reconsideration and the case may be included in CVC's Annual Report when disagreement persists.
- **DA's discretion & obligation:** If DA agrees with Vigilance/CVC advice, no further consultation is necessary on quantum. If DA takes a different view, reasons must be recorded and transmitted. SDGM/CVO may put up details of cases where penalty is at variance with vigilance advice to GM/Board quarterly.
- **Role of Personnel Branch during DAR:** Dy.CPO/Gaz and DA/SDGM coordinate the DAR processes with Vigilance comments integral in the files and attachments.

11. Preventive Vigilance, System Improvements & Test-Checks (Chapter IV — Paras 401, 402, 407–413, 525.6)

- **Concept:** Preventive vigilance = package of measures to improve systems/procedures to eliminate/reduce corruption; it is the duty of management as a whole (not CVO alone) and the duty of every employee. Common causes of corruption and areas vulnerable are listed.
- **Preventive checks — engineering / mechanical / electrical / S&T / traffic / personnel:** The Manual contains detailed, itemized lists of preventive checks — e.g. quality & quantity checks, test checks

recorded in Measurement Books, account of released materials, checks on tender finalization, checks on discharge of passes/PTO, checks on recruitment and leave/establishment records, cross checks

for TA/OT claims, sealing of energy meters, etc. Supervisors and vigilance must ensure test checks are carried out and noted.

- **System improvement:** Where system improvements are immediately implementable, they should be implemented after GM's approval without waiting for Board/CVC. The System Improvement proposed by Vigilance Officer should be approved by SDGM/GM.
- **Preventive checks frequency & responsibility:** CVOs must ensure minimum preventive checks; Dy.CVOs/VOs/AVOs are expected to carry some checks personally. Supervisors must ensure record of checks and that irregularities are reported to HODs with recommendation for punitive action where necessary.

12. Vigilance Awareness (Para 205.7)-

The week in which 31st October, which is the Birth anniversary of Sardar Vallabh Bhai Patel, the first Home Minister of India falls, is observed as "Vigilance Awareness Week" with a view to spread awareness among citizens regarding the fight against corruption and their role. Every year in August/ September, the Commission issues a Circular for observance of Vigilance Awareness Week by the Ministries/ Departments/ Organizations with specific theme. The Circular lays down the measures to be taken during the week which, inter alia, includes organizing workshops, seminars, debate, competition, slogan/ essay writing, cartoon, painting, etc. at micro level such as school, colleges, institutes, etc. News Letter: Central Vigilance Commission brings out its quarterly newsletter "VIGEYEVANI" to create awareness against corruption, besides sharing its activities with all the stakeholders against corruption.

13. Updating of Policy Guidelines-

Policies/procedures of various departments are frequently changed. It is must that these policies are updated immediately and available at websites in proper & systematic manner so that they are easily accessible for all concerned.

14. Suspension, Search, Traps & Immediate Action (Para 811 & related)

- **Suspension guidance:** Suspension is not a penalty but a precautionary measure when disciplinary proceedings are contemplated/pending or where activities prejudicial to security are suspected. Specific instructions to suspend in cases like trap (caught red-handed), possession of disproportionate assets, charge-sheet in criminal court, or where CBI investigation makes out a prima-facie case.
- **Trap/decoy checks:** Vigilance empowered to seize cash and conduct decoy checks; supervisory officers must cooperate and act on results of such checks.

15. Administrative Actions, Warnings, Recorded Warnings & APAR entries (Paras 807–809, Displeasure in APAR)

- **Warnings and recorded warnings:** Administration of a warning is an administrative action (not a penalty). For a recorded written warning that will go on APAR/personal file, official must be given opportunity to explain before recording; right of representation exists. After disciplinary proceedings, "Warning" should not be used as a result of such proceedings.
- **APAR entries and Vigilance staff protection:** The Manual reiterates protection against victimisation of vigilance staff — APARs of vigilance personnel are written by the CVO and the CVC has supervisory safeguards for vigilance personnel against unfair reporting.

16. Reporting formats, IRVINS and record keeping (Para 525.11 and Annexures)

- **Mandatory formats & IRVINS:** Reports to Board must follow Annexure formats (Annexures A–G) including an annexed table that shows: name, allegations, findings of IO, defence, DA recommendations and comments of CVO. Cases must be entered in IRVINS with relevant stage and IDs. This ensures vigilance comments and supervisory/DA views are visible in the official file.

17. Protection & Terms for Vigilance Personnel (Para 822)

- **Protection from victimisation:** CVC instructions: Vigilance staff postings done in consultation with CVO; APARs of vigilance staff are written by CVO; on reversion they should not be posted under officers they had investigated; Commission's safeguards for premature reversion, APAR reviews, etc.

Short Practical Checklist for Supervisory / Controlling Officers (based on IRVM extracts above)

1. Maintain & record integrity comments in APAR; note any suspicion and initiate prescribed action.
2. Provide PHOD/GM views promptly (within 15 days when requested) on investigations and indicate vigilance angle clearly.
3. Ensure all preventive/test checks are done, documented (Measurement Books, diaries) and irregularities reported with recommendations for punitive or system corrective action.
4. When DA disagrees with Vigilance/CVC advice, record provisional views, consult Vigilance, and send speaking orders with reasons to Vigilance.
5. Approve and implement immediate system improvements as per SDGM/GM guidance without waiting for Board where practicable.

By
Manoj Gurumukhi
SDGM/SECR



सिस्टम “V” लाइफ साइकल (System Life Cycle) और आर ए एम एस (RAMS) रूपरेखा (विश्वसनीय, संरक्षित और सतत् कार्यरत रेलवे प्रणाली के लिए इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन का आश्वासन)

लेखक: मनोज गुरुमुखी

वरिष्ठ उप महाप्रबंधक (एस.डी.जी.एम.), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (छ.ग.)

सारांश

सिस्टम “V” लाइफ साइकल (System “V” Life-Cycle, जिसे CENELEC EN 50126/50128/50129 मानकों में परिभाषित किया गया है), किसी भी प्रणाली के अवधारणा से लेकर निष्कासन तक के पूरे जीवन-क्रम को एक सुव्यवस्थित ढाँचे में जोड़ता है- जिसमें स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, सत्यापन और प्रमाणीकरण के चरण सम्मिलित हैं।

जब इसे आर ए एम एस (RAMS) अर्थात् विश्वसनीयता (Reliability), उपलब्धता (Availability), अनुरक्षणीयता (Maintainability) और संरक्षा (Safety) से जोड़ा जाता है, तब यह सुनिश्चित करता है कि प्रणाली का प्रत्येक घटक और प्रक्रिया, टिकाऊ और मापनीय प्रदर्शन दे।

यह लेख वैश्विक प्रणाली-अभियांत्रिकी (System Engineering) के श्रेष्ठ मानकों और भारतीय रेल के व्यावहारिक अनुभव को एकीकृत करता है, ताकि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप एक ठोस मॉडल प्रस्तुत किया जा सके।

1 | आश्वासन के युग में रेल व्यवस्था

“विश्वसनीयता, प्रणाली में मात्र निरीक्षण द्वारा नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग डिज़ाइन मैनेजमेंट द्वारा स्थापित कि जाती है।”

रेलवे आज भी विश्व की सबसे भरोसेमंद और सतत् कार्यरत जन-परिवहन प्रणाली है। भारत का विजन 2047 और राष्ट्रीय रेल योजना 2050 एक ऐसे नेटवर्क का लक्ष्य रखते हैं जो डिजिटल, हरित आधारित और वैश्विक स्तर पर प्रमाणित हो। इस परिवर्तन की नींव केवल हार्डवेयर नहीं, बल्कि सिस्टम-डिसेप्लिन (System Discipline) है- जो उसके डिज़ाइन, सत्यापन और नैतिक प्रबंधन की निरंतर प्रक्रिया में निहित है।

सफल प्रणाली के प्रमुख प्रेरक तत्व हैं-

सही इरादा और निष्ठा, उद्देश्य-आधारित दृष्टिकोण, तकनीकी दक्षता, व्यवहारिक नैतिकता, कौशल-विकास, दक्ष-प्रदर्शन, तथा सजग सतर्कता।

“हर अधिकारी अपने कार्य-क्षेत्र में सतर्कता अधिकारी भी है — यही प्रणालीगत ईमानदारी का मूल है।”

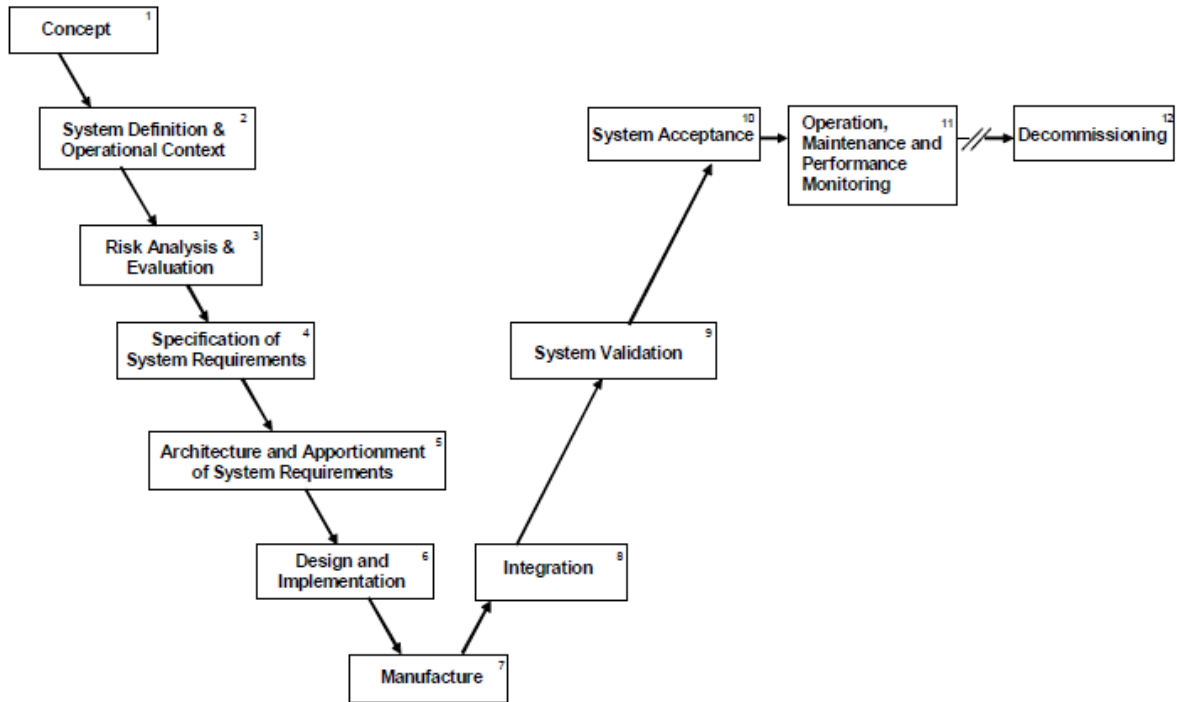
2 | सिस्टम “V” लाइफ साइकल की रूपरेखा

अवधारणा → आवश्यकताएँ → डिज़ाइन ↓ निष्पादन ↑ सत्यापन ↑ प्रमाणीकरण ↑ संवातन एवं अनुरक्षण

- बाएँ भाग – परिभाषा और डिज़ाइन: क्या और क्यों बनाया जा रहा है; उद्देश्य और आवश्यकता-आधारित डिज़ाइन।
- निचला भाग – निष्पादन: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, निर्माण और समाकलन।
- दायाँ भाग – सत्यापन और प्रमाणीकरण: यह सुनिश्चित करना कि प्रणाली निर्धारित रूप में और सुरक्षित रूप से कार्य कर रही है।

हर चरण का एक समकक्ष सत्यापन चरण होता है, जिससे इरादे और साक्ष्य के बीच पूर्ण अनुरेखण (Traceability) बना रहता है।

1706



1707

1708 Figure 5 – The "V" representation drawing

⚙ 3 | सिस्टम “V” लाइफ साइकल के सात चरण

चरण	उद्देश्य	मुख्य निष्कर्ष / दस्तावेज़
1. अवधारणा	आवश्यकता, व्यवहार्यता, प्रारंभिक जोखिम व आर ए एम एस (RAMS) लक्ष्य तय करना	अवधारणा रिपोर्ट, व्यवहार्यता अध्ययन
2. सिस्टम आवश्यकताएँ	उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को मापनीय तकनीकी शर्तों में बदलना	SyRS, प्रारंभिक सुरक्षा लक्ष्य
3. डिज़ाइन व संरचना	प्रणाली आरेख तैयार करना, SIL स्तर आवंटित करना	डिज़ाइन विनिर्देश, इंटरफ़ेस दस्तावेज़
4. निष्पादन	घटकों का निर्माण व गुणवत्ता-सत्यापन	FAT रिपोर्ट, QA अभिलेख
5. समाकलन	उप-प्रणालियों का संयोजन व परीक्षण	समाकलन / प्रणाली परीक्षण रिपोर्ट
6. प्रमाणीकरण व परिचालन	संचालन-योग्यता व सुरक्षा-केस सिद्ध करना	प्रमाणीकरण रिपोर्ट, ISA प्रमाणपत्र
7. निष्कासन	संरक्षित निष्कासन व अनुभव-संग्रह	समापन रिपोर्ट, सीखी गई बातें

4 | आर ए एम एस – आश्वासन का दिशा-सूचक

घटक	परिभाषा	सूचकांक
Reliability (विश्वसनीयता)	निर्दिष्ट अवधि तक बिना विफलता के कार्य करने की संभावना	MTBF ↑
Availability (उपलब्धता)	आवश्यकता पड़ने पर प्रणाली का कार्यशील होना	MTBF / (MTBF + MTTR)
Maintainability (अनुपस्थिति)	खराबी के बाद शीघ्र पुनर्स्थापन की क्षमता	MTTR ↓
Safety (संरक्षा)	अस्वीकार्य जोखिम से मुक्त स्थिति	SIL 1-4, Hazard Rate $\leq 10^{-6} - 10^{-8}$ घंटा

“सुरक्षा बिना विश्वसनीयता अधूरी है, और विश्वसनीयता बिना सुरक्षा हानिकारक है।”
 “ज्ञान बिना ईमानदारी कमजोर है, और ईमानदारी बिना ज्ञान हानिकारक है।”

5 | SIL – संरक्षा-अखंडता (सेफ्टी Integrity) स्तर: भरोसे का मापदंड

SIL	जोखिम-कमी गुणांक	सामान्य उपयोग (SIL-4 सबसे संरक्षित इंजीनियरिंग प्रणाली)
SIL-4	$10^4 - 10^5$	इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, TCAS (कवच)
SIL-3	$10^3 - 10^4$	स्वचालित ट्रेन सुपरविजन (मेट्रो CBTC)
SIL-2	$10^2 - 10^3$	TPWS, LED सिग्नल यूनिट्स
SIL-1	$10^1 - 10^2$	पावर सप्लाय प्रणालियाँ

ALARP सिद्धांत (*As Low As Reasonably Practicable*) यह सुनिश्चित करता है कि जोखिम-कमी यथार्थवादी व आर्थिक रूप से व्यावहारिक रहे।

IN 6 | भारतीय रेल – संरक्षा एवं प्रदर्शन-उपयोगिता (performance) के मानक (10,000 घंटे, लगभग > 1 वर्ष)

प्रणाली	SIL स्तर	विश्वसनीयता लक्ष्य
इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (बड़े यार्ड)	SIL-4	MTBF > 1 लाख घंटे / उपलब्धता > 99.98 %
एक्सल काउंटर (DAC/MSDAC)	SIL-4	MTBF $\geq 70\ 000$ घंटे
TCAS (कवच) – स्टेशन/LC	SIL-4	MTBF $\geq 60\ 000$ घंटे / उपलब्धता ≥ 98.5 %
इंटीग्रेटेड पावर सप्लाय	SIL-3	MTBF $\geq 35\ 000$ घंटे
डिजिटल LED सिग्नल	SIL-2	MTBF $\geq 50\ 000$ घंटे

ये आँकड़े दर्शाते हैं कि भारतीय रेल अब हार्डवेयर खरीद से आश्वासन-खरीद की दिशा में अग्रसर है - जहाँ संरक्षा एवं विश्वसनीयता प्रतिबद्धता अनुबंधीय लक्ष्य बन गई है, न की एक आकस्मिक घटना।

7 | नैतिकता – छिपा हुआ पाँचवाँ घटक

“किसी भी सुरक्षा प्रणाली का सबसे शक्तिशाली उपकरण, एक ईमानदार अभियंता है।”

हर प्रणाली की सफलता का वास्तविक आधार सद्भावना, पारदर्शिता और नैतिकता है।

स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकन, स्पष्ट अभिलेखन और सतत दक्षता-विकास ही इंजीनियरिंग संस्कृति को स्थायी बनाते हैं।

8 | डिजिटल आर ए एम एस - पूर्वानुमानित संरक्षा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और डिजिटल ट्विन्स अब आर ए एम एस (RAMS) को रियल-टाइम विश्लेषण तक विस्तारित कर रहे हैं।

पूर्वानुमानित रख-रखाव (Predictive Maintenance) जैसी प्रणालियाँ और गतिशील जोखिम आरेखन मॉडल, डाउन-टाइम को घटाकर सिस्टम की अधिक उपयोगिता एवं लागत की प्रभावशीलता बढ़ा रहे हैं।

“माप सेंसर से करें, निर्णय विवेक से करें।”

9 | प्रबंधन के पाठ

1. अंतिम उद्देश्य- उपयोगिता, परिचालन और जीवनकाल की आवश्यकतानुसार सिस्टम डिजाइन करें।
2. तत्कालीन एवं प्रासंगिक संचालन एवं अनुरक्षण डेटा को डिजाइन-इनपुट के रूप में उपयोग करें।
3. जोखिम-अभिलेख बनाएँ और उसके निवारण हेतु सिस्टम लाइफ साइकिल के हर चरण में योजनाएँ विकसित करें।
4. RAMS मेट्रिक्स को ध्यान बिंदु के अग्रणी सूचक बनाएँ।
5. दोष-आरोप की बजाय दोष-निवारण की सकारात्मक एवं रचनात्मक संस्कृति को बढ़ावा दें।

10 | निष्कर्ष – अनुपालन से विवेकशीलता तक

सिस्टम “V” लाइफ साइकल (system lifecycle) और आर ए एम एस (RAMS) रूपरेखा संरक्षा को केवल निरीक्षण मात्र से नेक नियत से कार्य निष्पादन की संस्कृति में बदल देती है।

यह डिजाइन, कार्यशाला (Workshop) और परिचालन, को आश्वस्तता एवं विश्वसनीयता की संस्कृति में बाँधती है।

“हम संरक्षित रेल, विरासत में नहीं पाते; हम उसे राष्ट्रीय हित के लिए डिजाइन करते हैं, बनाते हैं और पोषित करते हैं।”

जब तकनीक, डाटा और नैतिकता एकजुट होती हैं, तब रेलवे केवल परिवहन का नहीं बल्कि एक विश्वास-प्रणाली (System of Trust) बन जाती है। आइए विश्वसनीय बनें, ताकि हमारे सभी प्रकार के ग्राहकों का एवं विश्वास सतत कायम रहे।

लेखक परिचय

मनोज गुरुमुखी

वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बितासपुर (छ.ग.)

आप एक अनुभवी एवं वरिष्ठ भारतीय रेलवे अधिकारी हैं, जिन्होंने प्रिवेंटिव विजिलेंस, सिस्टम एश्योरेंस और नैतिक नेतृत्व को अपने कार्य-क्षेत्र का मूल बनाया है। आपका उद्देश्य तकनीक और मूल्यों का समन्वय कर भारतीय रेल में पारदर्शिता, संरक्षा और विश्वसनीयता की संस्कृति को सुदृढ़ करना है।

A brief insight on System “V” Life-Cycle and RAMS Framework for Railway System *An Engineering and Managerial Assurance for a Dependable- Safe & Reliable System*

By Manoj Gurumukhi

Senior Deputy General Manager (SDGM), South East Central Railway, Bilaspur, CG

Abstract

The **System “V” Life-Cycle**, (defined in CENELEC EN 50126/50128/50129), provides a structured route from concept to decommissioning through Specification, Design, Verification, and Validation. Coupled with the **RAMS** philosophy i.e. **Reliability, Availability, Maintainability, Safety**, it builds measurable confidence that every component and process contributes to safe and sustainable performance.

This article attempts to integrate global system-engineering practice with Indian Railways’ experience to present a practical model for the present and future needs of Indian Railways.

1 | Railways in the Age of Assurance

“Reliability is not merely inspected into a system; instead, it is engineered into it.”

Railways remain the world’s most dependable and sustainable form of mass transport. India’s **Vision 2047** and **National Rail Plan 2050** target a network that is digital, green, and globally benchmarked. The foundation is not hardware but **system discipline**—a consistent method of design, validation, and **ethical management** embodied by the System “V” lifecycle model.

Enablers- challenging the human traits- overcoming negativities...

1. **Right intent and absolute integrity-**
2. **Right attitude to fulfil the purpose is very fundamental.**
3. **Defining a right Purpose, Executing & Maintaining during O&M is the key!**
4. **Domain knowledge- Skill & Competency**
5. **Functional knowledge**
6. **Behavioural- Ethics, Morals & Code of Conduct**
7. **Technological upgradations**
8. **Efficiency and Effectiveness- utility**
9. **Vigilance- Every official is a vigilance official to take care of its roles & responsibilities**

World has become open, Technological intervention, Planning & Decision-making process is fast getting democratised- Its cannot be a centralised activity anymore. Solutions have to be and are coming from all corners.

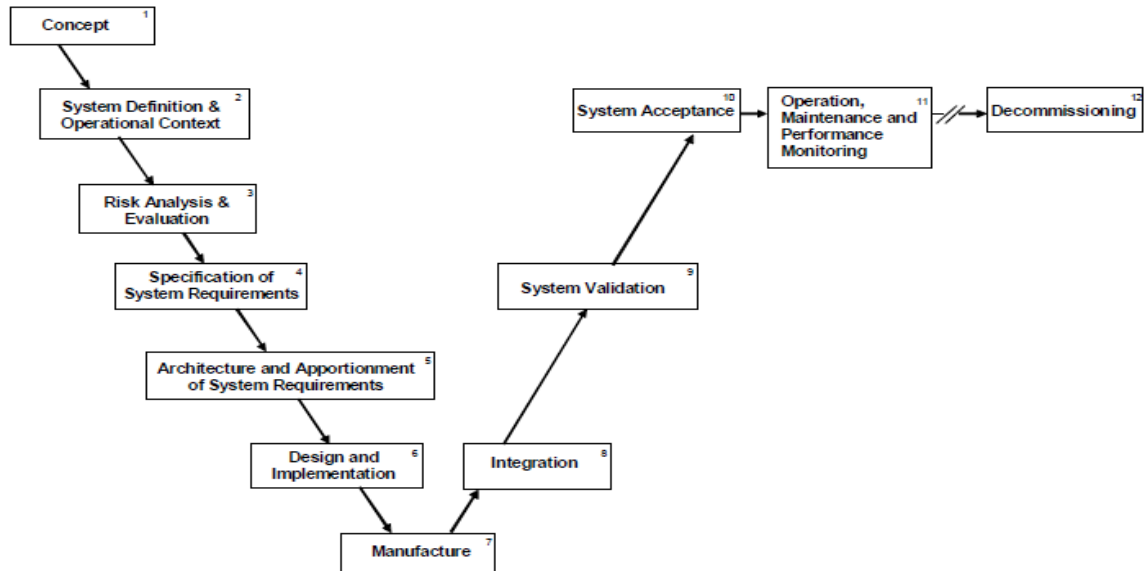
2 | Geometry of the System “V” Lifecycle \ _ /

\Concept → \Requirements → \Design ↓ **Implementation** ↑ /Verification ↑ /Validation ↑ /Operation & Maintenance.

- **Left Arm- Definition & Design:** what must be achieved & how- Need & Purpose driven.
- **Base- Realisation:** Hardware, Software, Manufacture, Build and Integration.
- **Right Arm- Verification & Validation:** Proving what is built, works safely as designed.
- Every stage on the left has a mirrored assurance activity on the right, ensuring traceability between **intention and evidence**.

"The function of education is to teach one to think intensively and critically. Intelligence plus character—that is the goal of true education." - Martin Luther King Jr.

1706



1707

1708 Figure 5 – The "V" representation drawing

3 | Seven Phases of the System “V” Life-Cycle

Phase	Purpose	Core Outputs
1. Concept	Define purpose, feasibility, early hazards, RAMS goals	Initial Concept of Need, Purpose and Operational Contexts, Feasibility Report
2. System Requirements	Translate user needs into measurable specifications	SyRS- System Requirement Specification, preliminary safety targets
3. Design & Architecture	Create functional/ physical architecture, allocate SILs (Safety Integrity Levels)	Design Specs, Interface Docs
4. Implementation	Build and test components under QA (Quality Assurance) regime	FAT records, module tests
5. Integration	Assemble verified sub-systems, test interfaces	Integration/ System Tests
6. Validation & Operation	Demonstrate fitness for use and safety case	Validation Report, ISA (Independent Safety Assessor) certificate
7. Decommissioning	Withdraw safely and record lessons	Closure Report, Lessons Learnt

❁ 4 | RAMS – The Compass of Assurance

Element	Definition	Indicator
Reliability (R)	Continuity of performance	MTBF ↑
Availability (A)	Ready for use when required	MTBF / (MTBF + MTTR)
Maintainability (M)	Ease and speed of restoration	MTTR ↓
Safety (S)	Freedom from unacceptable risk of harm (Loss due to Damage/ Casualty)	SIL 1–4, Hazard Rate $\leq 10^{-6}$ – 10^{-8} h^{-1}

“Safety without Reliability is Fragile; Reliability without Safety is Reckless.”

“Knowledge without Integrity is Weak; Integrity without Knowledge is Dangerous”

❁ 5 | Safety Integrity Levels (SIL) – Quantifying Trust and Dependability (SIL-4 being Safest)

SIL	Risk Reduction Factor	Typical Applications
SIL-4	10^4 – 10^5	Electronic Interlocking, TCAS (Kavach)
SIL-3	10^3 – 10^4	Automatic Train Supervision (in Metro CBTC system)
SIL-2	10^2 – 10^3	TPWS, LED Signal Units
SIL-1	10^1 – 10^2	Power Supply Systems

The **ALARP principle**- *As Low As Reasonably Practicable*- An Engineering concept- Keeps risk reduction proportionate and sustainable i.e. financially viable.

IN 6 | Indian Railways- Few Safety Systems- Safety, Reliability and Performance Criteria

System	SIL Level	Reliability Target
EI- Big Yards, Vital Modules	SIL-4	MTBF > 1,00,000 Hr / Availability > 99.98 %
Axle Counter- DAC, MSDAC	SIL-4	MTBF $\geq$ 70,000 Hr
TCAS (Kavach)- Station/LC TCAS	SIL-4	MTBF $\geq$ 60,000 Hr / Availability $\geq$ 98.5 %
Integrated Power Supply	SIL-3	MTBF $\geq$ 35,000 Hr
Digital LED Signals	SIL-2	MTBF $\geq$ 50,000 Hr

These figures mark a shift of Indian Railways from mere *hardware procurement* to *assurance procurement*- where safety and reliability is committed contractual obligation, and not incidental.

“Real integrity is doing the right thing, knowing that nobody’s going to know whether you did it or not.” – Oprah Winfrey

7 | Ethics – The Hidden Fifth Parameter

Framework assume integrity: Right Intent- transparent documentation, independent safety assessment, & continuous competence. **A vigilant engineer completes the assurance loop that no algorithm can replace.**

“The most powerful SAFETY DEVICE in any safety system Engineering i.e. Design and Implementation is an HONEST ENGINEER.”

8 | Digital RAMS – Predictive Assurance

Artificial intelligence, IoT sensors, and **Digital Twins** now extend RAMS into real-time analytics. Predictive maintenance practices and dynamic risk assessment models reduce downtime and cost, turning data into foresight.

“Measure with sensors — decide with sense.”

9 | Management Lessons

1. Design systems with the end purpose- utility, operational environment and life time in mind.
2. Treat present O&M data- incidences in Operation and Maintenance, as part of design.
3. Maintain Risk Records to build adequate mitigation measures at all stages of system life cycle.
4. Use RAMS metrics as lead indicators for assured system performance.
5. Promote a culture of risk assessment and foresight, over oversight and fault-finding.

10 | Conclusion – From Compliance to Conscience

The **System “V” Life-Cycle** and **RAMS framework** convert safety from inspection to **intention**. They ensure that design offices, workshops, and operations **share a single systemic rhythm of assurance**.

“We do not Inherit Safe Railways; But we Design them, build them, and Uphold them.”

When **technology, data, and ethics** converge with the right Intent and Ethical Practices, the RAILWAY becomes not just a transport system but a **SYSTEM OF TRUST**, let's be **TRUSTWORTHY to build TRUST**.

About the Author

Manoj Gurumukhi

Senior Deputy General Manager, South East Central Railway, Bilaspur, CG.

An engineering professional committed to preventive vigilance, system assurance, and ethical leadership. His work promotes the integration of technology and values to build reliability and transparency in Indian Railways.

Corruption and Bribery – A Menace by Few, Suffering to All

Introduction:

Corruption and bribery are chronic challenges that undermine India's governance, economic growth, and social fabric. While only a fraction of individuals engage directly in such misconduct, their actions cast long shadows—damaging institutions, derailing development, and causing widespread hardship for ordinary citizens. As India moves through the third decade of the 21st century, the task of fighting corruption remains of national importance. With the Central Vigilance Commission (CVC) at the helm, supported by agencies like the Central Bureau of Investigation (CBI), Lokpal, Enforcement Directorate (ED), State Vigilance Commissions, and technological initiatives, India's anti-corruption drive has scaled up in ambition and impact—but formidable challenges remain.

The Scale and Pervasiveness of Corruption in India

Data and Figures

Recent metrics cast a sobering light on the scope of the issue:

Transparency International's Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 places India at a rank of 96 out of 180 countries, with a score of 38/100. This is a decline from earlier years—India ranked 85 in 2022 and 93 in 2023—signaling a steady slump in global standing.

In 2023 alone, the Central Vigilance Commission received 74,203 complaints of corruption, spread across railways, local bodies, public sector banks, ministries, and departments; while 66,373 of these were resolved, 7,830 cases remained pending at year-end.

Railway employees were the subject of the largest number of complaints, followed by municipal/local bodies and public sector banks.

A 2023 survey by LocalCircles reported that over 54% of participating citizens paid a bribe in the previous year, especially for accessing municipal or utility services.

At the state level, discrepancies are marked; for instance, Bihar saw a dramatic drop in its internal corruption index since the late 1990s, while states like West Bengal and Assam registered persistent or worsening corruption patterns.

Understanding the Impact: Suffering Inflicted on All

Though often perpetrated by a minority, the corrosive effects of bribery and corruption are widespread:

Erosion of Public Trust: Every act of bribery—whether for a ration card, land approval, or a government contract—breeds cynicism and mistrust in institutions. Honest officials are demotivated, while citizens become wary, suspicious, and often cynical regarding the possibility of positive change.

Economic Cost: The World Bank and recent Indian parliamentary estimates suggest that corruption may cost India over 2% of GDP annually, draining public resources, inflating project costs, and deterring investment.

Denial and Delay of Services: Genuine beneficiaries, often among the poorest, face harassment, repeated denials, or prolonged waits if they refuse to pay bribes. This distorts the core promise of public service delivery and justice.

Distorted Development and Social Justice: Funds meant for development projects, welfare programs, or essential infrastructure may be siphoned off or wasted through inflated billing, kickbacks, and substandard work—depriving society at large, exacerbating inequality, and especially disadvantaging the vulnerable.

Democratic and Institutional Harm: Widespread corruption breeds a culture of impunity. When accountability is subverted, democratic values and the very notion of equal treatment under law are compromised.

Root Causes: Why Does Corruption Persist?

Bureaucratic Complexity and Excessive Discretion: Multiple layers of approval, archaic rules, and complex licensing procedures provide leeway for discretionary powers, often misused for personal gain.

Opacity and Omission: Opaque processes, unclear documentation standards, and lack of objective inspection create conditions ripe for bribery and favoritism.

Lower Accountability and Delays: Sluggish response to complaints, slow disciplinary action, and procedural hurdles discourage people from reporting wrongdoing—and embolden the corrupt.

Socio-economic Pressures and Inequalities: Clerical and lower-level staff are often underpaid and insecure, making them susceptible to bribes. At higher levels, political-bureaucratic nexus can shield large-scale corruption.

Cultural Acceptance: For many, bribery is seen as a “necessary evil” to navigate day-to-day interactions with the state, reflecting a normalization that perpetuates the menace.

Central Vigilance Commission: The Focal Anti-Corruption Organization

The CVC, established in 1964 and given statutory status by the CVC Act, 2003, sits at the apex of India’s anti-corruption mechanisms. Its multi-faceted mandate covers:

Oversight and Supervision: The CVC oversees vigilance activities across all Central Government offices, PSUs, and financial institutions, issuing guidelines, reviewing compliance, and ensuring preventive vigilance.

Complaint Handling and Inquiry: It receives, processes, and recommends action on thousands of complaints annually; it also supervises and monitors cases referred to the CBI and other investigative agencies.

Policy and Preventive Vigilance: The CVC regularly advises departments on institutional reforms, system improvement, and integrity-building through circulars, manuals, and awareness campaigns like Vigilance Awareness Week.

Transparency Initiatives and Reforms:

Introduction of e-procurement, e-tendering, and online complaint systems to minimize human interface and associated discretion.

Institutionalizing rotation of sensitive posts, transparent transfer and posting policies, and whistleblower protection initiatives.

Publishing annual reports that call out departments where recommendations have been ignored—public shaming as a tool for compliance.

CVC in Action: Achievements and Data:

Backlog Reduction: In 2023, the CVC resolved over 66,000 complaints, a significant increase in disposal rates compared to previous years.

Complaint Digitization: Online complaint and tracking portals have made grievance redressal more accessible, increasing citizen participation.

Awareness Drives: “Vigilance Awareness Week” and training modules have covered lakhs of employees, fostering a culture of preventive vigilance across PSUs and departments.

But challenges remain: The CVC acts largely as an advisory and supervisory body, lacking powers to register criminal cases or independently prosecute. It relies on the CBI, Central Administrative Tribunals, and the courts for enforcement. Appointments and resource shortages further limit its functional authority.

The Role of Other Key Agencies:

Central Bureau of Investigation (CBI): Functions as the CVC’s investigative arm on corruption cases. It registers First Information Reports, conducts inquiries, and prosecutes offenders, particularly under the Prevention of Corruption Act, 1988.

Enforcement Directorate (ED): Probes money laundering and asset tracing in corruption-linked offences, working in tandem with banks and the CVC where needed.

Lokpal and Lokayuktas: Established as ombudsman bodies at the central and state levels, respectively, to investigate complaints against public functionaries—including Members of Parliament and senior bureaucrats. However, process delays and staff shortages hamper their efficiency as highlighted in recent reviews.

State Vigilance Commissions/Departments: Each state government runs its own vigilance agency, paralleling CVC’s functions at the regional level, often handling cases related to local government and services.

Auditing and Compliance: The Comptroller and Auditor General (CAG) and internal vigilance units conduct compliance audits, expose leakages, and recommend rectification.

Judiciary and the Supreme Court: Interprets anti-corruption laws, reviews the progress of important cases, and pushes for institutional reforms such as speedy appointment of Lokpal.

Recent Reforms and Recommendations:

Whistleblower Protection Act, 2014: Designed to safeguard and incentivize those who courageously report corruption; recommendations have been made for stronger protections and anonymous reporting.

Process Simplification: The Second Administrative Reforms Commission (2nd ARC) suggested clear SOPs for government processes, minimizing discretionary powers and leveraging technology to reduce corruption opportunities.

Greater Independence: Calls are growing to increase the CVC's independence—especially regarding appointments, resource allocation, and sanctioning authority—to bolster credibility and effectiveness.

Enhancing Digital Governance: E-governance, online service portals, and digitized procurement reduce human contact, thereby limiting avenues for illicit payment—progress being made by many states and central bodies.

Continuous Public Awareness: Ongoing training, public campaigns, and integration of integrity principles in exams, hiring and internal reviews.

The Way Forward: Making Anti-Corruption Everyone's Mission:

Empowering Institutions: To make enforcement swift and deterrent, independent appointment and resource guarantees must be offered to the CVC, Lokpal, and State Vigilance agencies.

Technology and Transparency: Increasing digital footprints for services, introducing AI-driven risk flags, and transparent dashboards will further narrow the space for corrupt practices.

Citizen Engagement: The battle against corruption cannot be won by institutions alone. Widespread public awareness, robust whistleblower protections, and a culture of zero tolerance are vital.

Accountability and Swift Justice: Law enforcement, tribunals, and courts must prioritize high-impact cases, fast-track proceedings, and ensure that the guilty face real, timely consequences for their actions.

Periodic Review and Learning: Institutional reforms must learn from case studies, incorporating best global practices and adjusting to emerging threats and forms of corruption (digital fraud, global assets, and cyber misconduct).

Conclusion:

Corruption and bribery, though orchestrated by a few, impose a heavy and unjustifiable cost on all. India's recent statistical trends reveal both the magnitude of the menace and the significant efforts marshaled by the CVC and allied organizations. Cases disposed, proactive reforms, and increasing public vigilance signal progress—but the persistence of India's CPI ranking and anecdotal realities emphasize the journey ahead. To uproot this menace, India must not only strengthen the hands and independence of anti-corruption watchdogs but also foster a moral culture where integrity is non-negotiable. As vigilance professionals, public servants, and citizens, everyone's resolve and cooperation are essential—so that the suffering caused by the misconduct of a few is replaced by opportunity, justice, and prosperity for all.

References:

- o CVC Annual Reports
- o Transparency International CPI Index
- o 2nd Administrative Reforms Commission & CBI Annual Reports
- o Recent news and analysis, 2023–2025

(Ajay Patel)
Dy. CVO/E

IT Initiatives in Indian Railways

“Sampling out corruption is a very tough job, but I say so in all seriousness that we would be failing in our duty if we do not tackle this problem seriously and with determination.”

Lal Bahadur Shastri

Indian Railways is the backbone of transport in our country. Every day, it carries lakhs of passengers and huge amounts of goods. To handle such a large system, Indian Railways has introduced many IT initiatives. These have improved efficiency, reduced paperwork, and made the system more transparent. Indian Railway brings IT initiatives through CRIS (Centre for Railway Information Systems).

Some of the important IT initiatives are:

Railmadad

Rail Madad Portal has been developed to enable Railway assenger to lodge a complaint or give suggestion through on line, app., or SMS and facility to track live status of complaints and provide feedback based on their satisfaction with the resolution. The objective of this portal is to enhance experience of Railways passengers with swift and satisfactory resolution of complaints.

IREPS (Indian Railways E-Procurement System):

This system is used for online tendering and procurement. It helps in purchasing materials in a transparent and paperless way. Contractors and vendors can submit bids online, which savestime and reduces corruption.

IRWCMS (Indian Railways Works Contract Management System):

This software is used to manage works contracts. From tendering to agreement and billing, everything is done digitally. It improves monitoring and reduces delays in progress of work execution and timely expenditure of allotted funds.

UDM (Unique Document Management):

UDM is used for keeping digital records of stores and materials. It helps in tracking issues, receipts, and balances of railway storematerials. This reduces mistakes and ensures better stock management.

GeM (Government e-Marketplace):

Indian Railways uses the GeM portal to buy goods and services. This online platform makes procurement simple, fast, and transparent. It also gives fair opportunities to all suppliers.

HRMS (Human Resource Management System):

HRMS is an online system for railway employees. They can check their service records, promotions, transfers, salary slips, and leave details through this system. It reduces dependency on physical files.

HMIS (Hospital Management Information System):

This is used in railway hospitals. It keeps patient records, medicine stock, lab reports, and appointments in digital form. It improves healthcare facilities for railway employees and their families.

Conclusion

These IT initiatives have brought a big change in Indian Railways. They have made the system more modern, efficient, and transparent. With digital technology, the railway is not only improving passenger services but also strengthening internal management. In the coming years, these steps will help Indian Railways become smarter and more reliable.

**B B BESOI
(CVI/E)**

IR's VISION AND ROLE OF VIGILANCE

India is striving towards becoming a developed nation. Indian Railways is well known as life line of the nation for its pivotal role in industrial growth and social responsibility connecting nation along the length and breadth of this vast nation with diverse resources and societies. Along with speed, Indian Railways has become a medium of connecting hearts, societies, and opportunities to the people. Keeping in mind the contribution of safe, secure and economically viable transport sector i.e. Indian Railways in developed India, record investments have been made in the last decade. Railways are being modernised by Project Unigauges, Railway Electrification, Multitracking New lines and safe and secure electronic Interlocking Kavach introduction of modern trains like

Vande Bharat and Namo Bharat, and well –equipped Railway stations with modern technology. In this series, the country's first semi-high-speed train, 'Vande Bharat,' was launched on 15 February 2019. In just six years, almost all the states have got Vande Bharat connectivity. The plight of railways has changed in the last decades, while from the beginning of the current decade, Government has given special emphasis in expediting ongoing Rail projects, through project Gatishakti and other means.

Indian Railways is the largest government organization with more than 11 lakh employees. This is an organization with a 165-year history and which today operates more than 13,000 trains across its 69,000 route kilometers and 7335 railway station every day and Indian Railway carries more than 800 crore passengers and more than 1500 Mn metric tonnes of freight traffic annually.

The nature of its work having continuous public interface and its operations present opportunities for corrupt practices to arise. While a large number of its officials and staff are considered to be honest and dedicated to their work. However, there are certain few elements whose integrity can be considered questionable.

Primarily, it is the role of the administration in any organization to set up systems which encourage integrity and transparency and come down heavily on those who adopt corrupt practices. Essentially, every officer and staff are themselves are vigilance officials and needs to ensure probity in the work being done by them and the people who work with them.

The Vigilance organization is an essential and integral part of Indian Railways and assists the department towards running a clean and efficient administration.

ANKIT PARMAR
(CVI/A)



Corruption and its impact on Modern Society

The most wonderful thing God has ever made is the human being who is most developed and civilised among all living beings. Despite of this some people are unaware of various aspects of life. They do not know the value of money. It is only when one has to take pains for money, food and other daily necessities, that he realises their price. In the universe no two persons are alike. Every individual has his own way of thinking and living. This is because of their different living situations, different past experiences and different goals in life.

Integrity is the attribute of a welfare state. Lack of integrity takes various shapes in the form of corruption. The influence of corruption is insidious. It not only inflicts wrongs which are difficult to redress, but it undermines the structure of administration and the confidence of the public in the in the administration. Instances of individuals lacking integrity are legion.

Corruption in one form or the other has always existed in human society. According to Kautilya, “just as it is impossible not to taste honey that finds itself at the tip of the tongue, so it is impossible for a government official not to eat up at least a bit of king’s revenue”. Now-a-days Government corruption is a complex issue which is prevalent in all forms of govt. Some of the common sources of corruption in the society are detailed hereafter.

1. **‘Speed money’** which is being used in matters of granting licences, permits etc. In this case, the bribe giver does not wish to get anything done unlawfully but merely wants to speed up the process of the movement of files and communications relating to decisions. Certain Section of the staff concerned are habituated of not doing anything in the matter till they are suitably persuaded.
2. **Expenditure of public funds by govt. servants:** In so many cases when the senior officials go out on official tours, Junior official spend lavishly and extravagantly from the funds at their disposal on the entertainment of visiting officials. Such lavish and extravagant entertainment is motivated by a desire to obtain undue personal favours from the visiting officials.
3. In many govt. departments personal files or confidential reports are another source of corruption. When officers go on tour, they expect their subordinates to attend their comforts. This means expenditure for the subordinates. If an honest subordinate fails to oblige his superior as he surely would, he must attract the adverse remarks in his personal file.
4. Many of the govt. servants give bribe to get themselves posted at such places where there is a financial benefit to them.
5. In the contracts of constructions, purchase, sales and other regular business on behalf of the govt. a regular percentage is paid the parties to the transaction and this is shared in agreed proportion among the various officials concerned. There is hardly anyone from a petty clerk to a minister who is not manageable with a proportionate amount of gratification.
6. **Nepotism:** Some people provide unfairly benefit to their family, friends or relatives by providing them job or privilege by using their power or influence.

Lack of integrity is becoming wider and wider with parallel to development & civilization. Though according to Frank Serpico “The fight for justice against corruption is never easy. It never has been and never will be.” it must be remembered that **where there is a will there is a way**. There must be a continuous war against every species of corruption. Corruption has a profound impact on modern society. It effects the various aspects of life. Corruption plays a major hindrance to economic growth.

Rup Laal Bage
CVI (Elec)

☀ सतर्कता की ज्योति ☀

सच की राह हो कठिन सही,
पर उस पर चलना उत्तम है।
भ्रष्ट विचार जो मन में आए,
उनसे लड़ना ही धर्म है।

न रिश्त की कोई चाह रखो,
न झूठ से नाता जोड़ो।
ईमानदारी को हथियार बना,
हर बाधा को तुम तोड़ो।

हर दफ़्तर में, हर गली में,
सत्य का दीप जलाएं।
सतर्क रहें, सजग बनें,
कदम-कदम पर समझ दिखाएं।

जागो रे भारत के वीरों,
अब न सोने का समय है।
हर नागरिक का धर्म यही,
सतर्कता ही श्रेय है।

ना डर, ना लालच, ना भ्रम,
साफ़ सोच हो अपना।
न्याय, सेवा, और कर्तव्य में,
हर पल हो पूर्ण समर्पण अपना।

विकास सोनी
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (ई एवं एस)



सतर्कता जागरूकता सप्ताह (27 अक्टूबर से 02 नवम्बर 2025)
Vigilance Awareness Week (27th Oct to 02nd Nov 2025)

“सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी”
“Vigilance: Our Shared Responsibility”

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

**यदि भारत को, विकास पथ पर लाना है
तो भ्रष्टाचार को, जड़ से मिटाना है।**

नया भारत

आओ मिल कर नया भारत बनाएँ,
हर कोई करे परिश्रम, हर कोई अपनी जान लगाए।

करना बड़ा काम होगा, अपनी आत्मा झकझोरना होगा,
नैतिकता और देशभक्ति से सबको सराबोर करना होगा।

जब हर भारतीय कलम, फावड़ा और हल उठाएगा,
सोना उगलेगी धरती, देश उन्नति कर पाएगा।

अलग अलग नहीं हम सब एक बनें,
देश के नवनिर्माण में हर कोई भागीदार बनें।

वयूँ ना देखें एक ऐसा सपना,
भ्रष्टाचार मुक्त हो भारत अपना।
॥ वंदे मातरम ॥

इतिहास की यादें भुलाकर चलो भविष्य संवार लें हम,
एकजुट हो सारा समाज, ऐसे प्रयास करें हम।

शाखाओं को नहीं, देश की जड़ को मजबूत करना होगा,
हर अंतिम नागरिक को आत्मनिर्भर और सशक्त करना होगा।

देश की खुशहाली से ही होंगे खुशहाल हम,
बढ़ेगा देश तभी तो बढ़ेंगे हम।

हर गाँव चमके, हर शहर बढ़े,
भारत विकसित राष्ट्र बने।

नीलिमा वर्मा
सतर्कता निरीक्षक (अभि०)



सतर्कता जागरूकता सप्ताह (27 अक्टूबर से 02 नवम्बर 2025)
Vigilance Awareness Week (27th Oct to 02nd Nov 2025)

“सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी”
“Vigilance: Our Shared Responsibility”

हम अपनी भागेदारी, सतर्कता से निभायेंगे,
भ्रष्टाचार रूपी दानव को, दुनिया से दूर भगायेंगे।



भ्रष्टाचार, विकास और सुशासन का दुश्मन है। इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। इस राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार और आम जनता, दोनों को एकजुट होना होगा।

सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी

भ्रष्टाचार केवल एक शब्द नहीं, बहुत बड़ी महामारी है।

सजग रहें सतर्क रहें, सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है ॥

इस फैलती महामारी को, हमें जड़ से मिटाना है ॥

अपने तन मन जीवन में, हमें सतर्कता लाना है ॥

जहरीला फूल है भ्रष्टाचार, इसको ना हाथ लगाना है।

ईमानदारी और नैतिकता का, खुशबू हमें फैलाना है ॥

भ्रष्टाचार का फैल रहा अंधेरा, इसको दूर भगाना है।

जो सो रहा है इस अंधेरे में, उसको अब जगाना है ॥

दिखने में एक सुंदर सा दलदल, इसमें कभी ना फंसना है।

इसमें फंस रहे लोगों को, इससे बाहर लाना है ॥

राष्ट्र को समृद्ध बनाएं, हम सबकी भागीदारी से।

सजग रहें सतर्क रहें, सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है ॥

डी आदित्य कुमार
कार्य अध्ययन निरीक्षक (मुख्यालय)



The banner features a central text area with a light orange background. At the top, it says 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह (27 अक्टूबर से 02 नवम्बर 2025)' and 'Vigilance Awareness Week (27th Oct to 02nd Nov 2025)'. Below this, it reads '“सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी”' and '“Vigilance: Our Shared Responsibility”'. The bottom section has a red background with white text: 'यह हम सब की है जिम्मेदारी, आओ भगायें भ्रष्टाचार की बीमारी।'. Logos for the Central Vigilance Commission, Indian Railways, South East Central Railway, and Azadi Ka Amrit Mahotsav are visible. A small logo on the left says 'स्वच्छ भारत' and 'एक कदम स्वच्छता की ओर'.

“Vigilance – Our shared responsibility”

VIGILANCE IS NOT JUST THE DUTY OF A FEW; IT IS THE COLLECTIVE RESPONSIBILITY OF EVERY CITIZEN. IN A COUNTRY AS VAST AND DIVERSE AS INDIA, WHERE DEMOCRATIC VALUES AND PUBLIC RESOURCES MUST BE PROTECTED WITH CARE, VIGILANCE FORMS THE FOUNDATION OF AN ETHICAL, TRANSPARENT, AND JUST SOCIETY.

THE BELIEF THAT “SOMEONE ELSE WILL TAKE CARE OF IT” IS NO LONGER VALID. IN TODAY’S WORLD, EVERY INDIVIDUAL MUST ACT AS A VIGILANT FORCE AGAINST CORRUPTION, NEGLIGENCE, AND INJUSTICE.

WHAT IS VIGILANCE?

VIGILANCE MEANS BEING ALERT AND WATCHFUL — ESPECIALLY AGAINST DANGER, DISHONESTY, OR WRONGDOING. IN PUBLIC LIFE, IT TRANSLATES INTO PROACTIVE EFFORTS TO PREVENT CORRUPTION, ENSURE ACCOUNTABILITY, AND PROMOTE GOOD GOVERNANCE.

WHY IS VIGILANCE A SHARED RESPONSIBILITY?

GONE ARE THE DAYS WHEN VIGILANCE WAS CONSIDERED THE SOLE DUTY OF POLICE OR ANTI-CORRUPTION DEPARTMENTS. IN MODERN GOVERNANCE, CITIZEN PARTICIPATION IS ESSENTIAL. EVERY INDIVIDUAL CAN CONTRIBUTE BY:

- REPORTING SUSPICIOUS OR UNETHICAL ACTIVITIES.
- REFUSING TO PARTICIPATE IN BRIBERY OR FAVORITISM.
- EDUCATING OTHERS ABOUT THEIR RIGHTS AND DUTIES.

VIGILANCE AS A WAY OF LIFE

VIGILANCE IS NOT AN OCCASIONAL ACT — IT IS A WAY OF LIVING WITH INTEGRITY AND RESPONSIBILITY. WHEN EACH PERSON COMMITS TO HONESTY, RESPONSIBILITY, AND ACTIVE PARTICIPATION, INDIA MOVES CLOSER TO BECOMING A PROSPEROUS AND CORRUPTION-FREE NATION.

VIGILANCE IS NOT OPTIONAL – IT IS ESSENTIAL.
“VIGILANCE BUILDS TRUST, TRUST BUILDS GROWTH.”

सतर्कता और ईमानदारी

सतर्कता है दीपक ज्योति,
सही राह पर रखती ज्योति।
यह न केवल कुछ का काम,
सबका है यह गर्व और नाम।

सज्जन विचार, निष्पक्ष कर्म,
यही है प्रगति का धर्म।
भ्रष्टाचार को दूर भगाएँ,
पारदर्शिता से आगे बढ़ाएँ।

रेल पटरियों पर चलता विश्वास,
ईमानदारी है इसकी आस।
कर्मचारी हों या यात्री सारे,
निभाएँ जिम्मेदारी हमारे।

आओ मिलकर शपथ उठाएँ,
निष्ठा का दीप जलाएँ।
भारत रेल की हो पहचान,
ईमानदारी से ऊँचा मान।

दीपक कुमार प्रसाद
(मुख्य सतर्कता निरीक्षक/यांत्रिक)

“रिश्त का रोग”

कुर्सी पर बैठा बाबू बोला,
“फाइल तभी आगे होगी, जब जेब में कुछ घोला।”
जनता रोए, जनता हारे,
पैसे दिए बिना काम कहाँ सारे?

पर सुनो साथियों! एक बात,
ईमानदारी में है असली सौगात।
अगर हम सब ठान लें आज,
न देंगे घूस, न लेंगे आज!

रिश्त का रोग बड़ा पुराना,
खाता अधिकारी, रोता गरीब किसान।
सिस्टम जाम, ईमान बदनाम,
देश का सपना हो गया नाकाम।

नारा गूँजे गली-गली,
भ्रष्टाचार अब भाग चला जल्दी।
एक कदम तुम बढ़ाओ, एक कदम मैं,
बदल जाएगा देश — यही है सत्य!

(रंजीत कुमार भास्कर)
मुख्य सतर्कता निरीक्षक (इंजीनियरिंग)
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर

सतर्कता जागरूकता सप्ताह (27 अक्टूबर से 02 नवम्बर 2025)
Vigilance Awareness Week (27th Oct to 02nd Nov 2025)

“सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी”
“Vigilance: Our Shared Responsibility”

अगर हम अब भी सजग नहीं हुए,
तो भ्रष्टाचार रुपी यह दीमक देश को खोखला कर देगा।

भ्रष्टाचार के उन्मूलन से ही देश की प्रगति संभव है

भ्रष्टाचार शब्द दो अक्षरों के तालमेल से बना है, इसका संधि विच्छेद भ्रष्ट+ आचरण है, अर्थात् एक ऐसा अनैतिक आचरण है जिसमें भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति के द्वारा अपने निजी स्वार्थ लाभ के लिए अनुचित और गैर कानूनी तरीके से धनार्जन की होड में देश की संपत्ति का शोषण और देशवासियों का अहित करने से भी गुरेज नहीं करता है। भ्रष्टाचार देश की उन्नति के पथ पर सबसे बड़ा बाधक तत्व है, यह उस दीमक की तरह है जो अंदर ही अंदर देश को खोखला कर रहा है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना है जो यह दिखाता है कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई कितना निम्न स्तर तक गिर सकता है।

भ्रष्टाचार और घूसखोरी कुछ लोगों के लिए खतरा और सबके लिए पीड़ा:

भारत जैसे विशाल देश में भ्रष्टाचार एक आम बात हो चुकी है, जिसे लोगों ने स्वीकार कर उसे अपनी आदत बनाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक रूप से पिछड़े और गरीब जनता को इसका खामियाजा भुगतान पड़ता है। भ्रष्टाचार के कारण होने वाले नुकसान से आज हम सभी भली-भांति परिचित हैं। भ्रष्टाचार के कारण लोगोंको कई तरह की सार्वजनिक व मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसी गरीब की हिस्से की शिक्षा किसी पैसे वाले अमीर को दी जा रही है। देश के युवाओं में पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता एवं प्रतिभा होने के बावजूद भी रिश्तेखोरी कि वजह से युवाओं को रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा। हमारे देश के सरकारी दफ्तरों में उच्च पद पर बैठे कुछ भ्रष्ट लोग अपने रसूख का इस्तेमाल करके कई वर्षों तक मलाईदार पदों पर आसीन रहकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, इन रसूखदार लोगों के विरुद्ध की गई शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण ना मिला हो। गरीबों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं जैसे आवास, निशुल्क चिकित्सा, शिक्षा, पीने का पानी, न्याय व्यवस्था, सड़क, बिजली इत्यादि मूलभूत सुविधाओं पर भी कुछ भ्रष्टाचारी गिद्ध जैसी टकटकी निगाहें लगाए रहते हैं, जिससे गरीबों को मिलने वाली सरकारी सुविधा या तो पूर्ण रूप से मिल ही नहीं पाती या मिलती भी है तो उनमें कटौती कर दी जाती है।

भ्रष्टाचार एक ऐसी लत है, जिसका स्वाद एक बार चखने के बाद उसकी लत लगना स्वाभाविक है, इसकी मकड़जाल में फंसने के बाद इससे बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और एक बार इस दलदल में उतरने के बाद इससे निजात पाना असंभव हो जाता है, भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए देश के नागरिकों को केवल सरकार पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि लोगों को इस बात का भी प्रण लेना चाहिए कि वो अपने अधिकारों एवं सरकार द्वारा जनहित में लागू कार्यविधियों का भी भलीभांति अनुपालन करेंगे वो अपना कोई भी काम कराने के लिए रिश्ते कि पेशकश नहीं करेंगे और यदि कोई व्यक्ति उस कार्य के लिए रिश्ते की मांग करता है तो इसकी सूचना संबंधित भ्रष्टाचार निवारक कार्यालयों को प्रेषित करेंगे जिससे रिश्तेखोरों पर कार्यवाही की जा सके, अधिकांशतः मामलों में शिकायत के अभाव में ऐसे अराजक तत्वों का मनोबल बढ़ता जाता है, और उनमें कानून का भी कोई भय नहीं रहता है जिससे वे अपना एक क्षत्र राज चलाकर भोलीभाली जनता को लूटने से कोई गुरेज नहीं करते हैं।

भ्रष्टाचार पर नकैल कसने के लिए सबसे पहले देश के नागरिकों को अपने अधिकारों एवं सरकारी हितग्राही योजनाओं की जानकारी आवश्यक है, जब तक वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक भ्रष्टाचारियों की लूट का शिकार होते रहेंगे, इसके लिए सरकारी इकाइयों को आगे आकर लोगों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए जागरूक करने की पहल करनी पड़ेगी तभी इन भ्रष्टाचारियों के हौसले पस्त होंगे।

कुछ ऐसे कारक जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए दोषी हैं जैसे:

- (1) व्यक्ति का लोभी स्वभाव (2) आपसी दिखावे के लिए आर्थिक प्रतिद्वंद्विता (3) पारिवारिक पृष्ठभूमि (4) भाई-भतीजावाद (5) रसूख या अपनी पट्टू के बल पर कानून का दुरुपयोग (6) टैक्स चोरी (7) राजनीतिक संरक्षण (8) सरकारी निशुल्क योजनाओं के प्रचार प्रसार में कमी (9) जनता में जागरूकता का अभाव।

भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए निम्नलिखित सार्थक पहल आवश्यक हैं:

1. **सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का स्वयं आत्मसात करें** – हमें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए इसकी शुरुआत स्वयं एवं अपने परिवार तथा समाज के लोगों से करनी चाहिए, यदि हम स्वयं सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का पालन करेंगे तो निःसंदेह

हमारे परिवार और समाज दोनों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही हम भारत के अच्छे नागरिक होने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं।

2. **देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार के प्रति जागरूक करना** - भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए देश के नागरिकों को केवल सरकार पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि लोगों को इस बात का भी प्रण लेना चाहिए भारत के संविधान में उन्हें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को अच्छी तरह से समझें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हुए समाज के अन्य लोगों को भी जागरूक करें।
3. **भ्रष्टाचार निरोधक कानून का त्वरित एवं कड़ाई से अनुपालन** - हम सभी को इस बात की शपथ लेनी होगी कि, अपने किसी भी शासकीय कार्य को कराने के लिए रिश्तों की पेशकश नहीं करेंगे, और साथ ही रिश्तों की मांग करने वालों की शिकायत, सरकार द्वारा संचालित भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों में करेंगे, और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भ्रष्टाचार के मामलों में दर्ज शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेकर उन पर कड़े कानूनी प्रावधान लागू करना चाहिए जिससे भ्रष्टाचारियों के मन में कानून का भय पैदा हो सके।
4. **सरकारी निःशुल्क Online पोर्टल तथा न्यूनतम प्रभार पर उपलब्ध सुविधा का प्रचार प्रसार** - केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयास से लोकहित में जनता को आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए निःशुल्क Online पोर्टल का अथवा सरकार द्वारा लागू न्यूनतम प्रभार पर सरकारी वैध दस्तावेज जैसे - आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, जन्म मृत्यु पंजीयन, भू अभिलेख इत्यादि के दस्तावेज Online पोर्टल के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, परंतु इस सुविधा का अधिक प्रचार- प्रसार नहीं होने के कारण अभी भी लोग इससे वंचित हो रहे हैं। इन सुविधाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए जिससे बिचौलियों पर लगाम लगाया जा सके।
5. **लोकहित प्रकटीकरण मुखवीर संरक्षण अधिनियम 2004 (PIDPI) को बढ़ावा देना** - केंद्र सरकार की ओर से भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए लोकहित प्रकटीकरण मुखवीर संरक्षण अधिनियम 2004 (PIDPI) को लागू किया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक किसी भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति या भ्रष्टाचार में लिप्त संस्था के विरुद्ध अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, इस विधेयक में यह प्रावधान है कि शिकायतकर्ता की पहचान को सर्वथा गुप्त रखा जाएगा उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, परिणामस्वरूप वर्तमान परिदृश्य में यह अधिनियम बहुत ही कारगर साबित हो रहा है, केंद्र सरकार की ओर से अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं विभागों के माध्यम से इसके प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया है, निकट भविष्य में इस अधिनियम का अच्छा प्रतिसाद मिलने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
6. **जवाबदेही को बढ़ावा देना** - नैतिकता की मांग है कि व्यक्ति अपने कार्यों और निर्णयों की ज़िम्मेदारी लें। जबलोगों को नैतिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो उनके कार्यों के पारदर्शी और जवाबदेह होने की अधिकसंभावना होती है, जिससे भ्रष्टाचार, जो कि दूसरों को नुकसान पहुँचा सकता है, की संभावना कम हो जाती है।

भ्रष्टाचार जैसी संक्रामक बीमारी हमारे सभ्य समाज के लिए एक अभिशाप की तरह है, इससे देश की प्रगति और विकास दोनों प्रभावित होता है, तो आइए हम सब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पदचिन्हों पर चलकर भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संकल्पों को चरितार्थ करें और आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों का प्रतिसाद करते हुये देश की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए ध्वजवाहक बनकर एक अच्छे नागरिक होने का प्रमाण देते हुए भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करें।

श्याम कुमार मोर्य

मुख्य सतर्कता निरीक्षक (कार्मिक)



"ईमानदारी की जीत"

एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक साधारण युवक रहता था। वह सरकारी दफ्तर में काम करता था। दफ्तर में अधिकांश लोग काम करने से पहले "चाय-पानी" यानी रिश्तत मांगते थे।

क्लर्क फाइल शेक लेता, कहता – "साहब को दिखाने से पहले थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा।"

साहब कहते – "कागज पूरे हैं, लेकिन नियमों के हिसाब से जल्दी करवाना हो तो समझदारी दिखाओ।"

आम लोग परेशान रहते और मजबूरी में पैसे देकर काम करवाते थे।

पहले दिन ही उसने यह सब देखा और हैरान रह गया। उसने तय किया – "मैं इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनूँगा।"

रमेश यह सब देखकर दुखी था। उसने तय किया कि वह खुद कभी रिश्तत नहीं लेगा और दूसरों को भी जागरूक करेगा। एक दिन दफ्तर में एक बूढ़ा किसान अपने जमीन के कागज सही करवाने आया। क्लर्क ने उससे कहा – "बिना पैसे दिए फाइल आने नहीं बढ़ेगी।" किसान बेबस होकर आंखों में आंसू भरकर रमेश के पास आया।

तभी रमेश ने फाइल अपने हाथ में ली और कहा –

☝ "आपका काम बिना रिश्तत होगा। कानून आपके साथ है।"

रमेश ने पूरी फाइल चेक की और नियम के अनुसार उसी दिन काम पूरा कर दिया और किसान से कोई पैसा नहीं लिया।

यह देखकर बाकी लोग हैरान हुए। रमेश ने सभी सहकर्मियों से कहा –

"अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे, तो जनता का विश्वास लौटेगा। भ्रष्टाचार हमें थोड़े समय का फायदा देता है, लेकिन समाज और देश को बहुत नुकसान पहुँचाता है।"

कुछ दिन बाद एक ठेकेदार ने फाइल पास करने के लिए रमेश को रिश्तत देने की कोशिश की। रमेश ने साफ इंकार कर दिया और कहा –

"मेरा ईमान बिकाऊ नहीं है। काम होगा तो सिर्फ नियम के हिसाब से।"

उसने शिकायत की और ठेकेदार पर कार्रवाई हुई।

रमेश ने आगे बढ़कर कुछ कदम उठाए:

2. **साफ़-साफ़ नोटिस बोर्ड लगाया** – सभी फीस और समयसीमा लिख दी।
3. **शिकायत पेटी रखवाई** – ताकि जनता शिकायत कर सके।
4. **ऊपर रिपोर्ट भेजी** – जिन अफसरों ने रिश्तत माँगी, उन पर कार्रवाई हुई।

धीरे-धीरे उस ऑफिस की छवि बदल गई। लोग कहते –

☝ "अब यह ऑफिस भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं, जनता की सेवा का स्थान है।"

धीरे-धीरे रमेश की ईमानदारी पूरे कस्बे में चर्चा का विषय बन गई। लोग उसके उदाहरण से प्रेरित हुए। दफ्तर के कई कर्मचारियों ने भी रिश्तत लेना बंद कर दिया। किसान और आम लोग रमेश को आशीर्वाद देने लगे।

कहानी का संदेश यह है कि –

- ☝ भ्रष्टाचार रोकने की शुरुआत हर व्यक्ति को खुद से करनी होगी।
- ☝ भ्रष्टाचार रोकने की शुरुआत किसी कानून से नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत संकल्प से होती है।
- ☝ भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब कोई एक व्यक्ति साहस दिखाकर ईमानदारी से खड़ा होगा।
- ☝ हर ऑफिस में अगर एक रमेश जैसा कर्मचारी हो, तो सिस्टम अपने आप बदल जाएगा।
- ☝ ईमानदारी और निष्ठा से काम करने वाला एक व्यक्ति भी पूरे समाज एवं देश में बदलाव ला सकता है।

(रंजीत कुमार भास्कर)

मुख्य सतर्कता निरीक्षक (इंजीनियरिंग)

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर

गीता का संदेश: कर्म, अकर्म और विकर्म की गहराई

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥

भगवद्गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। किसी भी कार्य का परिणाम अपने हाथ में नहीं है, इसलिए हमें केवल अपने कर्तव्य को ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। जब मनुष्य फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करता है तो उसका मन शांत और जीवन सार्थक बनता है।

हालांकि, कभी-कभी लोग इसे गलत समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए कोई भ्रष्ट अधिकारी या चोर कह सकता है, "मैं तो बस कर्म कर रहा हूँ, फल की मुझे चिंता नहीं।" यह सोच गीता का दुरुपयोग है। गीता केवल धर्मानुकूल कर्म के लिए मार्गदर्शन देती है, न कि अधर्म या विकर्म के लिए।

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥

इसका अर्थ है कि हमें यह समझना चाहिए कि कौन सा कर्म धर्मानुकूल है, कौन सा विकर्म (अधर्म) है, और कौन सा अकर्म (कर्तव्य न करना) है। इन तीनों की गति बहुत गहरी और जटिल है।

भ्रष्टाचार और विकर्म

भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से विकर्म है। अधिकारी का वास्तविक कर्तव्य जनता की सेवा करना, नियमों का पालन करना और न्याय करना है। लेकिन जब वही अधिकारी रिश्तों को ध्यान में रखता है, फाइलें रोकता है या पक्षपात करता है, तो यह केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया विकर्म है।

विकर्म से कमाए गए पैसे से अस्थायी सुविधा और विलासिता मिल सकती है, लेकिन मन में संतोष और शांति नहीं होती। ऐसे धन से जीवन भले भौतिक रूप से समृद्ध दिखे, लेकिन मानसिक असंतोष और भय का बोझ रहता है। परिवारिक रिश्ते भी धीरे-धीरे स्वार्थ आधारित हो जाते हैं, और प्यार तथा भरोसा कम हो जाता है।

भ्रष्ट अधिकारी की सोच और उसका भ्रम

भ्रष्ट अधिकारी अक्सर यह सोचकर खुद को सही ठहराता है कि—

- "सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं।"
- "अगर मैं रिश्तों को ध्यान में रखूँ तो इसमें गलत क्या है?"
- "मेरा परिवार भी तो सुख-सुविधा चाहता है।"

विकर्म के परिणाम और उसकी सीमाएँ

1. धन आता है, समृद्धि नहीं

- विकर्म (भ्रष्टाचार, छल, अपराध) से कमाए गए पैसे से व्यक्ति घर, गाड़ी, शानो-शौकत सब खरीद सकता है। लेकिन यह धन कभी भी शांति, सुरक्षा और स्थायित्व नहीं दे सकता। क्योंकि समृद्धि केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि भीतर की संतोष और धर्मनिष्ठा से आती है।

2. सुविधाएँ आती हैं, सुख नहीं

- भ्रष्टाचार से बना महल बाहर से आकर्षक लगता है, पर अंदर का वातावरण तनाव, डर और असुरक्षा से भरा रहता है। एसी, गाड़ी, शानदार भोजन—ये शरीर को आराम दे सकते हैं, लेकिन मन को सुख नहीं। मन का सुख केवल सत्य और ईमानदारी के मार्ग से आता है।

3. संबंधों का पतन

- जब धन अधर्म से आता है, तो परिवार के रिश्ते भी धीरे-धीरे *मतलब-आधारित* हो जाते हैं। पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार सभी उस धन और सुविधा पर निर्भर हो जाते हैं, और प्यार-आस्था धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाती है। अंततः व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, क्योंकि रिश्ते स्वार्थ से जुड़े होते हैं, न कि सच्चे स्नेह से।

4. असंतोष और भय

- भ्रष्टाचार से कमाए धन के साथ हमेशा डर जुड़ा रहता है—
 - पकड़े जाने का डर,
 - समाज में बदनामी का डर,
 - और खो देने का डर
- इसलिए चाहे कितना भी धन हो, *मन में संतोष नहीं होता।*

अकर्म (कर्तव्य न करना) का परिणाम

अकर्म का अर्थ है कर्तव्य का त्याग या निष्क्रियता। यदि अधिकारी अपने कर्तव्यों से पलायन करता है, फाइलें अनदेखी छोड़ देता है, निर्णय नहीं करता या समाज सेवा से दूरी बनाता है, तो यह भी गीता के अनुसार गलत है। अकर्म का परिणाम है—अन्याय और अव्यवस्था का निर्माण, जनता का नुकसान और सामाजिक असंतोष।

जीवन में शिक्षा

गीता कहती है कि कर्म, विकर्म और अकर्म—तीनों की गति जटिल है। हर कार्य या गैर-कार्य का परिणाम समय के साथ अवश्य सामने आता है। मनुष्य को केवल धर्मानुकूल कर्तव्य निभाना चाहिए। फल की चिंता भगवान पर छोड़कर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। धर्मयुक्त कर्म से स्थायी संतोष और शांति मिलती है। विकर्म न केवल दिखावटी सुख और भय देता है, बल्कि अंततः व्यक्ति और समाज दोनों के लिए नुकसानदायक सिद्ध होता है। अकर्म भी समाज और व्यक्तिगत जीवन दोनों के लिए हानिकारक है। भ्रष्टाचार और अधर्म से कमाया गया धन कभी स्थायी सुख और संतोष नहीं दे सकता। केवल ईमानदारी और धर्मनिष्ठ कर्म से ही व्यक्ति को मानसिक शांति, सच्चे रिश्ते और वास्तविक समृद्धि मिलती है।

बृजनंदन सिंह
(CVI/S)



सतर्कता जागरूकता सप्ताह (27 अक्टूबर से 02 नवम्बर 2025)
Vigilance Awareness Week (27th Oct to 02nd Nov 2025)

“सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी”
“Vigilance: Our Shared Responsibility”

सतर्क रहो, भ्रष्टाचार से बचो।



Vigilance: Our Shared Responsibility

“Without vigilance, freedom becomes fragile and responsibility fades”

Introduction: Vigilance is the proactive and continuous process of monitoring, detecting, and preventing corrupt practices, ensuring accountability, transparency, and integrity in organizations and society. Vigilance aspects are essential to:

Prevent corruption and misconduct.

Promote good governance and ethics.

Protect public interest and resources.

Ensure accountability and transparency.

Foster a culture of integrity and trust.

Vigilance Function: Vigilance is a key management tool that should propel organizations forward on a higher growth trajectory. Its function should be viewed as a facilitator in accomplishing objectives, not an impediment. The functions of a Chief Vigilance Officer (CVO) are mainly divided into three parts:

Preventive Vigilance: Preventing corruption and misconduct.

Punitive Vigilance: Taking action against corruption and misconduct.

Surveillance and Detection: Monitoring and detecting potential threats.

Role Of Vigilance: The role of vigilance can be broadly divided into:

Proactive Vigilance: Anticipating and preventing potential corruption

Preventive Vigilance: Implementing measures to prevent corruption

Predictive Vigilance: Identifying potential risks

Detective Vigilance: Detecting and identifying corruption

Punitive Vigilance: Taking action against corruption

Corrective Vigilance: Implementing corrective measures

Vigilance Activities: Some key vigilance activities include:

Preparing lists of officers of doubtful integrity.

Preparing "Agreed lists" of officers.

Investigating complaints with follow-up action.

The Vigilance Division also observes “VIGILANCE AWARENESS WEEK” to spread awareness among employees and citizens.

Why Vigilance Matters: Vigilance is essential for preventing corruption, promoting good governance, and protecting public resources. When individuals and organizations are vigilant, they can identify and report suspicious activities, prevent wrongdoing, and ensure that those in power are held accountable. Vigilance also promotes a culture of transparency and integrity, where individuals feel empowered to speak up against wrongdoing without fear of retaliation.

Our Shared Responsibility: Vigilance is not just the responsibility of law enforcement agencies or government institutions; it is a shared responsibility that requires the active participation of every individual and organization. We all have a role to play in promoting vigilance, whether it's reporting suspicious activity, speaking up against wrongdoing, or simply being aware of our surroundings. By working together, we can create a society that values transparency, integrity, and accountability.

How Can We Foster Vigilance:

Raise Awareness: Educate individuals and organizations about vigilance through workshops and awareness campaigns.

Encourage Transparency: Foster a culture of transparency with whistleblower protection policies and open communication.

Report Suspicious Activity: Encourage reporting through anonymous tip lines or other mechanisms.

Promote Accountability: Hold those in power accountable with strict accountability measures.

Benefits Of Vigilance:

By fostering a culture of vigilance, we can prevent corruption, promote good governance, and protect public resources. Vigilance can also promote a culture of shared responsibility that requires the active participation of every individual, organization, and institution. By fostering a culture of vigilance, we can prevent corruption, promote good governance, and protect public resources. Let us work together to promote vigilance and create a society that values transparency, integrity, and accountability. Remember, vigilance is not just a responsibility, it's a collective duty that requires our active participation. By working together, we can create a better future for ourselves and for generations to come.

Conclusion:

Vigilance is the cornerstone of a corruption-free society, ensuring accountability, transparency, and integrity. By implementing robust vigilance measures, organizations and individuals can prevent corruption and misconduct, promote good governance and ethics, protect public interest and resources, and foster a culture of integrity and trust. Vigilance is not just a responsibility, but a collective duty. Together, we can combat corruption, promote good governance, and create a better future for all.

As the saying goes, "**Vigilance is right thought. To make India great.**"

Arnab Ghosh
General Assistant
SECR MHS School/NIR



सतर्कता हम सब की जिम्मेदारी

भूमिका

सतर्कता का अर्थ है हर समय जागरूक, चौकस और सावधान रहना। यह सिर्फ किसी सरकारी विभाग या सुरक्षा एजेंसी का काम नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक का कर्तव्य हो। एक सतर्क नागरिक ही, समाज और अपने राष्ट्र की अपने अपने सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। जब हर व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ सतर्कता का पालन का निर्माण होता है।

सतर्कता का महत्व –

सतर्कता सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है:

भ्रष्टाचार उन्मूलन :

भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह है जो आप किसी भी व्यवस्था को खोखला कर देती है। इसकी शुरुआत अक्सर छोटे स्तर पर होती है, इसलिए इसे शुरुआती चरण में ही रोकना बुद्धिमानी है। जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार और पारदर्शी होता है, तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो जाती है।

नैतिक और पारदर्शिता-

सतर्कता में नैतिक मूल्यों और पारदर्शिता का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सही और गलत के अंतर समझने और अपने कर्तव्यों के प्रति बीच का समर्पित रहने में मदद करती है।

सामाजिक सुरक्षा:

एक सतर्क समाज अपराध, आतंकवाद और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने में सहायक होता है। जब नागरिक छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देते हैं और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है।

राष्ट्र निर्माण:

सतर्क समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। जब नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं, तो राष्ट्र का विकास होता है।

सतर्कता कैसे हम सबकी जिम्मेदारी है?

यह जिम्मेदारी कई स्तरों पर निभाई जा सकती है:

व्यक्तिगत स्तर पर:

ईमानदारी: हमें अपने दैनिक जीवन में ईमानदार रहना चाहिए। रिश्ते लेने या देने से बचना चाहिए।

नैतिकता:- अपने नैतिक मूल्यों पर टिके रहना चाहिए और सही का साथ देना चाहिए।

सामुदायिक स्तर पर:

जागरूकता : हमें अपने आस-पास के लोगों को सतर्कता के महत्व के बारे में जागरूकता करना चाहिए।

सहयोग: संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

उपसंहार :-

सतर्कता एक सतत प्रक्रिया है जो राष्ट्र को प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाती है। यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे सरकार या किसी एक विभाग पर नहीं छोड़ा जा सकता बल्कि इसे हम सभी को मिलकर निभाना होगा।

तृषा बंजारे

कक्षा – IX,

द. पू. म. रेलवे विद्यालय, बी.एम. वाय.

Vigilance our shared Responsibility

After independence, we the people of India, agreed on our shared road to prosperity and that is Democracy. Our Democracy as it is today faces perils not from outsider but from within, from its constituents the current threats to our democracy are covert and lie deep within the societal structures that we have built. We are the agents of such structures. Hence, the words of Thomas Jefferson that “Eternal vigilance is the price of democracy” hold more weight today than ever before. Vigilance is not easy task. It demands an alert civil society if not the entire citizenry being vigilant requires one to be fearless and question those in power those reposed in authority and above all oneself. Only an aware and a questioning mind can perceive the subtle maneuvers of those at the helms of power. Constant vigilance works like a negative feedback system. It ensures that those who are entrusted with power by the public are kept reminding that they are under the perpetual public gaze. The Janata is watching and those representing the janta must act accordingly. Vigilance citizen create a vibrant and a real democracy which in turn ensures that the fruits of prosperity reach the last person. There are four specific issues which require our utmost vigilance corruption, crime of hate, cybersecurity and climate change. After the 1990s with skewed economic growth came income inequality. Moreover, in a country with inherent graded social inequality in the form of caste, the picture is grimmer than what meet the eye. Inequality is a breeding ground for corruption. However, corruption in its traditional form is not the real cause for concern petty bribery at the lower rungs of administration would be taken care of by the digitization drive of the government. Today we are witnessing a metamorphosis of operational corruption into structural corruption. Citizens are the base of a democratic polity and their vigilance is the cement that holds it together. As humans we are susceptible to buy propaganda and lower our vigil. Indifference on the part of citizens can push democracy down. Ultimately the question is who will guard the guard?. The Bhuddhas eternal message can be our test – “Be vigilance, guard your mind against negative thought”

Kritika Jamraj

Class – IX

S E C R M H S School, BMJ

सतर्कता हम सबकी जिम्मेदारी

भूमिका :

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसके आचरण का प्रभाव न केवल उस पर, बल्कि पुरे, समाज पर पड़ता है। जब हम "सतर्कता की बात करते हैं, तो इसका अर्थ केवल खतरे से बचना ही नहीं होता, बल्कि यह ईमानदारी और जिम्मेदार नागरिकता का प्रतीक है। आज न जाने कितने पुलिस, बड़े अधिकारी आदि घूस लेते हैं, इसके कारण हमारे देश का विकास नहीं हो पा रहा है। और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि-

सतर्कता का वास्तविक अर्थ

सतर्कता का शाब्दिक अर्थ है - सावधानी और साजगता। लेकिन सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर इसका अर्थ और भी गहरा है। यह केवल यह सुनिश्चित करने तक सीमित नहीं कि हमारे साथ कोई धोखा न हो, बल्कि इसका अर्थ है कि हम स्वयं भी किसी के साथ धोखा न करें।

- सतर्कता का अर्थ है अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना।
- इसका अर्थ है भ्रष्टाचार, बेईमानी और गलत कार्यों एके प्रति "ना" करना।

भ्रष्टाचार और सतर्कता का संबंध :

भ्रष्टाचार समान की वह दीमक है जो धीरे-धीरे राष्ट्र की प्रगति को खोखला कर देती है। रिश्वतखोरी, भाई-भतीजावाद, घूसखोरी और सत्ता का दुरुपयोग हमारे देश की 'सबसे बड़ी चुनौतियाँ' हैं। आँकड़े बताते हैं कि विकास कार्यों में लगाई गई योजनाओं का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में सतर्कता का महत्व और भी बढ़ जाता है। यदि हर नागरिक ईमानदारी और सजगता से अपने कर्तव्यों का पालन करे और गलत कार्यों का विरोध, करे, तो भ्रष्टाचार स्वतः समाप्त हो सकता है।

सतर्कता! व्यक्तिगत स्तर पर !

- हमें अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी और नियमों का पालन करना चाहिए।
- विद्यालयों और कार्यस्थलों पर जिम्मेवारी से कार्य करना मे ही सतर्कता का पहला कदम है।
- यदि हमारे सामने कोई अनैतिक कार्य हो रहा हो, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए।

सतर्कता : सामाजिक स्तर पर :

सतर्कता का महत्व केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। समाज के स्तर पर भी यह अत्यंत आवश्यक है।

- हमें सामाजिक बुराइयों जैसे- दहेज प्रथा, बाल विवाह नशाखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।
- जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं।

सतर्कता : राष्ट्रीय स्तर पर :

राष्ट्रीय स्तर पर सतर्कता का अर्थ है- देश की संपत्ति, संसाधन और संस्थाओं की रक्षा करना। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी यदि अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्क रहेंगे, तो जनता को न्याय और सुविधाएँ समय पर मिलेंगी। इसका उद्देश्य है लोगों में ईमानदारी पारदर्शिता के प्रति जागरूकता फैलाना।

हमारी साझा जिम्मेदारी :

सतर्कता कोई अकेले व्यक्ति का काम नहीं है। यह हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।

- जन हर नागरिक अपने-अपने स्थान पर ईमानदार और जिम्मेदार बनेगा, तभी राष्ट्र का विकास संभव है।
- हमें "मैं क्यों बदलूँ" की जगह "परिवर्तन की शुरुआत मुझसे" की सोच अपनानी चाहिए।
- सतर्कता की भावना केवल सरकारी दफतरो या बड़ी संस्थाओं तक सीमित न रहकर हमारे घर, स्कूल और समाज तक पहुँचनी चाहिए।

निष्कर्ष :

निष्कर्षतः, सतर्कता केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यदि हम सचमुच एक सशक्त, स्वच्छ और समृद्ध भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें सतर्कता को अपनी आदत बनाना होगा। भ्रष्टाचार और अन्याय का विरोध करना करना, ईमानदारी को अपनाना और गलत कार्यों में दूर रहना हर नागरिक का कर्तव्य है। याद रखिए - सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है। जब हम सब मिलकर इसे निभाएँगे, तभी समाज और राष्ट्र में न्याय, पारदर्शिता और प्रगति संभव हो सकेगी।

दिक्षा यादव

कक्षा - X,

द. पू. म. रेलवे विद्यालय, बी.एम. वाय.

Importance of Vigilance Awareness Campaign

Intro:

Vigilance is an essential quality that every individual and institution must adopt to ensure fairness, transparency and accountability in society. Good governance in various sectors, including government, public and private institutions. These campaigns aims to educate citizens, employees and stakeholders about the importance of vigilance and the need to report corruption, malpractices and irregularities.

Key Objectives:

1. Promoting Transparency- Vigilance Awareness Campaigns encourage transparency in decision making process, financial transactions and administrative actions.
2. Preventing Corruption- By educating citizens and employees about corruption risks and consequences, these campaigns help prevent corrupt practices.
3. Fostering Accountability- By promoting the accountability, these campaigns ensure that individuals and institutions are responsible for their action.

Benefits:

1. Improved Governance- Vigilance Awareness Campaign contribute to better governance by promoting transparency, accountability and integrity.
2. Reduced corruption- By preventing corruption these campaigns help reduce the economic and social costs associated with corrupt practices.
3. Increased public trust- Vigilance Awareness Campaign helps build public trust in institutions by demonstrating a commitment to transparency and accountability.
4. Empowered citizens- By educating citizen about their rights and responsibility, these campaigns empower them to demand better governance. It also reduced the government efficiency.

Effective Strategies:

1. Public Awareness Program- Organize public awareness programs, workshop and seminars to educate citizens and employees about vigilance and corruption prevention.
2. Digital Platform- Utilize digital platform such as social media, websites and mobile apps to disseminate information and facilitate reporting of irregularities.
3. Collaboration- Collaborate with civil society organizations, media and the other stakeholder to amplify the impact of Vigilance Awareness Campaign.
4. Incentives- Provide incentives for whistleblowers and citizens who report corruption or irregularities.

Conclusion:

Vigilance Awareness Campaign are essential for promoting good governance, preventing corruption and fostering accountability by educating citizens and employees about the importance of Vigilance. These campaigns contribute to a more transparent and accountable society. Effective strategies, including Public Awareness Programme, digital platform, collaboration and incentives can help maximize the impact of Vigilance Awareness Campaigns.

Anuj Mishra
Class – XII “A”
S E C R M H S School, BMV

सतर्कता पर हम सब की जिम्मेदारी

प्रस्तावना :

“जागरुकता है उजियार । अज्ञानता है अंधियारा,
सतर्क बने हर नागरिक, तभी बदले देश हमारा” ।

आज का समय प्रगति और प्रतिस्पर्धा का है । यहा केवल पढा- लिखा होना पर्याप्त नहीं बल्कि हर व्यक्ति का जागरुक और सतर्क होना भी उतना भी जरूरी है । इसी उद्देश्य के लिए सतर्कता जागरुकता अभियान चलाए जा रहे हैं । यह अभियान नागरिकों और अन्याय से लड़ने की सीख व प्रेरणा देता है ।

सतर्कता जागरुकता अभियान का महत्व व संदेश :

इन अभियानों का मुख्य संदेश है कि “गलत को सहना भी गलती है, गलत है । जब नागरिक सतर्क रहते हैं तो वे भ्रष्टाचार, अपराध और अन्याय के विरुध आवाज उठाते हैं । सतर्कता मे प्रशासन पारदर्शी बनता है और समाज मे ईमानदारी की नींव मजबूत होती है । “ भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएँ, ईमानदारी को अपनाएं । “

लाभ:-

- नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को पहचानते हैं ।
- समाज मे जिम्मेदारियों और नेतिकता का विकास होता है ।
- भ्रष्टाचार व गलत प्रथाओं पर रोक लगती है ।
- लोकतंत्र और अधिक मजबूत बनता है ।

चुनौतियाँ :

आज भी लोग डर, स्वार्थ या उदासीनता के कारण अन्याय सहते हैं । जानकारी और जागरुकता की कमी इस अभियान की राह मे बाधा है ।

“ सतर्कता ही सुरक्षा है, जागरुकता ही शक्ति है”

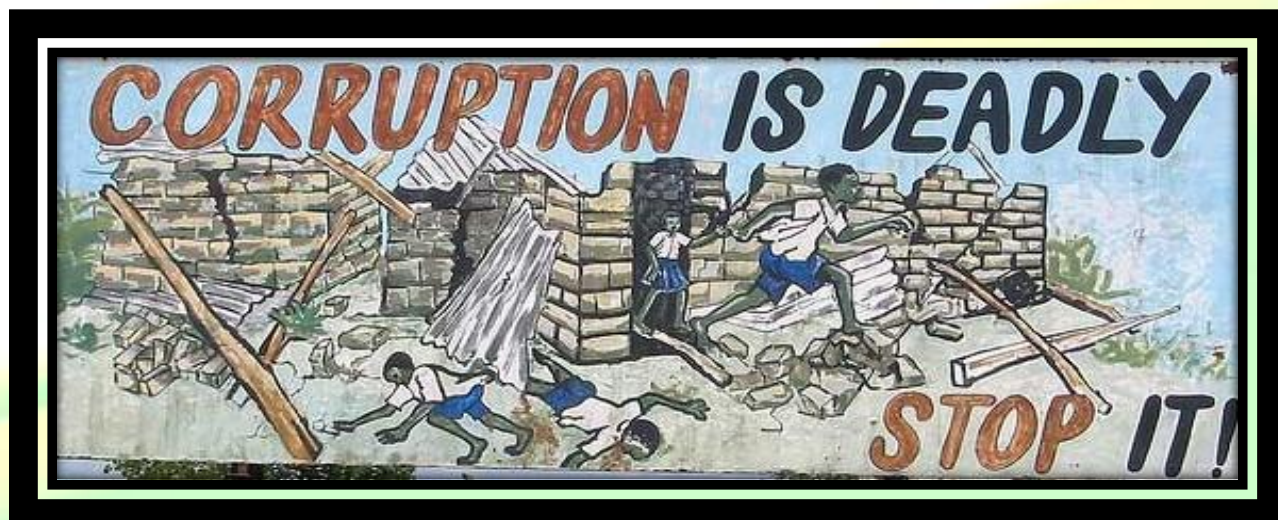
अतः यह अभियान केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि उज्ज्वल भविष्य की कुंजी है । यदि हर नागरिक सतर्क, ईमानदार और जागरुक बने तो निश्चित ही भ्रष्टाचारमुक्त, सुरक्षित और सशक्त भारत का निर्माण होगा ।

“ सतर्कता का दीप जले, अंधकार मिट जायगा,
जागरुक हर इंसान से, भारत आगे बढ़ जाएगा ।”

रुखाति झारिया

कक्षा – 11 “A”

द. पू. म. रेलवे विद्यालय, बी एम. वाय.



Importance of Vigilance Awareness

A National's Conscience:

The vital role of Vigilance Awareness Campaign is Vigilance Awareness Week observed annually in India, are a powerful tool in the fight against corruption and for the promotion of good governance. Initiated by the Central Vigilance Commission (CVC). These multi-faced campaigns engage a broad spectrum of society from government employees to private citizens and students to reaffirm a collective commitment to ethical conduct and integrity.

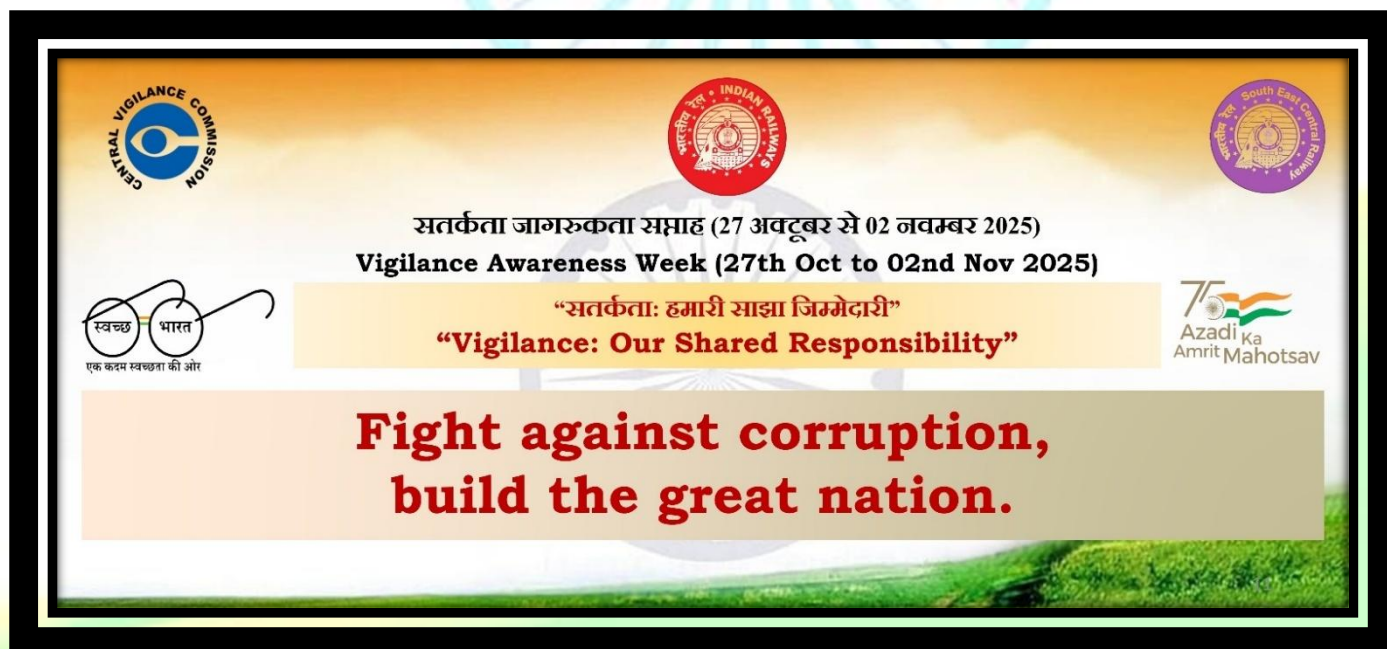
The Bedrock of Ethical Governance:

Corruption erodes the very foundations of a society by undermining democratic institutions, distorting economic growth and destabilizing the role of law. Vigilance Awareness Campaign play a crucial role in combating this threat by focusing on several key areas.

Encouraging ethical behavior:

Campaign instill a sense of personal and professional integrity in citizens and public servants. By promoting values like honesty and truthfulness, they seek to build an environment where transparency is the norm.

Poorvi Singh
Class – IX “C”
S E C R M H S School, BMY



सतर्कता जागरुकता अभियान 2025 प्रारंभोत्सव की कुछ झलकियां



सतर्कता जागरुकता अभियान 2025 के तहत बिलासपुर मंडल की कुछ झलकियां



सतर्कता जागरूकता अभियान 2025 के तहत रायपुर मंडल की कुछ झलकियां



“India has always been a land where through the ages, there has been an emphasis on human values and ethics. ... Corruption basically arises out of greed and a desire for quick enrichment without efforts.”

सतर्कता जागरूकता अभियान 2025 के तहत नागपुर मंडल की कुछ झलकियां



सतर्कता जागरूकता अभियान 2025 के तहत मुख्यालय सभागार में की गई संगोष्ठी की अखबार में प्रकाशित खबर की छायाप्रतियां

Naidunia – Bilaspur

19.08.25

सतर्कता है हमारी साझा जिम्मेदारी विषय पर रेलवे में संगोष्ठी, रखे विचार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक देशभर में मनाया जाएगा। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सतर्कता विभाग द्वारा सौमवार से सतर्कता जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान तीन माह 17 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान सतर्कता संबंधी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

इस वर्ष अभियान की थीम है सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी है। इसी विषय पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमें महाप्रबंधक, अपर महाप्रबंधक, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक एवं समस्त विभागों के विभाग विभागाध्यक्ष व सभी सतर्कता अधिकारी एवं निरीक्षक उपस्थित रहे। सेमिनार में बिलासपुर, रायपुर एवं



सतर्कता सेमिनार में शामिल रेलवे के अधिकारी।

नागपुर मंडल के रेल प्रबंधक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। सेमिनार में वरिष्ठ उप महाप्रबंधक मनोज गुरमुखी ने एक प्रेजेंटेशन द्वारा इस अभियान की महत्ता एवं आवश्यकता की जानकारी दी। उन्होंने इस अभियान के तहत आगामी तीन माह में प्रीवेंटिव विजिलेंस संबंधी की जाने वाली गतिविधियों का व्यौरा

दिया। उन्होंने सभी विभागों, मंडल द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का विवरण दिया। इस सेमिनार में विभिन्न विभागाध्यक्ष एवं मंडल रेल प्रबंधकों ने अपने विचार व्यक्त किए एवं सिस्टम में सुधार के लिए सुझाव दिए। महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने सत्यनिष्ठा का प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने कार्यों में अपनाने पर जोर दिया।

Jashpuranchal – Jashpur / Bilaspur

19.08.25

"सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाया जाएगा"

- » "दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, मुख्यालय में सतर्कता सेमिनार का आयोजन किया गया"
- » "सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी" (Vigilance : our Shared Responsibility) के विषय पर संगोष्ठी (Seminar) का आयोजन।

■ जरापुरांचल

बिलासपुर। केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देश पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाया जाएगा। इसी तारतम्य में तीन माह का सतर्कता जागरूकता अभियान दिनांक 18



अगस्त से 17 नवंबर 2025 तक मनाया जा रहा है। इस अभियान की थीम है- सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी। इस अभियान का शुभारंभ आज दिनांक 18 अगस्त, 2025 को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सतर्कता विभाग द्वारा तरुण प्रकाश, महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस शुभारंभ

समारोह में सतर्कता सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमें महाप्रबंधक, अपर महाप्रबंधक, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक एवं समस्त विभागों के विभाग विभागाध्यक्ष तथा सभी सतर्कता अधिकारी एवं निरीक्षक उपस्थित थे।

इस सेमिनार में बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर मण्डलों के रेल प्रबंधक भी वीडियो



कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। इस सेमिनार में वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, मनोज गुरमुखी ने एक प्रेजेंटेशन द्वारा इस अभियान की महत्ता एवं आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस अभियान के तहत आगामी तीन माह में प्रीवेंटिव विजिलेंस संबंधी की जाने वाली गतिविधियों का व्यौरा दिया। गुरमुखी ने समस्त विभागों, मंडलों एवं

इकाईयों द्वारा इस अभियान में की जाने वाली गतिविधियों का विवरण दिया। इस सेमिनार में विभिन्न विभागाध्यक्ष एवं मण्डल रेल प्रबंधकों ने अपने विचार व्यक्त किये एवं सिस्टम में सुधार हेतु सुझाव दिए।

महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने अपने प्रेरक उद्बोधन में सत्यनिष्ठा एवं सुचिन्ता का प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने कार्यों में अपनाने पर जोर दिया। जिससे रेल एवं देश की प्रगति में योगदान दिया जा सके।

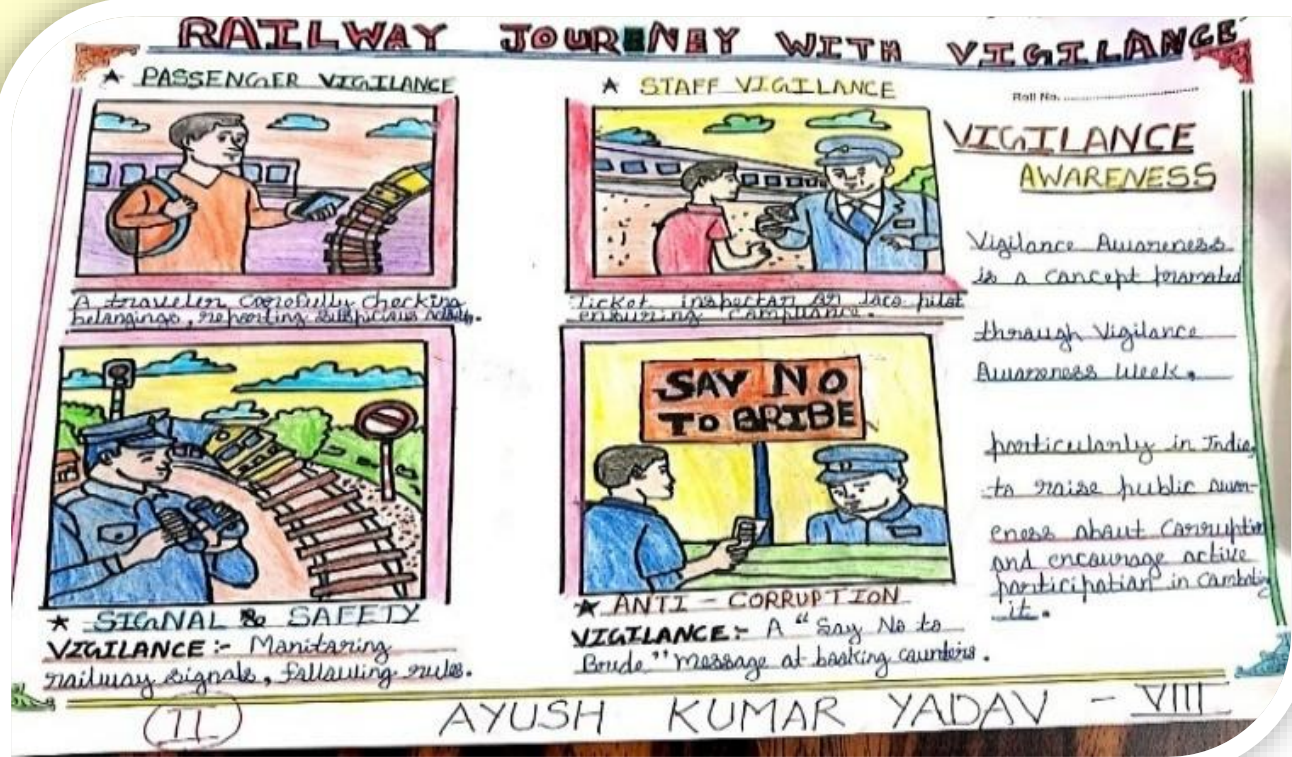
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिनांक 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाया जाएगा। जिसमें रेलवे की अनेक गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाएगा।

सतर्कता जागरुकता अभियान 2025 के तहत द. पू. म. रेलवे मिश्रित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बी एम. वाय. (रायपुर मंडल) में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं की झलक



सतर्कता जागरुकता अभियान 2025 के तहत द. पू. म. रेलवे मिश्रित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बी एम. वाय. (रायपुर मंडल) के छात्रों द्वारा बनाई गई चित्रकला



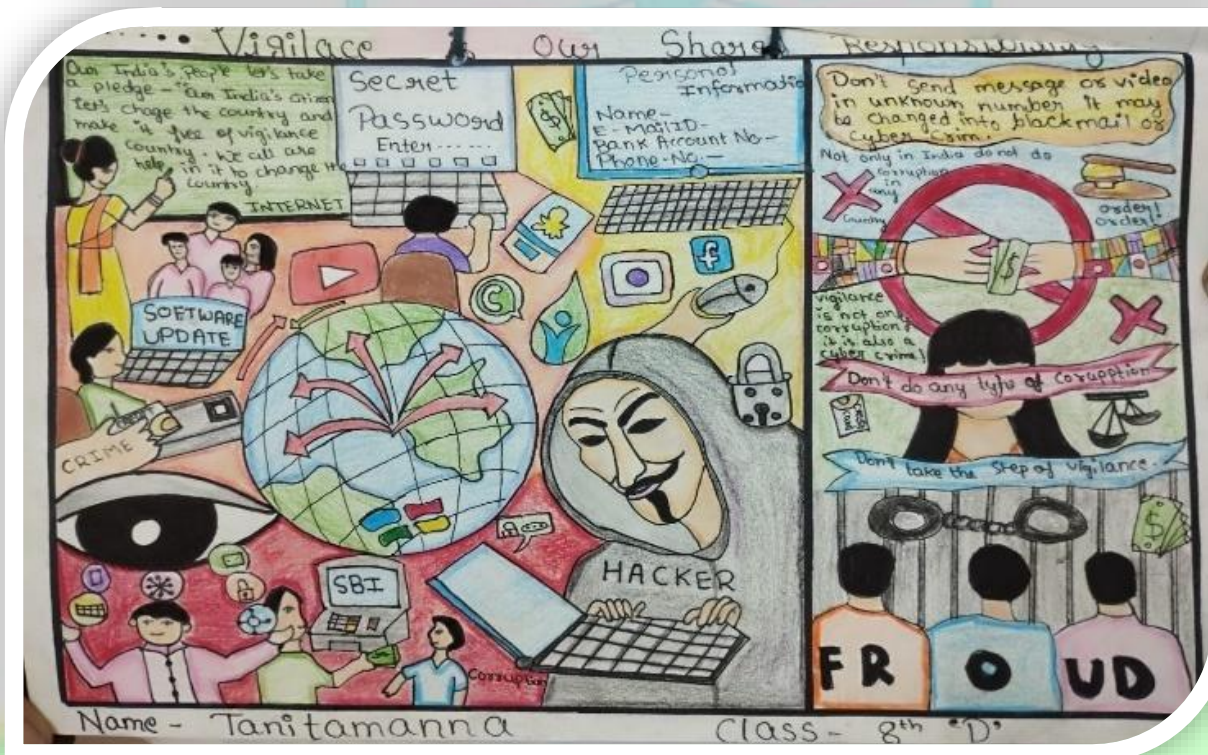
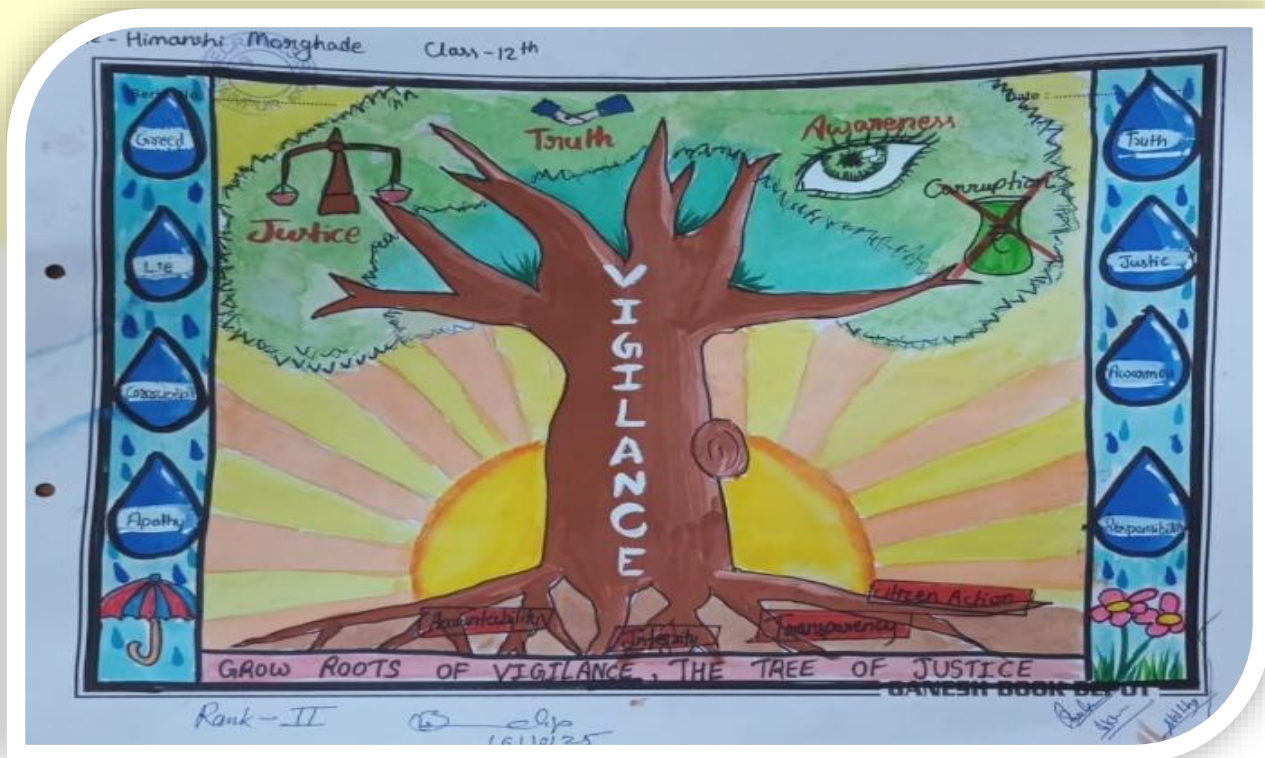


सतर्कता जागरुकता अभियान 2025 के तहत द. पू. म. रेलवे मिश्रित उच्च माध्यमिक विद्यालय, डोंगरगढ़ (नागपुर मंडल) में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं की झलक



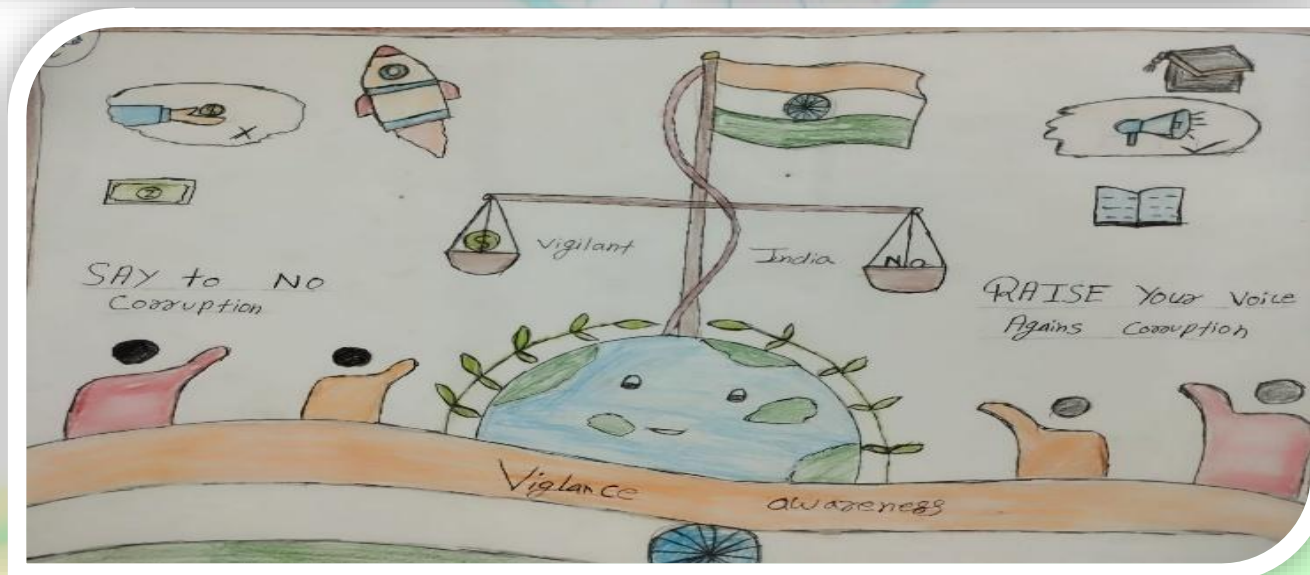
सतर्कता जागरुकता अभियान 2025 के तहत द. पू. म. रेलवे मिश्रित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नैनपुर (नागपुर मंडल) में छात्रों द्वारा बनाई गई चित्रकला





सतर्कता जागरुकता अभियान 2025 के तहत द. पू. म. रेलवे उच्च माध्यमिक विद्यालय

क्र. - 01, बिलासपुर में छात्रों द्वारा बनाई गई चित्रकला



स्वच्छ कार्यस्थल स्वच्छ देश को आधार मानकर पुराने महाप्रबंधक बिल्डिंग में
किये गये सफाई अभियान का छायाचित्र





सतर्कता जागरूकता सप्ताह (27 अक्टूबर से 02 नवम्बर 2025)
Vigilance Awareness Week (27th Oct to 02nd Nov 2025)



“सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी”
“Vigilance: Our Shared Responsibility”



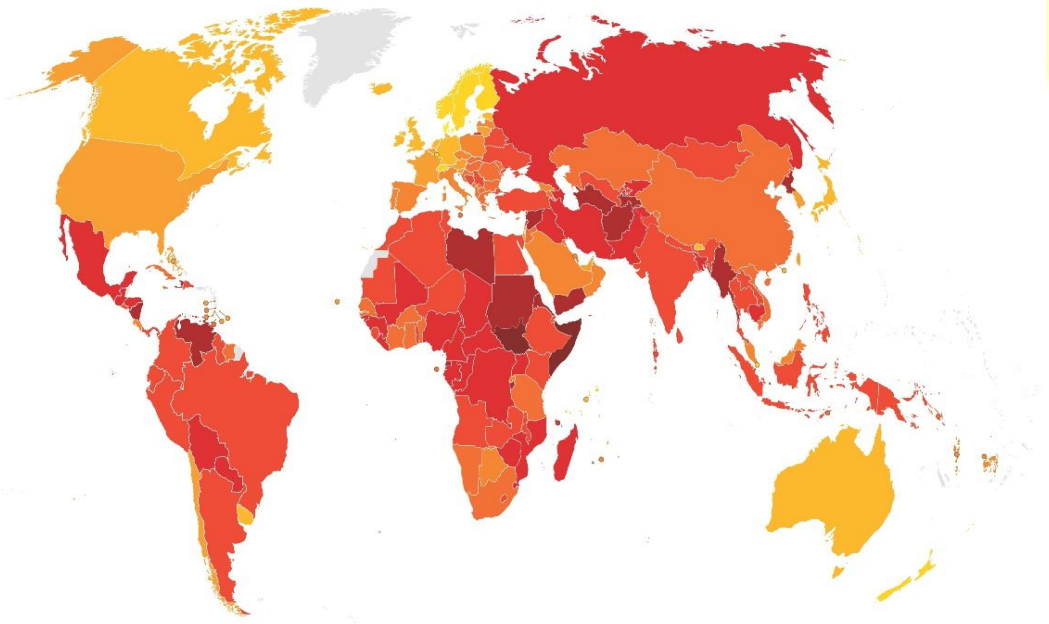
Vigilant citizens create a vigilant nation.



THE NEGLIGENCE OF A FEW
COULD EASILY SEND SHIP TO THE
BOTTOM BUT IT HAS THE
WHOLEHEARTED COOPERATION
OF ALL ON BOARD IT CAN BE
SAFELY BROUGHT TO PORT

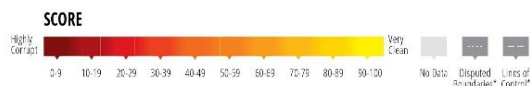
CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2024

The perceived levels of public sector corruption in 180 countries/territories around the world.



SCORE COUNTRY/TERRITORY

90	Denmark	67	Taiwan	53	Georgia	42	Ghana	34	Algeria	28	Bolivia	21	Comoros
88	Finland	65	Bahamas	53	Poland	41	Burkina Faso	34	Brazil	28	Guinea	21	Guinea-Bissau
84	Singapore	65	United States	51	Mauritius	41	Cuba	34	Malawi	27	Eswatini	21	Zimbabwe
83	New Zealand	64	Israel	50	Malaysia	41	Hungary	34	Nepal	27	Gabon	20	Democratic Republic of the Congo
81	Luxembourg	64	Korea, South	50	Vanuatu	41	South Africa	34	Niger	27	Liberia	19	Tajikistan
81	Norway	63	Chile	49	Greece	41	Tanzania	34	Thailand	27	Mali	17	Afghanistan
81	Switzerland	63	Lithuania	49	Jordan	41	Trinidad and Tobago	34	Turkey	27	Pakistan	17	Burundi
80	Sweden	63	Saint Vincent and the Grenadines	49	Namibia	40	Kazakhstan	33	Belarus	26	Cameroon	17	Turkmenistan
78	Netherlands	62	Cabo Verde	49	Slovakia	40	North Macedonia	33	Bosnia and Herzegovina	26	Iraq	16	Haiti
77	Australia	60	Dominica	47	Armenia	40	Suriname	33	Laos	26	Madagascar	16	Myanmar
77	Iceland	60	Slovenia	46	Croatia	40	Vietnam	33	Mongolia	26	Mexico	15	Korea, North
77	Ireland	59	Latvia	46	Kuwait	40	Colombia	33	Panama	26	Uganda	15	Sudan
76	Estonia	59	Qatar	46	Malta	39	Guyana	33	Philippines	25	Guatemala	14	Nicaragua
76	Uruguay	59	Saint Lucia	46	Montenegro	39	Tunisia	33	Sierra Leone	25	Kyrgyzstan	13	Equatorial Guinea
75	Canada	59	Saudi Arabia	45	Romania	39	Zambia	32	Angola	25	Mozambique	13	Eritrea
75	Germany	58	Costa Rica	45	Benin	38	Gambia	32	Ecuador	24	Central African Republic	13	Libya
74	Hong Kong	57	Botswana	45	Côte d'Ivoire	38	India	32	Kenya	24	Paraguay	12	Syria
72	Bhutan	57	Portugal	44	Sao Tome and Principe	38	Maldives	32	Sri Lanka	23	Bangladesh	10	Venezuela
72	Seychelles	57	Rwanda	44	Senegal	37	Argentina	32	Togo	23	Congo	9	Somalia
71	Japan	56	Cyprus	44	Jamaica	37	Ethiopia	32	Uzbekistan	23	Iran	8	South Sudan
71	United Kingdom	56	Czechia	44	Kosovo	37	Indonesia	31	Djibouti	23	Azerbaijan		
69	Belgium	56	Grenada	44	Timor-Leste	37	Lesotho	31	Papua New Guinea	22	Honduras		
68	Barbados	56	Spain	43	Bulgaria	37	Morocco	31	Peru	22	Lebanon		
68	United Arab Emirates	55	Fiji	43	China	36	Dominican Republic	30	Egypt	22	Russia		
67	Austria	55	Oman	43	Moldova	35	Serbia	30	El Salvador	21	Cambodia		
67	France	54	Italy	43	Solomon Islands	35	Ukraine	30	Mauritania	21	Chad		
		53	Bahrain	42	Albania								



*The designations employed and the presentation of material on this map follow the UN practice on the basis of our knowledge as of January 2025. They do not imply the expression of any opinion on the part of Transparency International concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

#CPI2024

www.transparency.org/cpi

This work from Transparency International (2025) is licensed under CC BY-ND 4.0

List of Some Important Courses available on iGOT Platform:

SN	COURSE TITLE	PREPARED BY
1	Karmyogi Prarambh Module	(DOPT-SPV ADMIN)
2	MS office	ISTM
3	MS Word Advance	Microsoft Corporation
4	Excel Advance	Microsoft Corporation
5	MS Power Point Advance	Microsoft Corporation
6	Conduct Rules	MoR
7	Disciplinary and Appeal Rule, 1968	IRITM
8	Work Ethics	IRITM
9	Leave Rules in Indian Railway	IRITM
10	Pass Rules in Indian Railways	IRITM
11	Accident Relief Management in Indian Railways	IRITM
12	First Aid in Indian Railways	IRITM
13	Health Care System in Indian Railways	IRITM
14	Improving Modal Share of Indian Railways	IRITM
15	Indian Railways Indent and Tendering	IRITM
16	Chat GPT and Generative AI Tools for Government Officials	Wadhwani Foundation
17	Handling Data with Artificial Intelligence-A Beginner Guide	Microsoft Corporation
18	Stay Safe in Cyber Space	Indian Cybercrime Co-ordination Centre
19	Fundamental of Government Office Procedure and Communication	IRITM

SN	COURSE TITLE	PREPARED BY
20	Digital Data Protection Act 2023	NeGD
21	SAMRATH RAJYA	Karmyogi Bharat
22	Change Management	NeGD
23	Contract Management	ISTM
24	Social Audit for Good Governance	RCUES, LUCKNOW
25	Sustainable Development Goals	ISTM
26	Data and Social Media Analysis for Government	NeGD
27	Introduction to Functions and Organization of Finance Department	IRITM
28	Principles Structure and Classification of Government Accounting	Deptt of Expenditure
29	Financial Administration	ISTM
30	Accounting Procedures of Advance Accounting Processes	Deptt of Expenditure
31	GFR 2017 General System of Financial Management	Defence Account Deptt
32	Bill Passing Imprest Account and Audit Inspection	MoR
33	Traffic and Commercial Statics	IRITM
34	Understanding Financial Position of an Organization	LBSNAA
35	Basics of Accounting General and Ledgers	NADT
36	Principles of Preparation of Financial Statements	Deptt of Expenditure
37	Budget Documents, Presentation and Passing of Budget	Deptt of Expenditure
38	Budget	ISTM

SN	COURSE TITLE	PREPARED BY	SN	COURSE TITLE	PREPARED BY
39	Vigilance Angle	DHTI	60	Budget Preparation Process	Deptt of Expenditure
40	राजभाषा - राजभाषा नीति	NADT	61	Concepts of Budget and Consitutional Framework	Deptt of Expenditure
41	Investing in Government Schemes	Zerodha	62	Budget (Hindi)	Deptt of Expenditure
42	Governing Artificial Intelligence	NeGD	63	Basics of Financial Accounting	NICF
43	Block Chain Basics	APNA	64	Electrical System Requirements	IRIEEN
44	Natures of Checks to be exercised during Internal Audit	Ministry of Mines	65	Decoding Net Zero Energy Buildings	IRIEEN
45	Accounting Standards - Concept and International Best Practices - IPSAS	Deptt of Expenditure	66	विद्युत झटकों से सुरक्षा और जीवन रक्षक तकनीकों पर प्रस्तुति	RCVPNAAM
46	Buisness Development Activities	IRITM	67	Hotel Load Converter	IRIEEN
47	Passenger Buisness in Indian Railways	IRITM	68	ओवर हेड उपकरण - भारतीय रेल की रखरखाव	IRIEEN
48	Freight Business	Ministry of Railways	69	पावर ट्रान्सफॉर्मर के मूल सिद्धांत	RCVPNAAM
49	Parcel Buisness in Indian Railways	IRITM	70	Design and Laying of Medium Voltage Electrical Cables	CPWD
50	Non- Fare Revenue of Indian Railways	IRITM	71	Energy Transitions to Tackle Climate Change	Rockefeller Foundation
51	Station Outstanding and Means to Reduce It	IRITM	72	High-Speed Trains	IRIEEN
52	Rail Madad-Passenger Grievance Portal of Indian Railways	NAIR	73	AC of Train Coach - Roof Mounted Package Unit	IRIEEN
53	Accident Protocol and Role of Comm. Supervisor in Accident Management	IRITM	74	Smart Meter Project Implementation in Gujrat	GVUNL
54	Railway Claim Handling and Prevention Strategies	IRITM	75	Service Contract in Indian Railways	IRIMEE
55	IT Application in Commercial Department	IRITM	76	Role of Civil Engineering	MoR
56	Commercial Inspections in Indian Railways	IRITM	77	Overview of Infrastructure in Civil Engineering	MoR
57	Freight Train Operations	IRITM	78	Patrolling of Track in Indian Railways	IRITM
58	Goods Shed Sidings and Freight Terminals	IRITM	79	Curves and Gradients in Indian Railways	IRITM
59	PM Gati Shakti National Master Plan and Indian Railways	IRITM	80	Station Redevelopment	IRICEN

SN	COURSE TITLE	PREPARED BY
81	Basics of Freight Buisness	IRITM
82	Ticketless Travelling and Ticket Checking in Indian Railways	IRITM
83	Ticket to Transformation: Digitalizing Human Resources in Railways	CBC
84	Crowd Management at Railway Stations	IRITM
85	Improving Passenger Experinece	IRITM
86	Electrical Engineering in Indian Railways	IRITM
87	Balasts in Indian Railways	IRITM
88	Maintenance Blocks Types and Rolling Stocks	IRITM
89	Railway Disaster Management	IRIMEE
90	Sustainable Geotechnics	IISc, Bengluru
91	Preventive Vigilance	Ministry of Steel
92	सतर्कता अनापत्ति	ISTM
93	Office Supervision	IRITM
94	Conduct of Inquiry in Disciplinary Matter	ISTM
95	E office Learning Resources 2025	NIC
96	Right to Information (RTI)	DoPT
97	Consultation with CVC in Disciplinary Cases	ISTM
98	Artificial Intelligence: Unlocking Potential and Securing Trust	NeGD
99	Office Productivity Tools	NeGD
100	Designing Citizen Centric Digital Services	NeGD

SN	COURSE TITLE	PREPARED BY
101	Fundamental Applications of Material Science and Engineering	BITS , Pilani
102	Line Capacity and Throughput	IRITM
103	Tilting Trains: Enhancing Speed and Comfort on Curved Tracks	IRITM
104	Bridges and Tunnels in Indian Railways	IRITM
105	Ghat Sections in Indian Railways	IRITM
106	Level Crossing in Indian Railways	IRITM
107	Ayushman Bharat-Digital Mission for Hospitals	National Health Authority
108	Quality in Health Care	AFMC
109	Digital Health Foundation Programme	Maharashtra University of Health Sciences
110	Food Poisoning	AFMC
111	Ayushman Bharat-Digital Mission for Doctors	National Health Authority
112	Medical Engineering Department of Indian Railways	IRITM
113	Integrated Coaching Management System	IRITM
114	Corrosion in Coaches and Wagons and its Prevention	IRITM
115	The Future of Transportation: Maglev and Hyperloop Technologies	IRITM
116	Railway Disaster Management	IRIMEE
117	Coupling System in Indian Railways	IRITM
118	Wheels and Wheels Profiles in Indian Railways	IRITM
119	Examination of Freight Stock and Brake Power Certificate in Railways	IRITM
120	A Primer on High Speed Trains	IRITM

SN	COURSE TITLE	PREPARED BY
121	Data and Social Media Analytics for Government	NeGD
122	Prevention of Corruption Act, 1988	CBI
123	Sanctions for Prosecutions	ISTM
124	Public Servants and the New Criminal Laws: Offences and Protections	(BPRD)
125	Bhartiya Nyaya Samhita (BNS)	SVNPA
126	Media Management	BPRD
127	Introduction to Medical Department of Indian Railways	NAIR
128	Medical Treatments and Attendance Rules in Indian Railways	IRITM
129	Hospital Infection Control Plan	AFMC
130	Punctuality of Trains and How to Maintain it in Indian Railways	IRITM
131	Train Parting	IRITM
132	High Speed Trains	IRIEEN
133	Safety Counselling in Indian Railways	IRITM
134	System of Working	IRITM
135	Absolute Block System	IRITM
136	Organizations and Functions of Personnel Department in Railways	NAIR
137	Personnel Department in Railways	IRITM
138	Office Procedures	DoPT
139	e-office Learning 2025	NIC
140	Leave Rules in Indian Railways	IRITM
141	Staff Welfare Measures in Indian Railways	IRITM

SN	COURSE TITLE	PREPARED BY
142	Electrical and Mechanical Facilities for Passengers at Metro Stations	IRITM
143	Vande Bharat Express in Railways	IRITM
144	Accident Relief Management in Railways	IRITM
145	Basics of Railway Coaching Operations	IRITM
146	RRI, PI and Electrical Interlocking	IRITM
147	Electronic Essentials and Standard of Interlocking	IRITM
148	Concept of Digital Signaling	NTIPRIT
149	Freight Train Operations in Indian Railways	IRITM
150	Train Traffic Control System in Indian Railways	IRITM
151	Noting and Drafting	ISTM
152	Reservation Policy- Reservation in Services	ISTM
153	Mastering Social Correspondence and Etiquette	ISTM
154	General Life Savings Rules	NTPC
155	First Aid in Indian Railways	IRITM
156	Safety Counseling in Indian Railways	IRITM
157	Over Dimensional Consignment Movement	IRITM
158	Basics of Disaster Management	NIDM
159	Railway Disaster Management	IRIMEE
160	Accident Relief Management in Indian Railways	IRITM
161	Ex Gratia Payment during Accidents	IRITM
162	Introduction to Fire Safety	IMU

SN	COURSE TITLE	PREPARED BY
163	Pass Rules in Indina Railways	IRITM
164	Overview of Pass/PTO	MoR
165	Deputation and Absorptions	ISTM
166	Framing and Amendement of Recruitment Rules	ISTM
167	Recruitment 2	MoR
168	Implementing UPS	AJNIFM
169	Transfer and Posting	ISTM
170	APAR	ISTM
171	Pay Fixation	ISTM
172	Secretariat Functions in Files	ISTM
173	Level-III Training Programme to Develop Functional Competencies	CBC
174	Interlocking Standard and Essentials of Interlocking	IRITM
175	RRI, PI and Electronic Interlocking	IRITM
176	Track Circuits, AFTC and Axle Counters	IRITM
177	Absolute Block System	IRITM
178	Kavach-Automatic Train Protection (ATP) system	IRISET
179	Points: Facing and Trailing Points	IRITM
180	Digital Switching	IIT
181	Disaster Management- Role of Telecommunication	NTPRIT
182	Signaling cables used in Indian Railways	IRITM
183	Communication based Train Control System	DMRC
184	Kavach in Indian Railways	IRITM

SN	COURSE TITLE	PREPARED BY
185	level Crossing	IRITM
186	Railway Act Essentials	JRRPF
187	Women Self Defence	CRPF
188	Crowd Management at Railway Stations	RITM
189	Crowd Management	NIDM
190	बैंड धुनों और बिगुल कॉल का परिचय	JRRPF
191	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013	RCVPNAAM
192	Signals in Indian Railways	IRITM
193	Signal Layouts of Stations in Indian Railways	IRITM
194	Signalling Requirements and Important Definition in Indian Railways	IRITM
195	Basic Concepts of Signal, Adequate Distance and Signal Overlap	IRITM
196	Indian Railway-Returned Stores	IRITM
197	Indian Railways Provisions and Recoupment (Hindi)	IRITM
198	Scaps Disposal in Railways	IRITM
199	Catalogue Management for Sellers on GeM	GeM
200	Inventory Management	IRITM
201	राजभाषा - राजभाषा नीति	NADT
202	राजभाषा - टिप्पण एवं आलेखन	NADT
203	राजभाषा हिंदी	IRITM
204	Rajbhasha Hindi	FCI
205	Digital Agriculture Mission	MoA&FW
206	Steel melting theory and practices	

SN	COURSE TITLE	PREPARED BY
207	System of Working	IRITM
208	Indian Railway-Role of Material Management	NAIR
209	Requisitioning and Distribution of Stores	IRITM
210	Integrated Warranty Management System	NAIR
211	Managing Contracts and Procuremnts	NeGD
212	Procurement Process on GeM for Products	GeM
213	SAMARTH Procurement	Karmyogi Bharat
214	Using Data to Monitor and Improve Public Procurement	Administrative Staff College
215	Public Procurement of Goods	Deptt. of Expenditure
216	Procurement Services Consultancy/Non Consultancy	Deptt. of Expenditure
217	Classification of Stores	IRITM
218	Surplus Stores in Indian Railways	IRITM

SN	COURSE TITLE	PREPARED BY
219	Numerical Rating system for Bridges	IRICEN
220	Technical Session on Advancements in TRD, High-rise OHE, 2x25 kV System, Cyber Security in SCADA	IRIEEN
221	Maintenance of WSP	IRIMEE
222	Workshop Management in Indian Railways	IRIMEE
223	Machinery & Plant Programme in Indian railways	IRIMEE
224	Electronics Interlocking Hardware- WESTRACE	IRISET
225	Electronics Interlocking Hardware- MEDHA	IRISET
226	Electronics Interlocking Hardware- KYOSAN	IRISET
227	Digital Transformation in Railway Ticket Booking System	IRITM
228	Disaster Management- Role of RPF as first responders during Golden Hour	JRRPF
229	Management lessons from Kumb Mela.	IRIDM

स्लोगन

भ्रष्टाचार मे लिप्त होकर, कहीं कोई सुखी रह पाता है।
चकाचौंध का ये मंजर भी, पल भर में उजड़ जाता है ॥

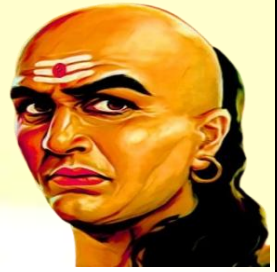
श्याम कुमार मौर्य
मुख्य सतर्कता निरीक्षक (कार्मिक)



To be aware of 40 ways of Embezzlement-

By Chankya (Kautilya's) Arth Shastra:

1. What is realized earlier is entered later.
2. What is realized later is entered earlier.
3. The price is raised before delivery or purchase of an inventory.
4. The price is reduced before the delivery or purchase of an inventory.
5. The year is made discrepant with respect to the lunar months.
6. The month is made discrepant with respect to the days.
7. Divergence in the original source of funds or even income.
8. Divergence in the head of income.
9. Divergence in the wages or the headcount of labor.
10. Divergence in the performance of functions.
11. Divergence in the calculations of the business.
12. Divergence in the quality of products.
13. Divergence in the pricing of products & also services.
14. Divergence in weights and measures.
15. Divergence in measuring.
16. Divergence as to container vessels.
17. What is sold is not entered.
18. What is entered is not also sold.
19. What is sold is entered as what is not sold.
20. What is not sold is entered as what is sold.
21. What is received is not entered.
22. What is entered is not received.
23. What is received is entered as what is not received.
24. What is not received is entered as what is received.
25. What is spent is not entered.
26. What is entered is not also spent.
27. What is spent is entered as what is not spent.
28. What is not spent is entered as what is spent.
29. What is taken is not entered.
30. What is entered is not taken.
31. What is taken is entered as what is not taken.
32. What is not taken is entered as what is taken.
33. What is given is not entered.
34. What is entered is not given.
35. What is given is entered as what is not given.
36. What is not given is entered as what is given.
37. What is lost is not also entered.
38. What is entered is not lost.
39. What is lost is entered as what is not lost.
40. What is not lost is entered as what is lost.



**“Integrity without knowledge is weak & useless
&
Knowledge without integrity is dangerous & dreadful”**



लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण विधेयक 2004 (PIDPI)

पीआईडीपीआई (*PIDPI) क्या है ?	• पीआईडीपीआई भारत सरकार का एक संकल्प है। • इसके तहत दर्ज किये गये सभी शिकायतों में शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है। * PIDPI: Public Interest Disclosure & Protection of Informer
पीआईडीपीआई शिकायत कैसे दर्ज की जाती है ?	• शिकायत “सचिव, सीवीसी” को संबोधित होनी चाहिए और डाक लिफाफे पर 'पीआईडीपीआई' (PIDPI) लिखा होना चाहिए। • शिकायतकर्ता का नाम और पता डाक लिफाफे पर नहीं बल्कि लिफाफे के अंदर बंद पत्र में अंकित होना चाहिए।
शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रहे यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश	• जो शिकायतें व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता से संबंधित हैं या अन्य अधिकारियों को संबोधित हैं, उनमें पहचान का खुलासा हो सकता है। • शिकायतें खुली स्थिति में या सार्वजनिक पोर्टल पर नहीं भेजी जानी चाहिए। • पहचान बताने वाले दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाने चाहिए या शिकायत में उल्लिखित नहीं किए जाने चाहिए, उदाहरण के लिए आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेज। • लिफाफे के अंदर पत्र पर नाम और पता का उल्लेख पुष्टिकरण उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। • जिन शिकायतों की पुष्टि नहीं होती उन्हें बंद कर दिया जाता है। • गुमनाम छद्मनाम पत्रों पर विचार नहीं किया जाता है।
शिकायत करने का पता	सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग सतर्कता भवन, ए-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए नई दिल्ली – 110023, फोन नं: 011- 24600200, फैक्स: 011-24651186